द्वितीय माला, खण्ड २२—अंक ५
२१ नवम्बर, १९५८ (शुक्रवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(खण्ड २२ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

245-A LSD

लोक-सभा
वाद विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २२, १९५८

(१७ नवम्बर से २९ नवम्बर, १९५८)

छठा सत्र, १९५८

(खण्ड २२ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली।

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खंड २२—अंक १ से १०—१७ नवम्बर से २९ नवम्बर, १९५८]

अंक १—सोमवार, १७ नवम्बर, १९५८

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ८, ११ से १३ और १५ से १७	१—२४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९, १०, १४, १८ से २५ और २७ से ३२	२४—३२
अतारांकित प्रश्न सख्या १ से २० और २२ से ३९	३२—४८
श्री सामी वैंकटाचलम् चेट्टी का निधन	४८
स्थगन प्रस्ताव—	
१. पांडेचेरी में स्थिति ; और	४९—५०
२. पाकिस्तान से सम्बन्ध	५०—५३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिया गया निदेश	५७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	५७—५८
गुड़गांव में विमान बल के सिगनल केन्द्र में अग्नि दुर्घटना के बारे म वक्तव्य	५८
समिति के लिये नि चिन	५९
केन्द्रीय नरतत्व विज्ञान सलाहकार बोर्ड	५९
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना	५९
उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) सशोधन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५९—६९
खंड २ से १० और १	६९—७८
पारित करने का प्रस्ताव	७८
चाय (सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	७८—८९
कार्य मंत्रणा समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन	८९
दैनिक संक्षेपिका	९०—९८

पृष्ठ

अंक २—मंगलवार, १८ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३३, ३४, ३५, ३७ से ४४ . ९९—१२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६, ४५ से ६२ . १२१—२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ४० से ९२ १२८—५२

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५२–५३

प्राक्कलन समिति—

उन्तीसवां प्रतिवेदन . . १५३

तारांकित प्रश्न संख्या १३६० के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि १५३

कार्य मंत्रणा समिति—

इकत्तीसवां प्रतिवेदन . १५३

चाय (सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक—

विचार करने के लिये प्रस्ताव १५४—५६

खंड २, ३ और १ १५७–५८

पारित करने का प्रस्ताव . . . १५८

संघलोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों में रूपभेद सम्बन्धी प्रस्ताव १५८—७७

एक सदस्य को सजा . . : १७७

रेलवे यात्रा में जीवन की असुरक्षा के संबंध में चर्चा १७८—९३

दैनिक संक्षेपिका . . १९४—९८

अंक ३—बुधवार, १९ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३ से ७६ . १९९—२२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७ से १०० . . . . २२१—३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३ से १४५ और १४७ से १५८ . . २३२—५९

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २५९—६१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति उनतीसवां प्रतिवेदन २६१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

वित्त मंत्रालय से फाइलों का गायब हो जाना २६१–६२

आसाम तेल शोधन कारखाने के लिये भारत-रूमानियां करार के बारे में वक्तव्य २६२—६५

आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक—

पुरस्थापित . . २६५

विष (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . २६५—२६८

खंड २ से ४ और १ . . . . २६८—७०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २७०

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . . २७०—८४

गंगा बांध परियोजना के बारे में प्रस्ताव . . . २८५—९८

दैनिक संक्षेपिका . . २९९—३०५

अंक ४—बृहस्पतिवार, २० नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१, १०२, १०४, १०५, १०७, १०९ से ११५ और ११७ से १२१ . . . . ३०७—३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०३, १०६, १०८, ११६ और १२२ से १२९ . ३३१—३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १५९ से १८२, १८४, १८६ से २०२ और २०४ से २१० . . . ३३७—६०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ३६०—६३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पाकिस्तान की घटनायें . . . . ३६३—६५

सभा का कार्य ३६६

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . . ३६६—८४

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बन्द किये जाने के बारे में चर्चा . . ३८४—४११

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४१२—१७

पृष्ठ

अंक ५—शुक्रवार, २१ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३० से १४१ ४१९—४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४२ से १६५ . . ४४२—५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २११ से २८१ . . ४५१—८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ४८१—८२

प्राक्कलन समिति—

तीसवां प्रतिवेदन . . ४८२

सभा का कार्य ४८३

जानकारी का प्रश्न . . ४८३—८४

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति . . ४८४

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . ४८५—९३

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार का प्रस्ताव . ४९३—५०१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

उनतीसवां प्रतिवेदन . . ५०१

बेरोजगारी की समस्या की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . ५०१—२४

सैनिक व्यय के ढांचे की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प ५२४

दैनिक संक्षेपिका ५२४—३०

अंक ६—सोमवार, २४ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६ से १७९ ५३१—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ ५५४—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८० से २०७ और २१० से २१२ ५५६—७०

अतारांकित प्रश्न संख्या २८२ से ३७७ ५७०—६०८

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ६०८—१०

प्राक्कलन समिति—

इकतीसवां प्रतिवेदन . . . ६१०

१९५५–५६ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) ६१०

१९५६–५७ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेलवे) . . ६१०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ब्रिटिश तेल वाहक जहाज स्टैनवाक जापान में विस्फोट . ६१०—१२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, वापस लिया गया . ६१२

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक पुर-स्थापित ६१३

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण अध्यादेश संबंधी विवरण . . ६१३

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव . ६१३—३६

सभा का कार्य ६३६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ६३७—४४

अंक ७—मंगलवार, २५ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१३ से २२०, २२२, २२६, २२७ और २२९ . ६४५—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२१, २२३ से २२५, २२८ और २३० से २६० . ६६९—८४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७८ से ४४१ . . . . ६८४—७०९

स्थगन प्रस्ताव—

रात की गाड़ी में हत्या ७०९–१०

सभा पटल पर रखे गये पत्र ७१०–११

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

तीसवां प्रतिवेदन ७११

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

लंका में भारतीय उद्भव के राज्यहीन व्यक्ति . . ७११—१३

पृष्ठ

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ७१३—२२

हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड के बारे में चर्चा . ७२२—३७

दैनिक संक्षेपिका ७३८—४३

अंक ८—गुरुवार, २७ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६१, २६३, २६५ से २७८ . . ७४५—६८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . ७६८—७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६२, २६४, २७९ से २९० . . ७७०—७५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४२ से ४७९ . . . ७७५—९०

स्थगन प्रस्ताव—

रात की गाड़ी में हत्या . . . . ७९०—९२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ७९२—९३

राज्य सभा से सन्देश ७९३

सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—

दसवां प्रतिवेदन . . ७९३

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . ७९३

(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य-सभा-पटल पर रखा गया . ७९३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम . . . ७९३—९४

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक— . . ७९४

पुरस्थापित

विशेषाधिकार प्रस्ताव —

केरल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य . . . ७९५—८१४

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ८१५—२७

दैनिक संक्षेपिका . . ८२८—३२

अंक ९—शुक्रवार, २८ नवम्बर, १९५८	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २९१ से ३०१.	८३३—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३०२ से ३२७ . . .	८५४—६४
अतारांकित प्रश्न संख्या ४८० से ५२९, ५३१ और ५३२	८६४—८४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	८८५
अनुपस्थिति की अनुमति . . .	८८५
एक प्रश्न के उत्तर की कथित अशुद्धता का उल्लेख .	८८६—८७
जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में प्रस्ताव	८८७—९९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति—	
तीसवां प्रतिवेदन	८९९
विधेयक :	
पुरस्थापित : . . .	९००—०३
(१) श्री नलदुर्गकर का व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १०० का संशोधन)	९००
(२) श्री वाडीवा का हिन्दू दत्तकग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक (धारा १८ का संशोधन)	९००
(३) श्री अ० मु० तारिक का दूकानदार (मूल्यों की पर्चियां लगाना) विधेयक	९००
(४) श्री राम कृष्ण का कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा ४५ और ४७ का संशोधन तथा नई धारा ४७क, ४७ख और ४७ग का रखा जाना)	९०१
(५) श्री राम कृष्ण का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ३०, ७८, ८५ आदि का संशोधन)	९०१
(६) श्री राम कृष्ण का भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन)	९०१
(७) श्री राम कृष्ण का संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन) . . .	९०२
(८) श्री राम कृष्ण का प्रबन्ध परिषद् विधेयक . . .	९०२
(९) श्री राम कृष्ण का समवाय (संशोधन) विधेयक (नई धारा ४३क और २५०क का रखा जाना तथा धारा २२४, २३७ आदि का संशोधन) .	९०२

	पृष्ठ
(१०) श्री महन्ती का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ७ का संशोधन)	९०३
मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक—	
वापस लिया गया . . .	९०३
समवाय (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत हुआ . . .	९०३—२१
सिक्ख गुरुद्वारा विधेयक—	
परिचालित करने का प्रस्ताव	९२१—२२
दैनिक संक्षेपिका	९२३—२८
अंक १०—शनिवार, २९ नवम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२८ से ३३९ . . .	९२९—५२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ .	९५२—५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३४० से ३९१	९५६—८०
अतारांकित प्रश्न संख्या ५३३ से ५४७, ५४९ से ५८१ और ५८३ से ५९४ .	९८०—१००६
लुनेज में तेल के कुएं के स्थान पर आग लगने के बारे में वक्तव्य .	१००६—०७
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१००७—०८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच सीमा समायोजना सम्बंधी समझौते की कार्यान्विति	१००८—१०
सभा का कार्य	१०१०—११
जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में प्रस्ताव . .	१०११—२९
समवाय अधिनियम के कार्य-संचालन तथा प्रशासन सम्बंधी प्रतिवेदन के बारे में चर्चा . .	१०२९—४७
दैनिक संक्षेपिका	१०४८—५४

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
आगड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)
अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)
अचमम्बा, डा० को (विजयवाड़ा)
अचल सिंह, सेठ (आगरा)
अचिंत राम, श्री (पटियाला)
अजित सिंह, श्री (भटिण्डा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)
अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुल रशीद, बख्शी, (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)
अब्दुल सलाम, श्री (त्रिरुचिरापल्ली)
अमजद अली, श्री (धुबरी)
अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम्)
अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तूर)
अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)
अय्यांकण्णु, श्री (नागपट्टिनम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अरुमुगम्, श्री रा० सी० (श्री विल्लीपुत्तुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अरुमुगम्, श्री स० र० (नामक्कल--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)
अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)
आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)
आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरि)

इ

इकबाल, सिंह, सरदार (फीरोजपुर)
इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
इलियास, श्री मोहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री इयानी (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (प्रतापगढ़)
उपाध्याय, श्री शिव दत्त (रीवा)
उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)
कट्टी, श्री द० अ० (चिकोडी)
कनकसबै,, श्री (चिदाम्बरम्)
कमल सिंह, श्री (बक्सर)
कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)
कर्णी सिंहजी, श्री (बीकानेर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)
कामले, डा० देवराव नामदेवराव (नांदेड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)
कार, श्री प्रभात (हुगली)
कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)
कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)
किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
कुन्हन, श्री (पालघाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुमारन, श्री (चिरयिन्कील)
कुम्भार, श्री बनमाली (सम्बलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)
कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)
कृष्ण, श्री मं० रं० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)

क—(क्रमशः)

कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)
कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)
कृष्णस्वामी, डा० (चिंगलपट)
कृष्णैया, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)
केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)
केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)
केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
कोडियान, श्री (क्विलोन--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)
को कोट्टुकप्पल्ली, श्री जार्ज थामस (मवात्तुपुजा)

ख

खां, श्री उस्मान अली (कुरनूल)
खां, श्री शाहनवाज (मेरठ)
खां, श्री सादत्त अली (वारंगल)
खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)
खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)
खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)
खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खेडकर, श्री गोपाल राव (अकोला)
ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)
गणपति, राम, श्री (जौनपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
गांधी, श्री फीरोज (रायबरेली)
गांधी, श्री मानिकलाल मगनलाल (पंच महल)
गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)
गुप्त, श्री छेदा लाल (हरदोई)
गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता–पूर्व)
गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)
गोडसोरा, श्री शम्भूचरण (सिंहभूभ--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)
गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)
गोविन्द दास, सेठ (जबलपुर)

ग---(क्रमशः)

गोहेन, श्री चौखामून (नामनिर्देशित---आसाम आदिम जाति क्षेत्र)
गोहोकर, डा० देवराव यशवन्तराव (यवतमाल)
गौंडर, श्री षनमुध (तिंडीवनम्)
गौडंर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तूर)
गौंडर, श्री क० पेरियास्वामी (करूर)
गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घारे, श्री अंकुशराव वेंकटराव (जालना)
घोडासार, श्री फतहसिंहजी (कैरा)
घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री विमल कुमार(बैरकपुर)
घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)
घोष, श्री महेन्द्र कुमार (जमशेदपुर)
घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)
घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)
चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)
चन्दा, श्री अनिल कु० (वीरभूम)
चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)
चंद्रामणि कालो, श्री (सुन्दरगढ़---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
चावन, श्री दा० रा० (कराड़)
चांडक, श्री बी० ल० (छिन्दवाड़ा)
चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)
चुनोलाल, श्री (अम्बाला--रक्षित---अनुसूचित जातियां)
चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)
चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदिव कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री सु० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम--रक्षित---अनुसूचित जातियां)
जयपाल सिंह, श्री (रांची-पश्चिम---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातिया)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)
जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)
जीनचन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)
जेधे, श्री केशवराव मारुतिराव (बारामती)

ज—(क्रमशः)

जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)
जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)
जोगेन्द्र सिंह, सरदार (बहराइच)
जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)
जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)
ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)
झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुरसिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर-मध्य)
डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
डिन्डोड, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)
तारिक, श्री अली मुहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (केसरिया)
तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़—खंडवा)
तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)
तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)
तुलाराम, श्री (इटावा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)
त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)
त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (उन्नाव)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम्)

द

दलजीत सिंह,, श्री (कांगड़ा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)
दामानी, श्री सू० र० (जालोर)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दास, डा० मन मोहन (आसनसोल---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दासगुप्त, श्री विभूति भूषण (पुरुलिया)
दासप्पा, श्री (बंगलौर)
दिगे, श्री शंकरराव खांडेराव (कोल्हापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दिनेश सिंह, श्री (बांदा)
दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)
दुबलिश, श्री विष्णु शरण (सरधना)
देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)
देव, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)
देव, श्री प्रताप केशरी (कालाहांडी)
देव, श्री प्र० गं० (अंगुल)
देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)
देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)
दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)
द्रोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)
धर्मलिंगम, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्प, श्री (नीलगिरि)
नथवानी, श्री नरेन्द्र भाई (सोरठ)
नंदा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)
नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरि)

न—(क्रमश:)

नलदुर्गकर, श्री वेंकटराव श्रीनिवासराव (उस्मानाबाद)
नल्लाकोया, श्री कोयिलाट (नामनिर्देशित—लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप)
नाथ पाई, श्री (राजापुर)
नादर, श्री थानुलिंगम (नागरकोईल)
नायक, श्री मोहन (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नायडू, श्री गोविन्दराजुलू (तिरुवल्लूर)
नायडू, श्री मुत्तुकुमारसामी (कडलूर)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नायर, श्री कुट्टिकृष्णन्, (कोजीकोड)
नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)
नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन् (तिरुवल्ला)
नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नारायणस्वामी, श्री (पेरियाकुलम्)
नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)
नेगी, श्री नेकराम (महासू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़-दक्षिण)
नेहरू, श्री जवाहर लाल (फूलपुर)
नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटनायक, श्री उमाचरण (गंजम)
पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
पटेल, श्री पुरुषोत्तमदास र० (मेहसाना)
पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)
पटेल, सुश्री मणिबेन वल्लभभाई (आनन्द)
पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम)
पद्मदेव, श्री (चम्बा)
पन्नालाल, श्री (फैजाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
परागीलाल, श्री सीतापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परूलकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)
पलनियाण्डी, श्री (पेरम्बलूर)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)
पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)
पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)
पांडे, श्री सरजू (रसरा)

प---(क्रमशः)

पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)
पाटिल, श्री नाना (सतारा)
पाटिल, श्री बालासाहेब (मिराज)
पाटिल, श्री र० ढ़ो० (भीर)
पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर-दक्षिण)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)
पादलू, श्री कनकपति वीरन्ना (गोलुगोंडा---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास-उत्तर)
पिल्ले, श्री पे० ति० थानू (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री (अम्बल पुजा)
पेकर साहेब, श्री (मंजेरी)
प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बदन सिंह, चौ० (बिसौली)
बनर्जी, डा० रामगोति (बांकुरा)
बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)
बनर्जी, श्री प्रमथनाथ (कण्टाई)
बनर्जी, श्री स० म० (कानपुर)
बरुआ, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (शिवसागर)
बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)
बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बलदेव सिंह, सरदार (होशियारपुर)
बसुमतारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बांगशी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडीगल---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बाल्मीकी, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)
बिदारी, श्री रामप्पा, बालप्पा (बीजापुर-दक्षिण)
बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोड़ा)

ब--(क्रमशः)

बीरबल सिंह, श्री (जौनपुर)
बैक, श्री इगनेस (लोहरदगा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
बैरो, श्री (नामनिर्देशित--आंग्ल-भारतीय)
बोस, श्री प्रभात चन्द्र (धनबाद)
ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)
'ब्रजेश' पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)
ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)
भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)
भगवती, श्री बि० (दरांग)
भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवनजी (अकोला--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
भट्टाचार्य, श्री चपल कांत (पश्चिम दीनाजपुर)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खानदेश)
भार्गव, पंडित ठाकुर दास (हिसार)
भार्गव, पंडित मुकट बिहारी लाल (अजमेर)
भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)
मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)
मजोठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मणियंगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टम्)
मतीन, काजी (गिरिडीह)
मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
मनायन, श्री (दार्जिलिंग)
मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)
मल्होत्रा, श्री ठाकुर दास (जम्मू तथा काश्मीर)
मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)
मसानी, श्री मी० रु० (रांची-पूर्व)
मसुरिया दीन, श्री (फूलपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)

म—(क्रमशः)

महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)
महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)
माईति, श्री नि० वि० (वाटल)
माझी, श्री राम चन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
माथुर, श्री मथुरा दास (नागौर)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)
माने, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, पंडित गोविन्द (सुल्तानपुर)
मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री केशव देव (बस्ती)
मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराहो—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री भगवान दीन (केसरगंज)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगू सराय)
मिश्र, श्री रबुबर दयाल (बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)
मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)
मिश्र, श्री विभूति (बगहा)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—मध्य)
मुत्तकृष्णन्, श्री मु० (बेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)
मुरुमू, श्री पाइका (राजमहल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनू)
मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, शेख (जम्म तथा काश्मीर)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० स० (काकिनादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)
मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)
मेनन, श्री वें० कृ० कृष्ण (बम्बई नगर–उत्तर)
मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकन्दपुरम्)
मेलकोटे, डा० (रायचूर)
मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)
मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मेहदी, श्री सै० अहमद (रामपुर)

मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दूलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)

र

रंगा, श्री (तेनालि)
रंगाराव, श्री (करीम नगर)
रघुनाथ सिंहजी, श्री (बाड़मेर)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुबीर सहाय, श्री (बदायूं)
रघुरामैया, श्री कोत्ता (गुण्टूर)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान, श्री मु० हिफ़ज़ुर (अमरोहा)
राउत, श्री भोला (चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राउत, श्री राजाराम बालकृष्ण (कोलाबा)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजय्या, श्री देवनपल्ली (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)
राजू, श्री विजयराम (विशाखापटनम)
राजेन्द्र सिंह, श्री (छपरा)
राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हजारीबाग)
राधामोहन सिंह, श्री (बलिया)
राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)
राने, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)
राम कृष्ण, श्री (महेंद्र गढ़)
रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)
रामगरीब, श्री (बस्ती—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामधनी दास, श्री (नवादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)
रामम्, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)
राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)
रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)
रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामस्वामी, श्री सें० ें० (सैलम)

र—(क्रमशः)

रामशंकर लाल, श्री (डुमरियागंज)
राम शरण, श्री (मुरादाबाद)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)
राय, श्री खुशवक्त (खेरी)
राय, श्री बीरेन (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम)
राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)
राय, श्री विश्व नाथ (सलेमपुर)
राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)
राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम्)
राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)
राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगौंडा)
राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)
राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री हनुमन्त (मेदक)
रुंगसुंग सुइसा, श्री (बाह्यमनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)
रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)
रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)
रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)
रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमपेट)

लक्ष्मण सिंह, श्री (नामनिर्देशित—अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)
लच्छीराम, श्री (हमीरपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लाश्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लाहिरी, श्री जितेन्द्रनाथ (श्रीरामपुर)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्पारन)
वर्मा, श्री माणिक्य लाल (उदयपुर)
वर्मा श्री राम सिंह भाई (निमाड़)

व—(क्रमशः)

वर्मा, श्री राम जी (देवरिया)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)
वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वारियर, श्री कृ० की० (त्रिचूर)
वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (मंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
विजय राजे, कुंवररानी (छतरा)
विल्सन, श्री जान न० (मिर्जापुर)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वीरेन्द्र सिंह जी, श्री (रायपुर)
वेद कुमारी, कुमारी मोत्ते (एलुरु)
वेंकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकान्ति (अडोनी)
वेरावन, श्री अ० (तंजोर)
वोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)
व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)
व्यास, श्री राधे लाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शंकरपांडियन, श्री (टंकासी)
शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरदासपुर)
शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)
शर्मा, श्री हरिश चन्द्र (जयपुर)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)
शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)
शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)
शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)
शाह, श्रीमती जयाबेन वजुभाई (गिरनार)
शव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शवनजप्पा, श्री (मंडया)
शवराज, श्री (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलौदा बाजार)
शोभा राम, श्री (अलवर)
श्री नारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

संगण्णा, श्री तो० (कोरापट––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
संबंदम्, श्री (नागपट्टिनम)
सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (महाराजगंज)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्य नारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम्––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)
सम्पत्, श्री (नामक्कल)
सरदार, श्री भोली (सहरसा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)
सहगल, सरदार अमर सिंह (जंजगीर)
सहोदरा बाई, श्रीमती (सागर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
साधूराम, श्री (जालन्धर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)
सामन्तसिंहार, डा० न० च० (भुवनेश्वर)
सालंके, श्री बाला साहेब (खेड़)
साहु, श्री भागवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सिंह, श्री क० ना० (शहडोल––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
सिंह, श्री चन्डिकेश्वर शरण (सरगूजा)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)
सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)
सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर)
सिंह, श्री त्रि० ना० (चन्दौली)
सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज)
सिंह, श्री लैसराम अचौ (आन्तरिक मनीपुर)
सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद––बिहार)
सिंह, श्री हर प्रसाद (गाजीपुर)
सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)
सिदय्या, श्री (मैसूर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)
सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)
सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)
सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)
सुगन्धि, श्री सु० मु० (बीजापुर––उत्तर)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सुब्बारायन्, डा० (तिरुचेंगोड)
सुब्राह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

स---(क्रमशः)

सुमत प्रसाद, श्री (मुज्जफरनगर)
सुल्तान, श्रीमती मैमना (भोपाल)
सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)
सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)
सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता---उत्तर-पश्चिम)
सेन, श्री फनी गोपाल (पूर्निया)
सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
सैयद महमूद, डा० (गोपालगंज)
सोनावाने, श्री तयप्पा (शोलापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
सोनुले, श्री हरिहरराव (नांदेड़)
सोमानी, श्री ग० ध० (दौसा)
सोरेन, श्री देवी (दुमका---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
स्वर्ण सिंह, सरदार (जालंधर)
स्वामी, श्री (चांदा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
हजारनवीस, श्री रा० मा० (भंडारा)
हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)
हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)
हाल्दर, श्री कन्सारी (डायमण्ड हार्बर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
हिनिटा, श्री हूवर (स्वायत्त जिले---रक्षित---अनसूचित आदिम जातियां)
हुक्म सिंह, सरदार (भटिण्डा)
हेडा, श्री ह० चं० (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री मोहम्मद इमाम
श्री वे० रा० पट्टाभिरामन
श्री जयपाल सिंह

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री शिवराम रंगो राने
श्री श्रीनारायण दास
श्री ब० स० मूर्ति
श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री रघुबीर सहाय
श्री त० ब० विट्ठलराव
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी
श्री सुरेन्द्र महन्ती
श्री जयपाल सिंह
श्री विजयराम राजू

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
श्री सत्य नारायण सिंह

विशेषाधिकार समिति—(क्रमशः)

श्री अशोक कुमार सेन
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय
डा० सुब्बारायन
श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल
श्रीमती जयाबेन बजूभाई शाह
श्री ना० वाडीवा
श्री सारंगधर सिन्हा
श्री शिवराम रंगो राने
श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी
श्री इन्दुलाल कन्हैया लाल याज्ञिक
श्री विमल कुमार घोष
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री हूवर हिनिटा

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**
श्रीमती शकुन्तला देवी
श्री व० ना० स्वामी
श्री अय्याकण्णु
श्री राम कृष्ण
श्री अमल कृष्ण दास
श्री सूरती किस्तैया
श्री रूंग सुंग सुइसा
श्री बी० ल० चांडक
श्री क० र० आचार
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही
श्री करसनदास परमार
श्री यादव नारायण जाधव
श्री हरिश्चन्द्र शर्मा
श्री इगनेस बैक

प्राक्कलन समिति

श्री ब० गो० मेहता—**सभापति**
श्री श्रीपाद अमृत डांगे
सरदार जोगेन्द्रसिंह
डा० सुशीला नायर
श्री राधा चरण शर्मा
चौधरी रणवीर सिंह
श्री गोपालराव खेडकर

प्राक्कलन समिति—(क्रमशः)

श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री तिरुमल राव
श्री विश्वनाथ रेड्डी
श्री रामनाथन् चेट्टियार
श्री न० रं० घोष
पंडित गोविंद मालवीय
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री मथुरा दास माथुर
श्री डोडा तिमैया
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री र० के० खाडिलकर
श्री भा० कृ० गायकवाड़
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री रोहन लाल चतुर्वेदी
श्रीमती मफीदा अहमद
काजी मतनि
श्री नरेन्द्रभाई नथवानी
श्री राजेश्वर पटेल
श्री विजयराम राजू
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री शंकर पांडियन
श्री झूलन सिंह
श्री रामजी वर्मा

आश्वासनों सम्बन्धी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**
श्री अनिरुद्ध सिंह
श्री मल चन्द दुबे
श्री भक्त दर्शन
श्री चि० र० बासप्पा
श्री सुब्बया अम्बलम्
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री नवल प्रभाकर
श्री जसवंत राज मेहता
श्री मोती लाल मालवीय
श्री कमल सिंह
श्री अटल बिहारी बाजपेयी
श्री रामजी वर्मा
श्री र० के० खाडिलकर
श्री वासुदेवन नायर

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**
पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी
श्रीमती उमा नेहरू
पंडित द्वारिका नाथ तिवारी
श्रीमती कृष्णा मेहता
श्री अब्दुल सलाम
श्री जियालाल मंडल
श्री क० गु० वोडयार
श्री नानूभाई निन्छाभाई पटेल
श्री पेन्देकान्ति वेंकटासुब्बैया
श्री प्रताप सिंह दौलता
श्री द० रा० चावन
श्री बै० च० मलिक
श्री रामचन्द्र माझी
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
सरदार अमर सिंह सहगल
श्री नरेन्द्र भाई नथवानी
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री कृष्ण चन्द्र
श्री भूलन सिंह
श्री संबंदम्
श्री स० अ० अगाड़ी
श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया
श्री सुन्दर लाल
श्री ईश्वर अय्यर
श्री बाला साहेब पाटिल
श्री प्रमथ नाथ बनर्जी
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री शम्भूचरण गोडसोरा

लोक-लेखा समिति

लोक-सभा

श्री रंगा—**सभापति**
डा० राम सुभग सिंह
पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी
श्री रामेश्वर साहू
श्री तो० संगण्णा

लोक-लेखा समिति—(क्रमशः)

लोक-सभा—(क्रमशः)

श्री अ० चं० गुह
श्री न० रा० मुनिस्वामी
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्री रघुबर दयाल मिश्र
श्री दासप्पा
श्री अरविन्द घोषाल
श्री प्रभात कार
श्री जयपाल सिंह
श्री शिवराज
श्री खुशवक्त राय

राज्य-सभा

राजकुमारी अमृत कौर
श्री अमोलक चन्द
श्री टी० आर० देवगिरिकर
श्री एस० वेंकटरामन
श्री एम० गोविन्द रेड्डी
श्री रोहित मनुशंकर दवे
श्री एम० बसवपुनैय्या

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
श्री फणि गोपाल सेन
श्री अजित सिंह सरहदी
श्री ठाकुर दास मलहोत्रा
श्री क० स० रामस्वामी
श्री सिंहासन सिंह
श्री जितेन्द्र नाथ लाहिरी
श्री बहादुर सिंह
श्री विश्वनाथ रेड्डी
श्री कन्हैया लाल भेरूलाल मालवीय
श्री अरविन्द घोषाल
श्री मोहम्मद इमाम
डा० कृष्णस्वामी
श्री ब्रजराज सिंह
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**
सरदार हुक्म सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति—(क्रमशः)

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री ब० गो० मेहता
श्री रंगा
श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री मूलचन्द दुबे
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री श्रीपाद अमृत डांगे
आचार्य कृपालानी
श्री इन्दुलाल याज्ञिक
श्री जयपाल सिंह
श्री विजयराम राजू
श्री प्र० के० देव
श्री भा० कृ० गायकवाड़
डा० कृष्णस्वामी
श्री मोहम्मद इमाम
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

आवास समिति

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या—सभापति
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री दिग्विजय नारायण सिंह
श्री राजेश्वर पटेल
श्री मणिकलाल मगनलाल गांधी
श्री मि० सू० मूर्ति
श्रीमती मैमूना सुलतान
श्री कमल कृष्ण दास
श्री बैरो
श्रीमती पार्वती कृष्णन
श्री खुशवक्त राय
श्री भाऊसाहेब रावसाहेब महागांवकर

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारायण सिंह—सभापति
श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री दीवन चन्द शर्मा

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति—(क्रमशः)

लोक-सभा—(क्रमशः)

श्री चपलकान्त भट्टाचार्य
श्री कन्हैयालाल खादीवाला
श्री रघुबर दयाल मिश्र
श्री दुरायस्वामी गौण्डर
श्री नारायण गणेश गोरे
श्रीमती पार्वती कृष्णन्
श्री उ० मयुरमलिंग तेवर

राज्य-सभा

श्रीमती अम्मु स्वामिनाथन्
श्री अमर नाथ अग्रवाल
श्री जसपत राय कपूर
डा० आर० पी० दुबे
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—सभापति
सरदार हुक्म सिंह
श्री सत्य नारायण सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्
श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम
श्री राधे लाल व्यास
श्री तय्यपा हरि सानावने
श्री शिवराम रंगो राने
डा० सुशीला नायर
श्री तंगामणि
श्री पुरुषोत्तम दास पटेल
श्री अमजद अली
श्री मी० रु० मसानी
श्री भाऊराव कृष्णराव गायकवाड़

भारत सरकार

मंत्रि-मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भारसाधक मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री—श्री गोविन्द वल्लभ पन्त

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मंत्री—श्री जगजीवन राम

वित्त मंत्री—श्री मोरारजी देसाई

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा

परिवहन तथा संचार मंत्री—श्री स० का० पाटिल

विधि मंत्री—श्री अ० कु० सैन

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

सिंचाई और विद्युत् मंत्री—हाफिज मुहम्मद इब्राहीम

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री—श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री अजित प्रसाद जैन

प्रतिरक्षा मंत्री —श्री व० कृ० कृष्णमेनन

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री —श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बा० वि० केसकर

स्वास्थ्य मंत्री—श्री दी० प० करमरकर

सहकार मंत्री—डा० पंजाबराव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री—श्री केशव देव मालवीय

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री—श्री मेहर चन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री—श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास मंत्री—श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा मंत्री —डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायन कबिर

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री—डा० बे० गोपाल रेड्डी

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया

श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली

उपमंत्री (क्रमशः)

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री--श्री अनिल कु० चन्दा
कृषि उपमंत्री--श्री मो० वें० कृष्णप्पा
सिंचाई और विद्युत उपमंत्री--श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी
वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री--श्री सतीश चन्द्र
योजना उपमंत्री--श्री श्याम नन्दन मिश्र
वित्त उपमंत्री--श्री ब० रा० भगत
वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री--डा० मनमोहन दास
रेलवे उपमंत्री--श्री शाहनवाज़ खां
रेलवे उपमंत्री--श्री सें० वें० रामस्वामी
वैदेशिक कार्य उपमंत्री--श्रीमती लक्ष्मी मेनन
गृह-कार्य उपमंत्री--श्रीमती वायलेट आल्वा
प्रतिरक्षा उपमंत्री--श्री कोत्ता रघुरामैया
असैनिक उड्डयन उपमंत्री--श्री मुहउद्दीन
खाद्य तथा कृषि उपमंत्री--श्री अ० म० थामस
पुनर्वास उपमंत्री--श्री पू० शे० नास्कर
विधि उपमंत्री--हजारनवीस
वित्त उपमंत्री--श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सभा सचिव

वैदेशिक-कार्यमंत्री के सभा सचिव--श्री सादत अली खां
वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव--श्री जो० ना० हजारिका
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव--श्री जी० राजगोपालन
श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव--श्री ललित नारायण मिश्र
प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव--श्री फतेहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव--श्री आ० चं० जोशी
सामुदायिक विकास मंत्री के सभा सचिव--श्री ब० स० मूर्ति
इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव--श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शुक्रवार, २१ नवम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बम्बई और कलकत्ता के बीच अतिरिक्त रेलगाड़ी

†*१३० { **श्री वि० च० शुक्ल :**
श्री प्र० क० देव :
श्री बैं० च० मलिक :
श्री संगण्णा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और कलकत्ता के बीच नागपुर होते हुये एक अतिरिक्त तेज चलने वाली गाड़ी चलाने अथवा इसके बदले में बम्बई-नागपुर एक्सप्रेस को कलकत्ता तक बढ़ाने के संबंध में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं क्योंकि इस क्षेत्र में तीन नये इस्पात संयंत्रों की स्थापना हो जाने से नागपुर—कलकत्ता क्षेत्र में यातायात बहुत अधिक बढ़ गया है ; और

(ख) यदि हां तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) जी हां ।

(ख) नागपुर और हावड़ा के बीच एक तेज चलने वाली गाड़ी के चलाये जाने की मांग उचित है । फिलहाल रेलवे लाइन की क्षमता में कमी तथा सवारी डिब्बों और रेलवे इंजनों की कमी के कारण हावड़ा और नागपुर के बीच एक अतिरिक्त तेज चलने वाली रेलगाड़ी चलाना व्यवहार्य नहीं है । फिर भी सवारी डिब्बे तथा लाइन उपलब्ध होने की

†मूल अंग्रेजी में ।

245 (A) L.S.D.—1.

स्थिति में इस खंड की वर्तमान गाड़ियों में उनके 'लोड' में वृद्धि करके अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करने के लिये कार्यवाही की गई है ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या सरकार को यह मालूम है कि जिस अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था की गई है वह अत्यंत अपर्याप्त है और नागपुर तथा हावड़ा के बीच विशेषकर इस्पात कारखाना वाले नगरों को जाने वाले यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसी प्रकार एक गाड़ी चलाने के बारे में विचार करेगी ....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य केवल इस विषय पर बहस करना चाहते हैं । मैं ऐसे लम्बे प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता जिसमें प्रश्न के बाद उनकी प्रस्तावना आती है ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या मैं जान सकता हूं कि ....

†**अध्यक्ष महोदय** : जी नहीं । यह कार्य करने के लिये एक सुझाव है । माननीय सदस्य छोटे प्रश्न पूछें जिनसे केवल उत्तर ही अपेक्षित हों ।

†**श्री प्र० के० देव** । क्या सरकार इस लाइन पर कलकत्ता से बम्बई तक नागपुर होकर एक जनता गाड़ी शुरू कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस खंड की लाइन क्षमता अधिकांशतः रेलवे लाइन को दोहरा करके बढ़ा दी गई है । अब लाइन क्षमता की कठिनाई किस प्रकार है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमने अभी तक दुर्ग और रुरकेला के बीच की रेलवे लाइन को दोहरा करने का काम पूरा नहीं किया । मैं यह बताना चाहता हूं कि नागपुर और हावड़ा के बीच आने जाने वाली तीन गाड़ियां हैं । यदि एक और सवारी गाड़ी चलायी गई तो इसका अर्थ यह होगा कि एक माल गाड़ी बंद करनी होगी । परंतु इस लाइन पर माल का यातायात बहुत अधिक है ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : ज्यों ही दुर्ग और रूरकेला के बीच लाइन दोहरे करने का काम पूरा हो जायगा त्यों ही क्या सरकार एक दूसरी तेज चलने वाली गाड़ी चलाने का विचार करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सारी बातें कार्यवाही के लिये सुझाव हैं । हम उत्तर प्राप्त नहीं कर रहे ।

†**श्री प्र० क० देव** : क्या मैं वह अनुमानित तारीख जान सकता हूं जब गाड़ियों की क्षमता का पूरा उपयोग होने लगेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जैसा कि मैं पहिले बता चुका हूं नागपुर और हावड़ा के बीच चलने वाली गाड़ियों की क्षमता का पूरा उपयोग कर लिया गया है । वजन की क्षमता पहिले ही पूरी कर दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री आसर** : बम्बई और नागपुर के बीच चलने वाली नागपुर एक्सप्रेस और नागपुर मेल में अधिक भीड़ होने की दृष्टि से क्या सरकार नागपुर और मनमाड़ के बीच एक अतिरिक्त बोगी लगाने का विचार करेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : इस सेक्शन पर डीजल के रेलवे इंजन किस अवस्था में चलाने का विचार है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : अभी उस अवस्था में काफी देर है ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या यह सच है कि पिछले २० वर्षों में इस लाइन पर कोई अतिरिक्त गाड़ी नहीं चलाई गई ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं बता चुका हूं कि इस सेक्शन में लाइन क्षमता नहीं है। इस पर जितनी अधिक गाड़ियां चल सकती हैं वे पहिले से चल रही हैं । इसके अलावा कोई गाड़ी चलाना संभव नहीं है ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय मंत्री जो उत्तर दे सकते हैं वह इतना ही है ।

विजगापत्तम पत्तन का विकास

†*१३१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १२ अगस्त १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजगापत्तम पत्तन के विकास संबंधी परियोजना को अंतिम रूप देने के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) अंतिम योजना का स्वरूप क्या है ; और

(ग) क्या विकास कार्य शुरू कर दिया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

परियोजना के दो भाग हैं :—

(१) चार बर्थों का निर्माण जिनमें से दो साधारण माल के लिये और दो कच्ची धातुओं के लिये होंगे ।

(२) कच्ची धातुओं को लाने ले जाने के लिये बेल्ट कनवेयर प्रणाली तथा रेलवे लाइनें बेल्ट कनवेयर संयंत्र आदि जैसी सहायक सुविधाओं की व्यवस्था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके अनुसार ४.५० करोड़ रुपये लगेंगे और इसमें से विदेशी मुद्रा का हिस्सा २.१० करोड़ रुपये होगा ।

चार बर्थ बनाने का अनुमान विजगापत्तम के पत्तन प्रशासक अधिकारी से प्राप्त हो गया है और सरकार उस पर विचार कर रही है । बर्थ बनाने के लिये तल की मिट्टी हटाने का कुछ कार्य पहिले ही पूरा हो चुका है ।

रेलवे तथा राज्य व्यापार निगम से कुछ विशेष ब्यौरे प्राप्त हो जाने पर बेल्ट कनवेयर प्रणाली के नमूने का अंतिम निर्णय किया जाएगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

†**श्री राजबहादुर :** जैसा कि विवरण में बताया गया है हमें परियोजना के पहिले भाग के संबंध में कुछ अनुमान अभी अभी मिले हैं । अभी उनकी वित्त मंत्रालय में जांच हो रही है । उन्होंने कुछ और जानकारी मांगी है । ज्योंही वह पूरी हो जाएगी त्योंही हम अंदाजन वह तारीख बता सकेंगे जब परियोजना पूरी हो जाएगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** विवरण में यह उल्लेख किया गया है कि अनुमानित लागत के ४.५ करोड़ रुपयों में से विदेशी मुद्रा का हिस्सा २.१ करोड़ रुपये है । क्या इसे आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाएगा अथवा क्या कोई अन्य देश इसको पूरा करेगा ?

†**श्री राज बहादुर :** हम इसे अमेरिका के राष्ट्रपति की एशियाई आर्थिक विकास निधि से पूरा करने की आशा करते हैं ।

†**श्री उ० च० पटनायक :** क्या इस मंत्रालय ने श्री मुर्रे की इस संबंध में की रिपोर्ट की जांच कर ली है कि विजगापत्तम पत्तन में उस स्थिति में अड़चन है जब कि वहां की सकरी नहर में इस बात का खतरा है कि दुर्घटना से या दुश्मन की कार्यवाही से जहाज डूब न जाए ? ऐसी स्थिति में क्या उत्तर में एक दूसरी नहर बनाने के सुझाव पर भी विचार कर लिया गया है ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं इस विशेष प्रश्न का कोई खास उत्तर नहीं दे सकता । फिर भी मैं इतना कह सकता हूं कि हम बढ़े हुये यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिये पत्तन की क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री उ० च० पटनायक :** क्या मंत्रालय ने प्राक्कलन समिति की पिछले साल की आठवीं रिपोर्ट की जांच कर ली है जिसमें उसने उन्हीं खतरों और अड़चनों का उल्लेख किया है जो श्री मुर्रे तथा सर एलेक्जेंडर गिप्स ने बताये थे ?

†**श्री राज बहादुर :** प्राक्कलन समिति के संबंधित प्रतिवेदन की परिवहन तथा संचार मंत्रालय में जांच कर ली गई है ।

†**श्री० उ० च० पटनायक :** रिपोर्ट प्रतिरक्षा मंत्रालय से संबंधित थी अतएव मैं में यह जानना चाहता हूं कि क्या परिवहन मंत्रालय ने उसकी जांच कर ली है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा में जिरह करने का प्रश्न नहीं है । प्रश्न विजगापत्तम पत्तन की विकास संबंधी परियोजना से संबंधित है । उन्होंने उसका उत्तर दे दिया है । नहर के संबंध में उन्होंने कहा है कि उन्होंने उसकी परीक्षा नहीं की अथवा कुछ उसी प्रकार की चीज कही है । अब इस मामले के पीछे पड़ने से क्या लाभ है ?

†**श्री राज बहादुर :** माननीय सदस्य ने कहा है कि यह हमारे मंत्रालय से संबंधित नहीं है परन्तु वह प्रतिरक्षा मंत्रालय से संबंधित है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** क्या यह सच है कि हाल ही में सरकार ने विश्व बैंक के श्री पास्थुमा को विजगापत्तम पत्तन बुलाया है और यदि हां तो क्या उससे विकास कार्यक्रम में बाधा नहीं पड़ेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : हमने विभिन्न पत्तनों से संबंधित विकास परियोजनाओं के बारे में परामर्श देने के लिये श्री पास्थुमा की सेवायें कुछ समय के लिये प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा है ।

†**श्री राम कृष्ण** : इस योजना पर विदेशी मुद्रा को मिलाकर कुल कितनी राशि खर्च होगी ?

†**श्री राज बहादुर** : यह विवरण में दे दी गई है । यह रकम ४.५ करोड़ रुपये होती है ।

†**श्री तंगामणि** : जो चार बर्थ बनने वाले हैं, उनमें से दो कच्ची धातुओं के निर्यात के लिये होंगे इस तथ्य की दृष्टि से क्या तली की मिट्टी की खुदाई के बाद निर्माण के कार्य में शीघ्रता की जाएगी ? तली की मिट्टी की खुदाई के बाद निर्माण कार्य में शीघ्रता करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री राज बहादुर** : वास्तव में यह चार नये बर्थ बनाने की तैयारी ही है ।

†**श्री नागी रेड्डी** : इस तथ्य की दृष्टि से कि इस कार्यक्रम को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है, क्या इसे द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अंत तक पूरा करने के लिये प्रबंध कर लिया गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : हम ऐसा ही करने की आशा करते हैं ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : चूंकि खनिज पदार्थों का निर्यात निश्चित रूप से जहाजों के टन भार से संबंधित है, अतएव विजगापत्तम पत्तन में बनाये जाने वाले नये बर्थों का उपयोग कितने टन भार वाले जहाज कर सकेंगे ?

†**श्री राज बहादुर** : जब हम किसी जहाज द्वारा किसी पत्तन के उपयोग की बात करते हैं, तब हम जहाज की लम्बाई और गहराई दोनों का विचार करते हैं । जैसा कि हमारा प्रस्ताव है, जब नहर गहरी कर दी जाएगी तब ३५ फुट गहराई वाले जहाज भी आ सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय नदियों की सिंचाई तथा जलविद्युत संभावनायें

+

†*१३२. { श्री राम कृष्ण :
श्री दी० चं० शर्मा:

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २७ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८८५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करें कि भारतीय नदियों की सिंचाई तथा जल विद्युत संभावनाओं के सम्पूर्ण अध्ययन के कब तक पूरे होने की आशा है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : प्रारंभिक अध्ययन लगभग दो वर्षों में पूरा हो जाएगा । ब्यौरेवार अध्ययन के पूरे होने में कम से कम पांच वर्षों का अनुमान लगाया गया है ।

†**श्री राम कृष्ण :** जिस भारतीय नदी पर अध्ययन कार्य शुरू हो गया है उसका क्या नाम है और उसकी जल विद्युत संभावनाओं का क्या अनुमान लगाया गया है ?

†**श्री हाथी** : अभी तक की जल विद्युत् संभवनाओं का अनुमान ४१० लाख किलो वाट लगाया गया है । जिन नदियों के कछार का अध्ययन हुआ है उनमें पश्चिमी घाट की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, दक्षिणी घाट की पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, मध्य भारत की नदियां, ब्रह्मपुत्रा का कछार और गंगा का कछार शामिल है । सिंधु नदी के कछार में सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया ।

†**श्री राम कृष्ण** : इस योजना पर कुल कितना रुपया खर्च किया जाएगा और उसमें से कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

†**श्री हाथी** : द्वितीय पंचवार्षीय योजना में पड़ताल के लिये केन्द्रीय सरकार ने लगभग ८० लाख रुपये की व्यवस्था की है । इसमें से लगभग १५ लाख रुपये खर्च हो चुके हैं ।

†**श्री अ० चं० गुह** विभिन्न राज्यों के बीच सिंचाई के पानी तथा जल विद्युत् की संभावनाओं का बराबर बराबर वितरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से क्या भारत की महत्वपूर्ण नदियों के लिये एक नदी बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

†**श्री हाथी** : शायद सभा को यह मालूम है कि हमने अंतप्रांतीय नदियों और ऐसी परियोजनाओं के लिये जिनसे एक से अधिक राज्यों को लाभ होगा नदी बोर्ड स्थापित करने का उपबंध करने वाला विधान पारित कर लिया है । अभी तक किन्हीं भी दो राज्यों के बीच किसी विशेष बड़ी योजना के बारे में कोई विवाद नहीं हुआ । उनमें से अधिकांश विवाद केन्द्रीय सरकार के बीच बचाव द्वारा पारस्परिक रूप से कर लिये गये हैं । परंतु यदि आवश्यक हुआ तो बोर्ड स्थापित किये जाएंगे ?

†**श्री नागी रेड्डी** : क्या सरकार ने दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित गोदावरी, कृष्णा और पेन्नार नदियों की सिंचाई संभावनाओं का मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया है ?

†**श्री हाथी** उनका सर्वेक्षण अभी भी चल रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : किन नदियों का सर्वेक्षण पूरा हो गया है और उनके बारे में अंतिम निर्णय कर लिया गया है ?

†**श्री हाथी** : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहिले ही दे चुका हूं ।

†**श्री हेम बरूआ** : उपमंत्री ने ब्रह्मपुत्रा नदी की जल विद्युत संभावनाओं के निर्धारण का उल्लेख किया है । क्या ब्रह्मपुत्रा के इस जल विद्युत संभावना के निर्धारण में उसके उस मोड़ की जल विद्युत संभावना भी शामिल है जहां ब्रह्मपुत्र त्सांगपू नदी से अलग होती है, और यदि हां, तो इस मोड़ की निर्धारित जल विद्युत संभावना क्या है ?

†**श्री हाथी** : वास्तव में यह नेपाल की सीमा की जल विद्युत संभावना है । इसमें यह शामिल नहीं है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सतलुज, व्यास और रावी नदियों का अध्ययन भी किया गया है और यदि हां, तो अध्ययन में अब तक कितनी प्राप्ति हुई है ?

†**श्री हाथी** : मैंने बताया था कि सिंधु के कछार की जल विद्युत संभावनाओं का ब्यौरेवार सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ ।

†**श्री च० दी० पांडे** : इस प्रकार का अनुमान करते समय इस कार्य में रत व्यक्ति क्या हिमालय की उन नदियों का भी विचार करेंगे जिनमें बहुत अधिक बहाव है और उनका पानी बार बार उपयोग में लाया जा सकता है ?

†**श्री हाथी**: वे इसका विचार गंगा कछार, ब्रह्मपुत्रा कछार और सिंधु के कछार का सर्वेक्षण करते समय करेंगे ।

दंडकारण्य परियोजना के लिये रेलमार्ग

†*१३३. **श्री संगण्णा**: क्या **रेलवे** मंत्री दण्डकारण्य परियोजना के लिये रेलमार्ग से संबंधित २३ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जयपुर होकर जाने वाले बैला दिल्ला-कोट्टावालास रेल सम्पर्क का सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने के लिये प्रारम्भिक काम करने का आर्डर दे दिया गया है।

†**श्री संगण्णा** : क्या परियोजना की पड़ताल पूरी हो गई है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जी, नहीं। उसे शुरू करना है। हमने पुनर्वास मंत्रालय को २२ लाख रुपयों का एक अनुमान प्रस्तुत किया था और उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ।

†**श्री संगण्णा** : परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और क्या उसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है अथवा तृतीय पंचवर्षीय योजना में ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया। हमें अनुमानित लागत नहीं मालूम क्योंकि अभी प्रारंभिक सर्वेक्षण होना बाकी है।

†**श्री पाणिग्रही** : दण्डकारण्य परियोजना द्वारा जो पुस्तिका परिचालित की गई है उसमें बताया गया है कि अधिकांश सर्वेक्षण हो चुका है परन्तु रेलवे लाइन के लिये अन्तिम सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ। अन्तिम सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जाएगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : १९४८ में एक सर्वेक्षण किया गया था परन्तु पता चला कि उस पर बहुत लागत आरही है क्योंकि जमीन की सतह काफी कड़ी है। परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल के शरणार्थियों को बसाने की इस दंडकारण्य परियोजना को शुरु किया गया था और इस क्षेत्र में रेलवे लाइन बनाना उसका एक अंग है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे केवल यह जानना चाहते हैं कि अंतिम अनुमान कब तैयार होगा।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रारंभिक सर्वेक्षण में भी दो वर्ष से अधिक समय लग जायेगा।

†**श्री पाणिग्रही** : यदि निकट भविष्य में इस रेल मार्ग के बनने की संभावना नहीं है तो इस क्षेत्र में अन्य कौन सी लाइनें अथवा संचार सुविधाओं को विकसित किया जायेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं अन्य लाइनों के बारे में नहीं जानता। जहां तक रेलवे का प्रश्न है, जैसा कि मैं पहिले बता चुका हूं, प्रारंभिक सर्वेक्षण में भी दो वर्ष से अधिक लग जाएंगे ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि जहां शरणार्थियों को बसाया जा रहा है उस स्थान से निकटतम रेलवे स्टेशन लगभग १०० मील दूर है ; और यदि हां, तो क्या इस परियोजना को भी प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि अब शरणार्थियों के लिये इस परियोजना को प्राथमिकता दी गई है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी**: मुझे खेद है कि यह प्राथमिकता वाली परियोजना नहीं है। प्राथमिकता परियोजना जापान को लौह अयस्क का निर्यात करने से संबंधित है और हम कि ी-बुरू खदानों को प्राथमिकता दे रहे हैं और इसे उतनी ही प्राथमिकता नहीं मिल रही।

†**श्री संगण्णा** : क्या सर्वेक्षण दल पहिले ही उस स्थान पर चला गया है और उसने अपना काम शुरू कर दिया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं कुछ समय पहिले ही यह बता चुका हूं कि हमने केवल तीन दिन पूर्व ही पुनर्वास मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे हैं और उन्होंने उन्हें स्वीकार कर लिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

+

†*१३४. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री राजेन्द्र सिंह :
सेठ अचल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन घाटे पर चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ;

(ग) १९५७-५८ में कुल कितना घाटा हुआ है ; और

(घ) संगठन द्वारा यह घाटा किस प्रकार पूरा किया गया है ?

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन घाटे पर नहीं चल रहा क्योंकि उसकी आस्तियां दायित्वों से अधिक हैं। समय-समय पर कार्य संचालन में उसे घाटा हुआ है परन्तु उसे पूरा करने के लिये पर्याप्त रक्षित निधि है।

(ख) कार्य संचालन में घाटे के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(१) अवक्षयण तथा मरम्मत की रक्षित निधियों के लिये अधिक उपबन्ध का किया जाना,

(२) १९५४-५५ के बाद के वर्षों में कांस की सफाई के लिये चलाये गये ट्रेक्टरों की लागत की वसूली का न होना क्योंकि राज्य सरकार उसे किसानों से वसूल नहीं कर सकी ।

(ग) और (घ). ट्रेक्टर चलाने में ८.५५ लाख रुपयों का घाटा हुआ है। उसकी अभी भी लेखा परीक्षा होनी है और उसे समायोजित करना है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह सच है कि यह घाटा अधिक अन्न उपजाओ निधि से पूरा किया गया है ?

†**श्री पं० शा० देशमुख** : मेरी समझ में ऐसा नहीं हुआ।

†**श्री त्यागी:** : क्या यह सच है कि अब इस ट्रेक्टर संगठन को बन्द किया जा रहा है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं परन्तु मैं यहां विदेशी-मुद्रा की कठिनाई का उल्लेख करना चाहूंगा जिसके कारण नये ट्रेक्टर मिलना संभव नहीं है। पुरानों में से अधिकांश खराब हो रहे हैं।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार ने हाल ही में जापानी सार्थ भारत में ट्रेक्टर बनाने का कारखाना स्थापित करने की कुछ व्यवस्था की है; और यदि हां, तो क्या भारत की जमीन में उन ट्रेक्टरों की उपयुक्तता की जांच कर ली गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय:** : हम एक प्रश्न से दूसरे की ओर जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० पं० शा० देशमुख** : यह प्रश्न वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये ।

†**श्री त्यागी:** : मैं इसे सरकार से पूछ रहा हूं ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : क्या मैं श्री त्यागी के प्रश्न का संक्षेप में उत्तर दे सकता हूं? जी हां, भारत में ट्रेक्टर बनाने के लिये एक जापानी सार्थ से ठेका हो गया है । पहिले योजना की रूपरेखा आदि की परीक्षा करने के लिये एक दल जापान गया था । यहां उन्हें मंजूर कर लिया गया था और वहां जाकर उसकी और जांच की । वास्तव में ठेके में इस संबंध के उपबन्ध हैं कि यदि उनके नमूने पूर्णरूप से अपनाये गये और काम संतोषप्रद हुआ तभी वह प्रभावी होगा । ठेके की सामान्य शर्तें यहां देखी गई किस्म और जिस कीमत पर तथा जिस रफ्तार से वे यहां काम करेंगे इन दोनों को मद्देनजर रखते हुये संतोष-प्रद समझी गई हैं ।

†**श्री दासप्पा:** : किस मंत्रालय ने इस कार्य का जिम्मा लिया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह ठेका प्रतिरक्षा मंत्रालय के साथ हुआ है ।

†**श्री अ० चं० गुह** : माननीय मंत्री ने बताया है कि घाटा रक्षित निधि से पूरा किया गया है परन्तु यह सरकार का वाणिज्यिक उपक्रम है । अतएव रक्षित निधि क्या है और वह कैसे बनी है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं रक्षित निधि के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। हमारे पास रक्षित निधि है ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : रक्षित निधि घाटा पूरा करने के लिये है।

श्री विभूति मिश्र: अभी प्रधान मंत्री जी ने कहा कि जापान के साथ एक कांट्रेक्ट हुआ है । जापान में इस तरह के ट्रेक्टर बनते हैं जोकि दो हजार रुपये में मिल सकते है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे ही ट्रेक्टर यहां हिन्दुस्तान में भी बनेंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह जापानी ट्रेक्टर बहुत बड़ा और भारी है । जिस ट्रेक्टर की आप चर्चा कर रहे हैं वह शायद छोटा है, वह हाथ का शायद है ।वह अलग ट्रेक्टर है ।

†**श्री स० च० सामान्त** : क्या यह सच है कि लोक लेखा समिति ने संगठन के घाटे की जांच की थी और यह आपत्ति उठाई थी कि उसे ट्रेक्टरों को किराये पर देने की दरों को बढ़ाकर पूरा न किया जाए; और यदि हां, तो सरकार ने इसके बारे में क्या किया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : इस विशेष मद पर लोक लेखा समिति ने क्या कहा है, यह तो मैं स्पष्ट रूप से नहीं जानता परन्तु यह स्पष्ट है कि अंततः हमारे खाते इस बात को बतायेंगे कि जहां तक केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन के कार्य संचालन का संबंध है, उसमें कोई घाटा नहीं है ।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं सोचता हूं कि माननीय मंत्री ने यह बताया है कि अधिक अन्न उपजाओ निधि से रकम लेकर घाटा पूरा करने की कोशिश नहीं की गई । क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि क्या लोक लेखा समिति ने ऐसा कोई उल्लेख किया है कि अधिक अन्न उपजाओ निधि से इस संगठन के लिये रकम ली गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : मुझे लोक लेखा समिति की सिफारिशें ठीक से याद नहीं हैं परन्तु मेरी साधारण याद यह कहती है कि निधि से कुछ समायोजन किये गये थे परन्तु यह नहीं कहा गया कि निधि से कुछ रकम ली गई है। वास्तव में राज्य सरकारों से कुछ रकम वसूल करनी थी और वह इस निधि से काट ली गई है।

†**श्री त्यागी** : सरकार के ध्यान में उस स्थिति में अन्य क्या प्रबन्ध करने का प्रस्ताव है जब केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन को बन्द करने का प्रस्ताव अंतिम रूप से मंजूर कर लिया जायेगा ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : यदि केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन को बन्द करना पड़ा तो मुझे दुःख होगा परन्तु यदि उसे बन्द ही करना पड़ा तो वह हमारी शक्ति के बाहर के कारणों के कारण ही होगा।

†**श्री त्यागी** : भविष्य में ट्रेक्टरों के मिलने की क्या स्थिति होगी ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : जब तक हम देश में ही ट्रेक्टर नहीं बनाते, तब तक वे हमें जरूरी मात्रा में नहीं मिल सकते क्योंकि विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं हैं।

†**श्री नाथ पाई** : माननीय मंत्री ने कहा है कि उन्होंने लोक लेखा समिति की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। क्या हम इससे यह मान लें कि..............?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा है कि मुझे याद नहीं है। मैंने उसे पढ़ा है परन्तु इस समय मुझे वह याद नहीं है।

चावल और गेहूं के भाव

†*१३५. { **श्री बर्मन**: **श्री सुबोध हंसदा**: **श्री स० चं० सामन्त** : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) विभिन्न राज्यों में चावल और गेहूं के वर्तमान भाव इस वर्ष के सितम्बर मास के भावों की तुलना में कैसे हैं ; और

(ख) कीमतों को स्थिर करने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गयी हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि सितम्बर, १६५८ के अन्त में और १४ नवम्बर, १६५८ को चावल और गेहूं के थोक भाव क्या थे। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ६४]**

(ख) कीमतों को नियन्त्रित रखने के लिये किये गये कुछ एक उपाय गत वर्ष सभा में प्रस्तुत किये गये खाद्य स्थिति सम्बन्धी श्वेत पत्र में बताये गये थे। सभा-पटल पर रखे गये इस विवरण में इन उपायों तथा अन्य उपायों का उल्लेख है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ६४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बर्मन** : विवरण २ के पैरा ३ में यह बताया गया है कि कुछ एक राज्यों में चावल के अधिकतम भाव निश्चित कर दिये गये हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नयी फसल के आने पर उड़ीसा, दक्षिण और पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों में भाव पहले ही गिर चुके हैं, सरकार इस दृष्टि से क्या-क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है जिससे उत्पादक उचित कीमतें प्राप्त कर सकें ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : हमने उड़ीसा को साधारण चावल १५ पये प्रतिमन और धान उसी के अनुरूप भाव पर खरीदने का अधिकार दे दिया है।

†**श्री बर्मन** : उस दिन माननीय उपमंत्री ने आशातीत खेती होने की ओर संकेत किया था। इस वर्ष चावल की कितनी खेती होने का अनुमान है और देश में उसके उपभोग का कितना अनुमान है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : यह तो केवल अनुमान मात्र है। ठीक-ठीक पता तब चलेगा जब फसल काटने का प्रयोग किया जायेगा। ये प्रयोग उसी समय किये जायेंगे जबकि फसल पक जायेगी।

†**श्री स० चं० सामन्त** : विवरण २ के मद २ (ङ) से यह ज्ञात होता है कि उड़ीसा तथा कुछ अन्य स्थानों से चावल/धान के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। क्या उड़ीसा सरकार को इस समय धान खरीदने की अनुमति है, क्योंकि उड़ीसा में चावल और धान के भाव बहुत गिर गये हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : यही तो मैंने बताया है। हमारे पास रिपोर्ट आई हैं कि चावल के भाव बहुत अधिक गिर गये हैं और इसलिये हमने उड़ीसा सरकार को हमारी ओर से चावल खरीदने का प्राधिकार दे दिया है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय विकास परिषद् ने खाद्यान्नों के राज्य व्यापार के सम्बन्ध में निर्णय किया है, क्या चावल की वह कीमत, जिस पर सरकार चावल खरीद रही है, सभी राज्यों को दृष्टि में रखते हुए निर्धारित की गई है या कि केवल उड़ीसा और अन्य फालतू अनाज वाले राज्यों को दृष्टि में रखते हुए ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : जहां तक राज्य व्यापार का सम्बन्ध है, यह एक अत्यन्त कठिन तथा उलझा हुआ विषय है, उसके बारे में ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। उसके अतिरिक्त सरकार कुछ एक राज्यों में चावल खरीद रही है। कीमतों के कम हो जाने के कारण यदि अन्य राज्यों में भी चावल खरीदने की आवश्यकता अनुभव हुई, तो वहां भी चावल खरीद लिया जायेगा।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार खाद्यान्नों के थोक व्यापार पर नियंत्रण रखने और न्यूनतम अधिग्रहण मूल्य निर्धारित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो सरकार इस प्रणाली को अच्छी तरह से चलाने की दृष्टी से क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : जेसा कि मने पहले कहा है, यह समस्या अत्यन्त कठिन तथा उलझी हुई है। उस पर विचार किया जा रहा ह। परन्तु हम कुछ समय से इन सभी सिद्धान्तों के आधार पर विचार कर रहे ह और उन्हें प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित भी कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री साधन गुप्त : कितने राज्यों ने अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) अधिनियम के अधीन दी गयी शक्तियों का उपयोग किया है और इस शक्ति के अधीन गेहूं और चावल का कितना स्टाक प्राप्त किया गया है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†**श्री दासप्पा** : मध्य प्रदेश में चावल के भाव इतने कम कैसे हो गये हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : इसका कारण यह है कि इस बार फसल अच्छी हुई है।

†**श्री थानू पिल्ले** : जिस चावल का उल्लेख किया गया है उसका उचित मूल्य क्या है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : हमने मध्य प्रदेश सरकार को इस बात का प्राधिकार द दिया है कि वह १५ रुपये प्रति मन साधारण चावल के अनुरूप भाव पर ही धान खरीद सकती है।

†**श्री त्यागीः** : बहुत अच्छा।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में गेहू के भाव २५ से २८ पये प्रति मन तक रहे हैं ? सितम्बर से १४ नवम्बर तक सभी राज्यों—मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गेहू के भाव एक दम बढ़ जाने के क्या-क्या कारण थे ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं के भाव बहुत ऊंचे हैं। उत्पादन की कमी के अतिरिक्त इसका दूसरा कारण यह प्रतीत होता है कि वह मौसम वास्तव में बीजारोपण का मौसम था और उस समय किसानों से गेहूं की बड़ी मांग थी।

† **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ एक स्थानों पर तो चावल की इतनी अधिक कीमतें हैं और कुछ स्थानों पर इतनी कम हैं, क्या सभी स्थानों पर एक जैसी कीमतें निर्धारित करने के लिये जोनों को फिर से गठित किया जायेगा ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

†**श्री तंगामणि** : परन्तु चावल का उपयोग करने वाले क्षेत्रों को प्रश्न पूछने का अवसर ही नहीं मिला है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न प्रारम्भ ही वहां से किये ग े हैं। माननीय सदस्य चावल के सम्बन्ध में कई प्रश्न पूछ चुके हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। इसलिये इस के लिये आधे घण्टे का समय अलग निर्धारित किया जाये।

†**श्री तंगामणि** : कीमतें २५ प्रतिशत तक बढ़ गयी हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री दासप्पा स्वयं चावल का प्रयोग करने वाले क्षेत्र के हैं ; अन्य माननीय सदस्य भी, जिन्होंने प्रश्न पूछे हैं, उसी क्षेत्र से हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के चुनाव

*१३६. **श्री पद्म देव :** क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में न्याय पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

सामुदायिक विकास मंत्री के सभा-सचिव (श्री ब० स० मूर्त्ति): (क) और (ख) .जी हां, सिवाए चम्बा ज़िले में तहसील चुराह और सब-तहसील पंगी के जहां पंचायत क्षेत्रों का पुनर्संगठन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। चुनावों के नतीजों की घोषणा इस वर्ष के अन्त तक कर दी जाएगी।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री पद्म देव : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि पंचायत का विधान १९५४ में स्वीकार हो गयाथा और यह ४ साल इसके चुनाव में क्यों लगे ? क्या इस विलम्ब का कारण वे बतला सकते हैं ?

† **श्री ब० स० मूर्ति :** उत्तर में बता दिया गया है कि सिवा एक तहसील और सब-तहसील के शेष सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश में चुनाव पूरा हो गया है ।

श्री पद्म देव : मैंने मंत्री महोदय से यह पूछा था कि यह चार साल के बाद सन् १९५८ में एलेक्शन कैसे हुए और इस से पहले वे क्यों मुकम्मिल नहीं हो सके और ऐसे कार्यों के अन्दर प्रायः इस किस्म का विलम्ब क्यों होता है ?

†**श्री ब० स० मूर्ती:** विलम्ब का कारण यह है कि पहले सभी ज़िलों को सर्किलों में बांटना, फिर ग्राम सभायें और ग्राम पंचायतें बनाना है और फिर कहीं न्याय पंचायतें बनाने का काम हो सकता है।

रेलवे डाक सेवा पुनर्गठन समिति

+

†*१३७. **श्री तंगामणि :**
श्री स० म० बनर्जी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २० अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे डाक सेवा पुनर्गठन समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल):** (क) से (ग). प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है। इसलिये अभी उतनी जल्दी उसकी सिफारिशों को प्रकाशित नहीं किया जा सकता।

†**श्री तंगामणि :** २० अगस्त के तारांकित प्रश्न संख्या २८९ के उत्तर में हमें यह बताया गया था कि पुनर्गठन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और डाक तथा तार विभाग के महानिदेशक उस पर विचार कर रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि उस पर विचार करने में अभी और कितना समय लेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल** : इसका उत्तर देना बड़ा कठिन है। वह एक विभागीय समिति थी। इस प्रकार की बहुत सी समितियां रोज़ ही नियुक्त की जाती ह ; और ` समितियां अपना समय तो लेती ही हैं। परन्तु मैं माननीय सदस्य की इच्छानुसार इस कार्य को गति दिलाने का प्रयत्न करूंगा।

†**श्री तंगामणि** : समिति के निदेश पर प्रश्न संख्या १६४१ के उत्तर में बताये ग ` थे। उन में से एक निदेश पद डाक के डिब्बों में स्थान के सम्बन्ध में था। उस में वर्तमान कमी को दूर करने और स्थान को बढ़ाने के लिये उपाय सुझाने भी सम्मिलित हैं। इस सम्बन्ध में क्या क्या सिफ़ारिशें की गयी हैं और सरकार ने डाक के डिब्बों की संख्या को बढ़ाने और वर्तमान डाक गाड़ियों के स्थान को बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की है ?

† **श्री स० का० पाटिल** : जहां तक मुझे ज्ञात है, समिति द्वारा डाक गाड़ियों के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया था।

†**श्री दासप्पा** : सर्किलों के सम्बन्ध में क्या यह मांग नहीं की गयी है कि मैसूर राज्य का एक अलग सर्किल बना दिया जाये और उसे बम्बई, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और मैसूर में विभाजित न किया जाये ?

†**श्री स० का० पाटिल** : प्रश्न का सम्बन्ध तो रेलवे डाक सेवा से है, सर्किलों की व्यवस्था से नहीं है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : इस समिति की मुख्य मुख्य सिफ़ारिशें क्या हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : क्योंकि ` सिफ़ारिशें अभी विचाराधीन हैं, इसलिये इसी समय यह बता देना उचित नहीं है कि वे सिफ़ारिशें क्या क्या हैं।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या उस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में इस सभा के सदस्यों को बताया जायेगा ?

†**श्री स० का० पाटिल** : प्रायः हम ऐसा नहीं किया करते, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है यह एक अध्ययन मण्डल है, एक विभागीय समिति है। परन्तु यदि आप चाहते हैं तो वैसा किया जा सकेगा। परन्तु यह ठीक तरीका नहीं है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : यदि वह प्रतिवेदन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को नहीं दिखाया जाता और न हीं संसद् सदस्यों को दिखाया जाता है तो फिर समिति नियुक्त करने और यहां पर प्रश्न पूछने से लाभ ही क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो नियोजक के हित के लिये नियुक्त की गयी थी।

†**श्री साधन गुप्त** : माननीय मंत्री ने हमें यह आश्वासन दिया है ` कि वे कार्य की गति को तेज़ करने का प्रयत्न करेंगे। क्या वे काम की गति को बढाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेंगे ?

† **श्री स० का० पाटिल** : इस में गति देने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, डाक तथा तार विभाग के महा निदेशक द्वारा इस प्रकार की बहुत सी समितियां नियुक्त की जाती हैं। इस समिति को मंत्रालय के स्तर पर भी नियुक्त नहीं किया गया है। इसी लिये यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री तंगामणि** : मूल प्रश्न ८ मास पहले पूछा गया था। उस समय प्रश्न यह था कि क्या इस समिति में कोई कर्मचारी सम्मिलित है। फिर निदेशक पदों को सभा-पटल पर रखा गया था। गत

---

†मूल अंग्रेजी में

बार जब यह प्रश्न फिर पूछा गया था, उस समय माननीय मंत्री ने यह बताया था कि समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और डाक तथा तार विभाग के महा निदेशक उस पर विचार कर रहे हैं। अब माननीय मंत्री यह कह रहे हैं कि प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखना सम्भव नहीं है। क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जब हमें निदश पद भी ज्ञात है और उसका विषय भी ज्ञात है, डाक तथा तार विभाग के महा निदेशक के उस पर विचार कर लेने के उपरान्त रिपोर्ट को सभा-पटल पर रखा जायेगा। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। यह कोई साधारण सी समिति नहीं है।

†**श्री स० का० पाटिल:** यह कोई नीति का प्रश्न नहीं है। प्रतिदिन के प्रशासन में इस प्रकार के कई अध्ययन मण्डल तथा विभागीय समितियां नियुक्त होती रहती हैं। यह कोई नीति का प्रश्न नहीं है कि इसे सभा के सामने प्रस्तुत किया जाये। परन्तु यदि सभा की यही इच्छा है तो मुझे इस में कोई संकोच नहीं है।

†**श्री तंगामणि :** क्या इसे सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** विभागीय समितियों द्वारा की जाने वाली जांचों और उन के प्रतिवेदनों के संबंध में कोई भी हिदायत देना चाहता। यदि माननीय मंत्री ने कोई समिति नियुक्त की थी तो उसके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। माननीय मंत्री अपने अधीन किसी अधिकारी को भी कार्य की जांच के लिये आदेश दे सकते हैं। परन्तु जब तक वे स्वयं यह महसूस न करें कि कोई प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखना आवश्यक है, तब तक मैं उन्हें वैसा करने की हिदायत नहीं दे सकता।

†**श्री नाथपाई :** माननीय मंत्री ने कहा है कि यदि सभा की इच्छा हो तो वे उसे पटल पर रख सकते हैं। हम चाहते हैं कि उसे पटल पर रखा जाये।

†**अध्यक्ष महोदय:** तो माननीय मंत्री सदस्यों की इच्छा को ध्यान में रखेंगे।

†**श्री स० का० पाटिल:** जी हां। मैं उनकी इच्छा को ध्यान में रखूंगा।

इण्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन

+

†*१३८. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री कोडियान :
श्री वि० च० शुक्ल:

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन में जहाज़ों की कमी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कार्पोरेशन वर्तमान जहाज़ों की देख भाल करने में कठिनाई अनुभव कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या कार्पोरेशन को उचित समय पर सहायता देने के लिये कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) दुर्घटनाओं के कारण कार्पोरेशन को होने वाली हानियों को रोकने के लिये क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अभी तो प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, परन्तु डकोटा जहाज़ों को बदल देने का व्यापक प्रश्न विचाराधीन है।

(घ) ३-१२-५७ को लोक-सभा में सरदार अ० सिं० सहगल द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९९५ के भाग (घ) के संम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

†श्री तंगामणि : मैं इस सम्बन्ध में एक औचित्य प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री ने ३-१२-५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९९५ के उत्तर की ओर निर्देश किया है। परन्तु उस प्रश्न का सम्बन्ध तो केवल दुर्घटनाओं से है। मैं नहीं जानता कि उस प्रश्न की यहां पर क्या संगति है। उस प्रश्न में केवल यही पूछा गया था कि इण्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन और एयर इण्डिया कार्पोरेशन के जहाजों की कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, उन में कितना जानी नुकसान हुआ है आदि।

†अध्यक्ष महोदय : इस में औचित्य प्रश्न की कोई आवश्यकता ही नहीं। आप एक प्रश्न पूछ कर इसका स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

†श्री तंगामणि : यह पूर्ण रूपेण असंगत है।

†अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री यह समझते हैं कि यह पूर्ण रूपेण संगत है। यदि वे चाहें तो वे समझा सकते हैं कि यह कैसे संगत है।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्री मावलंकार के समय अध्यक्ष पद की ओर से यह विनिर्णय किया गया था कि एक वर्ष से भी अधिक समय के पुराने प्रश्नों का उल्लेख करते समय माननीय मंत्री को उन प्रश्नों का सार भी देना चाहिये।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री यह समझाने की कृपा करें कि यह कैसे संगत है।

†श्री मुहीउद्दीन : श्री तंगामणि का प्रश्न दुर्घटनाओं के करण कार्पोरेशन को होने वाली हानियों के सम्बन्ध में था। भाग (घ) में तो यही बात पूछी गई थी। इन सभी दुर्घटनाओं की रोक थाम करने के लिये सरकार और कार्पोरेशन द्वारा जो भी कार्यवाहियां की जा रही हैं, उन सभी का दिसम्बर, १९५७ के प्रश्न में उल्लेख किया गया था। अतः यह संगत है।

जहां तक दूसरे प्रश्न का अर्थात् सार बताने का सम्बन्ध है, आप देखेंगे कि अतारांकित प्रश्न का उत्तर इतना व्यापक था कि उस से अधिक सार देना सम्भव न था।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : भाग (घ) में यह पूछा गया था कि दुर्घटनाओं में होने वाली हानियों को पूरा करने के लिये क्या-क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह तो एक विशेष प्रश्न था, परन्तु माननीय मंत्री ने इसका एक सामान्य सा उत्तर दे दिया है जिसमें उन्होंने यह बताया है कि विमानों के बचाव के लिए क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं। वास्तव में इस प्रश्न की पृष्ठ भूमि में एक विशेष प्रश्न था और वह जहाजों की संख्या में कमी होने और जहाज दुर्घटनाओं से होने वाली हानियों को पूरा करने के संबंध में था।

†श्री मुहीउद्दीन : मैंने पहले ही बताया दिया है कि विमानों की संख्या में कमी दुर्घटनाओं के ही कारण से हुई है। विमानों की संख्या में कमी होने का और कोई कारण नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बीरेन राय** : उत्तर में यह बताया गया है कि डकोटा जहाज़ों को बदल देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। क्या इंण्डियन एयर लाईन्ज़ कार्पोरेशन ने एच०ए०एल० को भी यह सुझाव दिया है कि वे विमान बल के लिए तैयार किए जाने वाले दो इंजनों वाले लड़ाकू जहाज़ों के निर्माण के साथ ही साथ असैनिक उड़ान के लिए दो इंजनों वाले जहाज़ों का निर्माण भी करे ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : प्रतिरक्षा मंत्रालय एच० ए० एल० के परिवहन विमानों का निर्माण प्रारम्भ करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री कोडियान ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : मैंने प्रश्न की सूचना दी थी, परन्तु मुझे बीच में ही छोड़ा जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, आप को बीच में नहीं छोड़ा जा रहा है। श्री कोडियान ने भी प्रश्न की सूचना दी थी।

†**श्री कोडियान** : माननीय मंत्री ने अभी-अभी यह बताया है कि सरकार डकोटा जहाज़ों के स्थान पर दूसरे जहाज़ों का प्रयोग करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इस कार्य पर कुल कितना खर्च आयेगा।

†**श्री मुहीउद्दीन** : इसी समय यह बता देना बड़ा कठिन है कि उस पर कितना खर्च आयेगा। इस समय इंडियन एयर लाइन्ज़ कार्पोरेशन द्वारा कुल साठ डकोटा प्रयोग किये जा रहे हैं। उनके स्थान पर नये जहाज एक दम तो लाए नहीं जा सकते। यह काम तो धीरे-धीरे होगा।

†**पण्डित द्वा० ना० तिवारी** : ऊपर जिस अतारांकित प्रश्न की ओर संकेत किया गया था उस के उत्तर में बताई गई सिफारिशों में से पहली सिफारिश यह थी कि :

> "भारत तथा विदेशों में होने वाली विमान दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्टों में की गई सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है और उन्हें यथासम्भव कार्यान्वित भी किया जा रहा है।"

क्या सभी रिपोर्टों पर विचार नहीं किया गया है ? क्या केवल कुछ एक रिपोर्टों पर ही विचार किया गया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन**: जी नहीं, यह बात नहीं है, सिफ़ारिशों पर पूर्णरूपेण और ध्यानपूर्वक विचार किया गया है और उन के सम्बन्ध में यथा सम्भव कार्यवाहियां भी की जा रही हैं।

†**पण्डित द्वा० ना० तिवारी** : यहां पर जिन कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है उन के क्या क्या परिणाम निकले हैं।

†**श्री मुहीउद्दीन** : विमान सेवा में सामान्यतया सुधार हो गया है।

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** : मद्रास से रात को आने वाले जहाज़ों में बड़ा विलम्ब लग जाता है। क्या इसका कारण यह है कि रात को, स्काइमास्टर जहाज़ों के स्थान पर डकोटा चलाये जाते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम तो मूल प्रश्न से दूर जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि नष्ट होने वाले जहाज़ों में अधिक संख्या उन जहाज़ों की है जिन्हें इण्डियन एयर लाइन्ज़ कार्पोरेशन ने अनुसूचित जहाज़ कम्पनियों और भारतीय सहकारियों को किराये पर या पट्टे पर दिया था, और यदि हां तो क्या सरकार जहाज़ों को किराये पर या पट्टे पर देने की रीति को अब समाप्त कर देगी ?

†श्री मुहीउद्दीन : पट्टे पर दिये गये कुछ एक जहाज़ नष्ट हो गये थे। इस समय इण्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन ने पट्टे पर दिये जाने वालें जहाज़ों की संख्या बहुत कम कर दी है। मुझे निश्चित रूप से स्मरण नहीं है कि इस समय ऐसे जहाज़ों की संख्या कितनी है, परन्तु उनकी संख्या बहुत कम है।

†श्री जयपाल सिंह : माननीय मंत्री ने हमें बताया है कि नियमित अनुसूचित विमान सेवा के लिये १६ डकोटा इस्तेमाल किये जा रहे हैं। परन्तु जहां तक मुझे स्मरण है इण्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन के पास चौगुने डकोटा हैं। शेष विमान किस काम में इस्तेमाल किये जाते हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल सिंह का यह कहना है कि वहां पर १६ के स्थान पर ६४ जहाज़ हैं—चौगुने जहाज हैं। शेष ४८ जहाज़ किस काम आयेंगे ?

†श्री मुहीउद्दीन : इण्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन द्वारा चलाये जा रहे जहाज़ों की संख्या ६० है, १६ नहीं।

†श्री नारायणन कुट्टि मेनन: माननीय मंत्री ने आरम्भ में यह कहा था कि केवल दुर्घटनाओं के कारण ही सेवा योग्य जहाज़ों में कमी हुई है। क्या यह सच नहीं है कि सभी के सभी वाइकिंग जहाज़ या तो प्राविधिक कठिनाइयों से या सेवा की अयोग्यता के कारण इस समय निरर्थक पड़े हुए हैं ?

†श्री मुहीउद्दीन : जी नहीं, उन जहाजों को अभी ठहराया इसलिये गया है कि न्यूनतम घण्टों तक उड़ान करने के बाद उन्हें फिर से सेवा योग्य बनाने के लिये उनका ओवर हाल करने पर आने वाला खर्च बहुत अधिक है। अब भी यदि उनका ओवर हाल कर दिया जाये तो वे चलाये जा सकते हैं।

सरदार अ० सिं० सहगल: क्या मैं जान सकता हूं कि यदि एयर लाइन्स कार्पोरेशन के पास एयर क्राफ्ट की कमी नहीं है तो ऐसे कौन से कारण हैं, जिनके आधार पर मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल पर जो हवाई जहाज जाते हैं वे वहां रोके नहीं जाते ?

†श्री मुहीउद्दीन : मार्ग में कोई भी परिवर्तन जहाजों की कमी के कारण नहीं किया गया है।

रेलवे इस्पात क्रय मिशन

†*१३९. श्री त० ब० विट्ठलराव : क्या रेलवे मंत्री ३ सितम्बर, १९५७ के अल्पसूचना प्रश्न संख्या २२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में रेलवे इस्पात क्रय मिशन ने ५.२२ लाख टन कच्चे लोहे, इस्पात ट्रैक सामान और वैगन प्लेटों के लिये जो ठेका दिया था, उसमें से कितना सामान ३१ अक्तूबर, १९५८ तक प्राप्त हो चुका था ; और

(ख) क्या सारा सामान मार्च, १९५९ तक कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) लगभग ४·२९ लाख टन।

(ख) जी हां।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : इतना अधिक सामान प्राप्त हो जाने के बाद भी नई रेलवे लाइनों का निर्माण-कार्य अभी तक रुका क्यों हुआ है?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : यह सामान नयी रेलवे लाइनों के लिये नहीं है। यह तो पुरानी लाइनों की पटरी को नया बनाने तथा कई दूसरे कामों के लिये है?

†श्री त० ब० विट्ठलराव : पटरियों को नया बनाने के कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ८,००० मील पटरी का नवीकरण करना निर्धारित था?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : हम इस कार्य को शीघ्रता से पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पहले तो, १२,००० मील पटरी का लक्ष्य था, परन्तु अब ८,००० मील पटरी का लक्ष्य है। हम इस लक्ष्य को अधिक से अधिक सीमा तक पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†श्री जयपाल सिंह : क्या मंत्रालय ने वैज्ञानिकों के इस सुझाव के सम्बन्ध में कोई विचार किया है कि क्षेप्य लोहे के स्थान पर इस्पात की पटरी बनाना अधिक लाभकारी होगा?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : मेरे माननीय मित्र ने संभवतः इसी प्रकार का एक प्रश्न कुछ समय पहले भी पूछा था। इस बारे में विचार किया जा रहा है कि क्या वैसा करना संभव है।

†श्री त्यागी : क्या रेलवे विभाग के क्रय मिशन और सरकार की ओर से यूरोप में वहीं वस्तुएं खरीदने के लिए नियुक्त किये गये व्यक्तियों में कोई समन्वय भी रखा जाता है?

†श्री सें० वें० रामस्वामी: लोहा तथा इस्पात मंत्रालय ने हमें बताया है कि जहां तक इन वस्तुओं का सम्बन्ध है, उसे रेलवे बोर्ड द्वारा ही खरीदा जायेगा। हम सभी आर्डर भारत संभरण मिशन, वाशिंगटन के द्वारा भेजते हैं।

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के कर्मचारी

+

†*१४०. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वें० प० नायर :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों की कमी के कारण क्या हाल हो रहा है और इस से रोगियों को कितना खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख) दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की हालत सरकार को मालूम है। यह सही है कि अस्पतालों में डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों की संख्या काफी नहीं है परन्तु फिर भी इस से रोगियों को कष्ट अथवा उनको खतरे की कोई सम्भावना नहीं है। कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर कई बार विचार किया जाता है परन्तु ऐसा भी होता है कि योग्य व्यक्ति ही नहीं मिलते।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : पिछली बार डाक्टरों और नर्सों आदि की आवश्यकता का कब सर्वेक्षण किया गया था और क्या निष्कर्ष निकाला गया था?

†**श्री करमरकर** : भारत सरकार के अस्पतालों का सदा ध्यान रखा जाता है। सफदरजंग और विलिंग्डन अस्पतालों में लगभग १६ या १७ नर्सें कम हैं और हम उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त करने के प्रयत्न कर रहे हैं? हम ने हाल ही में विज्ञापन दिया है परन्तु कुछ कठिनाई हो रही है क्योंकि नर्सें उपलब्ध नहीं हैं।

इर्विन अस्पताल में, जोकि दिल्ली प्रशासन के अधीन है, इस प्रकार का सर्वेक्षण होता रहता है और मैं उन्हें परामर्श दे रहा हूं कि यथासम्भव शीघ्र रिक्तियां भर लें।

†**श्री दी० चं० शर्मा०** मैं जानना चाहता हूं कि सर्वेक्षण कब किया गया था और उस से क्या निष्कर्ष निकला।

†**श्री करमरकर** : यह सर्वेक्षण का मामला नहीं है। मैंने बताया है कि भारत सरकार के अस्पतालों का हर वक्त ख्याल रखा जाता है और जहां तक इर्विन अस्पताल का सम्बन्ध है उसके बारे में दिल्ली प्रशासन ने अवश्य विचार किया होगा। वहां कुछ स्थान खाली हैं। मैं उन से कहूंगा कि वे शीघ्र ही इन्हें भर लें।

†**श्री नारायणन् कुट्टी मेनन** : क्या स्वास्थ्य मंत्री को विदित है कि विलिंगडन अस्पताल में हर रोज प्रातः लोग ११ बजे पक सर्जिकल वार्ड के बाहर प्रतीक्षा करके निराश हो कर लौट जाते हैं?

†**श्री करमरकर** : यह तो मैं पहली बार सुन रहा हूं सम्भव है कभी बहुत भीड़ होने के कारण उन्हें लौटाया गया हो। मुझे निश्चित रूप से बताया जाये कि कब और कहां से रोगियों को लौटाया गया था और उनका ख्याल नहीं किया गया।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि डाक्टर एक रोगी को औसतन् कितना समय दे सकता है और सफदरजंग, विलिंग्डन और अन्य अस्पतालों के डाक्टर एक रोगी को देखने में कितने मिनिट लगाते हैं?

†**श्री करमरकर** : इसके लिये मुझे यह हिसाब लगाना पड़ेगा कि प्रत्येक डाक्टर कितने मिनिट लगाता है। यह ठीक है कि रोगियों की संख्या अधिक होती है और हम अस्पतालों का विस्तार तो करना चाहते हैं, परन्तु हमारे वित्तीय संसाधन सीमित हैं। मैं तो चाहता हूँ कि सफदरजंग और विलिंगडन अस्पताल की क्षमता दुगनी कर दी जाये परन्तु वित्त मंत्रालय के लिये यह सम्भव नहीं कि वह इस प्रयोजन के लिये निधि उपलब्ध कर सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० सुशीला नायर: : क्या माननीय मंत्री ने गिलडर समिति के प्रतिवेदन को पढ़ कर उसमें दी गई सिफारिशों पर विचार किया है जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक क्षेत्र में अलग अस्पताल होने चाहियें जिस से कि सफदरजंग और विलिंगडन अस्पतालों में रोगी जमा न हों ?

†श्री करमरकर : जी हां। हम तो चाहत हैं कि दिल्ली में अस्पतालों की कमी न हो परन्तु अर्थाभाव को कैसे पूरा किया जाये। यदि पर्याप्त धन उपलब्ध होता तो हम दिल्ली में अस्पतालों की कमी न रहने देते। हम योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने जितनी निधि सम्भव थी उपलब्ध कर दी। स्वास्थ्य मंत्रालय तो चाहता है कि अस्पतालों और उनमें काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाई जाय।

†डा० सुशीला नायर : क्या यह सच है कि सरकार सफदरजंग अस्पताल के क्षेत्र में १००० से अधिक—१५०० अथवा १७००—रोगियों के रहने की व्यवस्था करना चाहती है और वह ऐसा करने की बजाय अन्य अस्पतालों में इनका वितरण नहीं कर रही है ?

†श्री करमरकर : श्रीमान, इस विषय में मैं आप की मंत्रणा चाहता हूं। प्राक्कलन समिति इस विषय पर विचार कर रही है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं।

†अध्यक्ष महोदय : इसके लिये प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करना ही उचित होगा ।

†श्री सुपकार : दिल्ली में भारत सरकार के अस्पतालों में डाक्टरों और बिस्तरों और नर्सों और बिस्तरों का क्या-क्या अनुपात है ?

†श्री करमरकर : इसके लिये पूर्वसूचना की आवश्यकता है ।

इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड

†*१४१. { श्री नांगी रेड्डी :
श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ (प्राइवेट) लिमिटेड में तैयार होने वाली सामग्री का संभरण कितने देशों को किया जा रहा है ;

(ख) प्रति वर्ष इसका कितना निर्यात होता है ; और

(ग) क्या निर्यात को और बढ़ाने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड की विदेशों में कोई स्थायी मार्केट तो नहीं बन सकी, परन्तु फिर भी पड़ोसी देशों को कुछ माल का संभरण किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मार्च, १९५४ तक समाप्त होने वाले चार वर्षों में निर्यात का औसत वार्षिक मूल्य २३,००० रुपये रहा ।

(ग) जी हां ।

†श्री नागी रेड्डी : क्या यह सच है कि जिस विदेशी समवाय के सहयोग से यह उपक्रम चल रहा है वह विदेशों को माल भेजने से इन्कार करता है और कई बार उसने निर्यात में विलम्ब भी कराया है और इस प्रकार हमारी विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों को बढ़ाया है ? यदि हां, तो इस कठिनाई से छुटकारा पाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†श्री स० का० पाटिल : इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का मूल उद्देश्य हमारी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना था । हम इस से अपनी विदेशी मुद्रा की कठिनाई को भी दूर कर सकते हैं और इसके लिये हमें विदेशी मार्केट बनाना पड़ेगा और इसके लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

†श्री नागी रेड्डी : क्या सरकार ने इसके लिये कोई कार्यवाही की है कि इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज द्वारा किये जाने वाले निर्यात में कोई बाधा उत्पन्न न हो ?

†अध्यक्ष महोदय : किसी ऐसे करार द्वारा ।

†श्री स० का० पाटिल : जी हां । कुछ समय बाद यह करार व्यपगत हो जायेगा । हम कई देशों में अपना निर्यात बढ़ा सकते हैं । हम इसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं और सदा इसका खयाल रखते हैं ।

†श्री नागी रेड्डी: वह करार कब समाप्त होगा और क्या यह सच है कि सरकार ने अभी से उस समवाय से कहा है कि वह करार की इस शर्त को बदल दे ?

†श्री स० का० पाटिल : अभी यह बताना लोकहित में नहीं होगा । करार अभी कुछ समय तक चलेगा । ठीक-ठीक तिथि बताने के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

†श्री स० म० बनर्जी : हमारे देश में प्रति वर्ष कितने टेलीफोन बनाये जाते हैं और क्या वे हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं ?

†श्री स० का० पाटिल: १९५७–५८ में ६०,२४१ उपकरण तैयार किये गये । १९५८–५९ के लिये ८४,००० का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । हमारी अपनी आवश्यकता के लिये ये काफी हैं ।

†श्री तंगामणि: क्या टेलीफोनों के निर्यात को बढ़ाने के लिये किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप चालू वर्ष में निर्यात २३,००० रुपये से कुछ अधिक हुआ है ?

†श्री स० का पाटिल : जी नहीं । प्रतिस्पर्धा का भी प्रभाव पड़ता है । मैं ने बताया कि विदेशी मार्केट बनाने के बारे में निरन्तर विचार किया जा रहा है और इसकी ओर अधिक ध्यान दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री बीरेन राय : क्या यह सच है कि अब टेलीफोन टैक्नीक बहुत उन्नति कर चुकी है और जिस कम्पनी के साथ हम ने सम्बन्ध स्थापित किया है वह अधिक उन्नत नहीं है और आधुनिक ढंग का उपकरण तैयार नहीं करती इसीलिये हमें देश और विदेश में इसका विक्रय करने में कठिनाई हो रही है ।

†श्री स० का० पाटिल : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कम्पनी उन्नत ढंग के उपकरण नहीं बना सकती । हम स्वयं उत्पादन कर रहे हैं यह जरूरी नहीं कि हम इस कम्पनी के साथ ही काम करें । हमारी टेक्नीक तो विज्ञान की प्रगति के अनुकूल चल रही है ।

†श्री नाथ पाई : माननीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान उत्पादन हमारी आन्तरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त है । क्या यह सही नहीं है कि बड़े-बड़े शहरों में हजारों लोग कई वर्षों से टेलीफोन मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

†श्री स० का० पाटिल : यह सही नहीं है । सम्भव है कि एक या दो शहरों में ऐसी हालत हो । इसके लिये मशीन ही पर्याप्त नहीं है । अन्य उपकरण की भी आवश्यकता होती है । यदि केवल टेलीफोन की मशीन से ही काम चल सकता तो देश में कहीं भी टेलीफोन की कमी न होती ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जल संभरण तथा जल निस्सारण योजनायें

†*१४२. { श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री नागी रेड्डी : }

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जल सम्भरण और जल निस्सारण योजनाओं में ढले हुए लोहे के पाइपों की बजाये कंकरीट और सीमेंट से बने पाइप (ह्यूम पाइप) प्रयोग करने की संभावना की जांच की है ; और

(ख) क्या इन दोनों की मजबूती, बोझ सहन करने की क्षमता और टिकाऊपन में कोई अन्तर है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) राज्य सरकारों ने जल संभरण और जल निस्सारण योजनाओं में कंकरीट और सीमेंट से तैयार किये गये पाइपों का बहुत कम प्रयोग किया है और ये ढले हुये लोहे के पाइपों का स्थान भी नहीं ले सकते क्योंकि कुछ समय तक और विभिन्न परिस्थितियों में उन्हें प्रयोग करके ही कोई निर्णय किया जा सकता है ;

(ख) कंकरीट और सीमेंट से बने हुए पाइप वहीं पर इस्तेमाल किये जा सकते हैं जहां दबाव कम रहता है । जहां पानी और भूमि का दबाव अधिक हो वहां ये उपयुक्त नहीं होंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भूमि को कृषि योग्य बनाना

†*१४३. श्री रा० च० माझी:
श्री अनिरुद्ध सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में भूमि को कृषि योग्य बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उस में से केन्द्रीय ट्रेक्टर संघ ने कितना पूरा किया है ; और

(ख) क्या शेष लक्ष्य की पूर्ति निश्चित अवधि में हो जायेगी ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) १९५८–५९ के वित्तीय वर्ष में ३८,२०० एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसमें से ३१-१०-१९५८ तक २१,२१८ एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाई गई थी ।

(ख) जी हां, यदि राज्य सरकारों ने वर्षा ऋतु से पूर्व पर्याप्त भूमि उपलब्ध कर दी ।

कुरढिया सिंचाई परियोजना

†*१४४. श्री पाणिग्रही : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुरढिया सिंचाई परियोजना की कुल प्राक्कलित लागत क्या है ;

(ख) क्या राज्य सरकार इस परियोजना की लागत का कुछ अंश दे रही है ; और

(ग) क्या परियोजना पूरी हो गई है और सिंचाई के काम के लिये जल मिलने लगा है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : १५·८८ लाख रुपये ।

(ख) जी हां, २,९१ लाख रुपये राज्य सरकार व्यय करेगी ।

(ग) जी हां, २९ सितम्बर, १९५८ से सिंचाई के लिये जल मिल गया था ।

रेलवे पुलिस के दुर्व्यवहार संबंधी जांच पड़ताल रिपोर्ट

†*१४५. श्री हाल्दर: क्या रेलवे मंत्री १० सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११०३ के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे पुलिस स्यालदह के कथित दुर्व्यवहार के सम्बंध में जांच-पड़ताल संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं । कोई जांच-पड़ताल नहीं की जा सकी क्योंकि संबंधित टिकट-चैकर द्वारा अन्तर्ग्रस्त पुलिस सब इंस्पैक्टर के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बरौनी थरमल पावर स्टेशन

*१४६. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २० अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बरौनी थरमल पावर स्टेशन के पूरा होने में विलम्ब के कारण उत्तरी बिहार में बिजली के न होने से बिजली से चलने वाले नलकूपों के बन्द हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत उप-मंत्री (श्री हाथी) : जी नहीं, किन्तु इस समय जितने नलकूप हैं उन सबको एक साथ चलाने के लिए काफी बिजली नहीं है और न ही नलकूपों के लिये बिजली दी जा सकती है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड में बने जहाज़

†*१४७. **श्री गोरे :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड में अब तक कितने जहाज बने हैं ;

(ख) शेष द्वितीय योजना काल में कितने और जहाज बनाने की योजना है ;

(ग) अब तक बनाये गये जहाजों के लिये इंजन और बायलर खरीदने में विदेशों को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है ; और

(घ) शेष द्वितीय योजना काल में जो जहाज बनाने की योजना है उनके लिये बायलर और इंजन की लागत पूरी करने के लिये विदेशी विनिमय के रूप में कितनी राशि व्यय की जाने वाली है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) २३ यार्ड के १९४१ में स्थापित होने से लेकर।

(ख) ९।

(ग) और (घ). १९४१ से लेकर अब तक बनाये गये जहाजों के लिये मशीनें और संयंत्र खरीदने में कितनी विदेशी मुद्रा के रूप में कुल कितनी राशि व्यय की गई है इसके आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं जो एकत्र करके यथासमय सभा पटल पर रख दिये जायेंगे। द्वितीय योजना काल में अब तक बनाये गये जहाजों पर व्यय की गई और शेष द्वितीय योजना काल में जिन ९ और जहाजों को बनाने की योजना है इन पर विदेशी मुद्रा की राशि क्रमशः ३५५ और ५८८ लाख रुपये हैं। इंजनों और बायलरों के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं किन्तु व्यय की गई विदेशी मुद्रा की राशि अथवा इन चीजों की खरीद पर जो राशि व्यय की जाने वाली है इसका अनुमान कुल विदेशी मुद्रा के व्यय का ५० प्रतिशत लगाया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिमी बंगाल को एक्स-रे फिल्मों का संभरण

†*१४८. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से एक्स-रे फिल्मों का संभरण करने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) जी हां।

(ख) राज्य व्यापार निगम के द्वारा राज्य सरकार की दो मास की एक्स-रे फिल्मों की आवश्यकता पूरी करने के लिये तात्कालिक प्रबन्ध किया गया था। राज्य व्यापार निगम द्वारा रुपये के भुगतान पर और अधिक एक्स-रे फिल्मों के संभरण के लिये दिये गये आर्डर के बारे में आशा की जाती है कि उसकी शीघ्र ही पूर्ति हो जायेगी और इस प्रकार प्राप्त किया गया स्टाक राज्य सरकारों के बीच उनकी आवश्यकतानुसार बांट दिया जायगा।

जोती-मुटुक साइडिंग का स्थान परिवर्तन

†*१४९. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **रेलवे** मंत्री १० सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १११० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसनसोल क्षेत्र में खानों के निकट जोती-मुटुक साइडिंग की नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या खान के मालिकों ने साइडिंग के स्थान-परिवर्तन के व्यय का अपना अंश जमा कर दिया है ; और

(ग) क्या कार्य आरम्भ कर दिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) एक दूसरी फर्म ने स्थान-परिवर्तन की लागत का अपना अंश देना स्वीकार कर लिया है।

(ख) अभी नहीं, श्रीमान्।

(ग) राशि प्राप्त हो जाने पर कार्य आरम्भ किया जायगा।

मनीपुर की लोकटाक झील का विकास

†*१५०. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ९ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५७४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर की लोकटाक झील पर पर्यटकों के लिये आकर्षक रमणीय स्थलों का विकास करने की योजना तब से कार्यान्वित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

बोंगाईगांव के निकट वर्कशाप

†*१५१. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या रेलवे मंत्री १५ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२४७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तरी पूर्वी सीमा रेलव पर बोंगाईगांव के निकट एक रेलवे वर्कशाप स्थापित करने की योजना पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब से आरम्भ किया जाने वाला है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ख). एक प्राक्कलन हाल ही में तैयार किया गया है जिसकी जांच की जा रही है।

अरियालूर दुर्घटना

†*१५२. **श्री नरसिंहन :** क्या रेलवे मंत्री २३ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४८९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे पर अरियालूर और कल्लागाम स्टेशनों के बीच मालगाड़ी की दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिये नियुक्त की गई जांच समिति की रिपोर्ट की जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) और (ख). जांच समिति की उपपत्ति के अनुसार दुर्घटना का कारण असाधारण रूप से जोरों की आंधी का आना था जिससे जबकि गाड़ी पुल से निकल रही थी दुर्घटना का शिकार हो गई। यह उपपत्ति स्वीकार कर ली गई है ।

प्रादेशिक भाषाओं में डाक के फार्मों की छपाई

†*१५३. **श्री सुब्बया अम्बलम् :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३७२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित राज्यों में मनी आर्डर तथा डाक के अन्य फार्म प्रादेशिक भाषाओं में छापे जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल):** जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि इसमें बहुत सी व्यावहारिक कठिनाइयां अर्न्तग्रस्त हैं और इस कारण इस प्रश्न का उल्लेख अन्य के साथ ही फार्म समिति को किया जा चुका है जिसकी स्थापना निदेशालय में की गई है जो अन्तर्ग्रस्त समस्याओं की जांच तथा उनके व्यवहारिक हल पर विचार कर रही है। प्रतिवेदन आगामी वर्ष के आरम्भ में प्राप्त होने वाला है।

डीजल रेल कारें

†*१५४. **श्री आचार :**
श्री साधन गुप्त :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रेलवे को आस्ट्रेलिया से प्राप्त डीजल रेल कारें किसी विशेष क्षेत्र के लिये आवंटित कर दी गई हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनका वितरण किस प्रकार किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार की कोई योजना ऐसी रेल कारें देश में बनाने की है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) प्राप्त २४ रेल कारों में से :—

(१) १२ रेल कारें दक्षिण रेलवे को आवंटित कर दी गई हैं और जो टूनी-समलकोट जंक्शन—कोकानाडा, कोकानाडा—समलकोट जंक्शन—राजमुन्दरी—निदादाबोलू—टाडेपाल्ली-गुदाम, सेक्शनों पर चल रही हैं ; और

(२) १२ रेलवे कारें उत्तर रेल को आवंटित कर दी गई हैं और इस सेवा को इन सेक्शनों पर चालू करने का प्रबन्ध किया जा रहा है—नई दिल्ली—पानीपत—कुरुक्षेत्र—नरवाना—जीन्द—रोहतक—दिल्ली किशनगंज, दिल्ली किशनगंज—रोहतक—जीन्द—पानीपत—नई दिल्ली, जालन्धर सिटी—लुधियाना—फीरोजपुर छावनी, जालन्धर सिटी—होशियारपुर—लुधियाना—लोहिया खास ;

(ग) जी नहीं ।

आवारा पशु

†*१५५. श्री वि० च० शुक्ल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १२ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली राज्य के प्राधिकारियों द्वारा इस बात का सुनिश्चय करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है कि जो आवारा पशु पकड़े जाते हैं ; कसाइयों के हाथ उनका गोश्त बचने के लिये उन्हें नहीं बेचा जाता है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): दिल्ली स्थानीय निकायों द्वारा इस बात का सत्यापन करने के लिये कोई विशेष समाचार नहीं मिला है कि खरीदार कसाई है अथवा नहीं। वस्तुत: दिल्ली में आवारा पकड़े गये पशु अधिकांशत: उनके मालिकों को प्रति पशु के लिये ५० रुपये जुर्माना लेकर लौटा दिये जाते हैं। पकड़े गये पशुओं के कुछ मालिक उनकी नीलामी में भाग लेने की भी प्रतीक्षा किया करते हैं क्योंकि वे ३० रुपये लेकर अपने पशु को छोड़ भी सकते हैं, जो सबसे कम बोली होती है क्योंकि वे प्रति पशु ५० रुपये जुर्माना नहीं देना चाहते।

नीलामी से बचे हुए ऐसे पशु जिनका कोई दावेदार नहीं होता और जो बच्चे पैदा करने के उपयुक्त होते हैं वे राज्य सरकारों, गोशालाओं, पिंजरापोलों तथा सद्भाव पशु प्रजनकों को राज्य के पशु पालन विभाग की सिफारिश पर प्रजनन कार्यों के लिये दे दिये जाते हैं। प्रजनन के लिये अनुपयुक्त पशु गोसदनों को भेज दिये जाते हैं । ऐसे मामलों में पशुओं के कसाइयों के हाथ में पड़ने का अवसर नहीं रह जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली नगर निगम को ऋण

†*१५६. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने केन्द्रीय सरकार से वजीराबाद पम्पिंग स्टेशन पर नये बांध के लिये साठ लाख रुपये के अतिरिक्त ऋण की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम के लिये इस अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पंजाब राज्य विद्युत् बोर्ड

†*१५७. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री १८ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना करने के सम्बन्ध में क्या और आगे प्रगति की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: जी नहीं। पंजाब और राजस्थान की सरकारों के बीच एक दो बातों पर असहमति हो जाने से भाखड़ा बांध परियोजना के लिए एक सामान्य संचित निर्माण को बनाए रखने और चलाने के बारे में किये गये करार पर अन्तिम रूप से निर्णय करने की बात रुक गई। करार होते ही यथाशीघ्र बोर्ड स्थापित करने के लिये कार्यवाही की जायेगी।

गंगा बांध योजना

†*१५८. { **श्री बर्मन :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री बिमल घोष :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'गंगा बांध योजना' पुनः जांच पड़ताल विशेषज्ञों द्वारा आरम्भ कर दी गई है ;

(ख) इस पुनः जांच पड़ताल में कितना समय लगने की संभावना है ; और

(ग) विशेषज्ञों द्वारा पुनः जांच-पड़ताल के मुख्य विषय कौन-कौन से हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) गंगा बांध योजना के पुनः जांच पडताल का कोई विचार नहीं है। मुख्य जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। योजना की जांच उच्च टेक्निकल जांच की जा रही है जो शीघ्र ही वित्तीय जांच-पड़ताल के लिये प्रस्तुत की जायेगी। टेक्निकल जांच के दौरान में कुछ और आगे जांच-पड़ताल करना आवश्यक समझा गया है तथा कुछ और भी आवश्यकता पड़ सकती है। संक्षेप में यह बता सकना संभव नहीं कि यह कब पूरा हो सकेगा।

भूमि उपयोग सर्वेक्षण

१५९. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में भूमि उपयोग सर्वेक्षण कब से किया जा रहा है; और

(ख) यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश प्रशासन से जानकारी मंगाई गई है और वह मिलते ही सभा की टेबिल पर रख दी जायेगी।

पेरांम्बूर का सवारी डिब्बे बनाने वाला कारखाना

†*१६०. **श्री त० ब० विट्ठलराव :** क्या **रेलवे** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेराम्बूर के सवारी-डिब्बे बनाने वाले कारखाने में स्थायी फर्निशिंग यूनिट की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) इसके कब तक पूरे हो जाने की संभावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) वर्कशाप स्ट्रक्चर्स के अतिरिक्त जिसके लिये टेंडरों पर विचार किया जा रहा है, निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ख) १९६१–६२।

डाक और तार कर्मचारियों के लिये बस्तियां

†*१६१. **श्री तंगामणि :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष में डाक और तार कर्मचारियों के लिये बस्तियां बसाने का है ;

(ख) अब तक कितनी बस्तियां बनाई जा चुकी हैं ;

(ग) इस बारे में मद्रास सर्किल में कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) मद्रास में बस्ती कब तक पूरी होगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री स० का० पाटिल):** (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सम्पूर्ण देश में १५ बस्तियों के बनाने का काम प्रगति पर है।

(ग) मद्रास सर्किल में सात स्थानों पर डाक और तार कर्मचारियों के लिये निर्माण कार्य की प्रगति विभिन्न क्रम पर है।

(घ) मद्रास में डाक और तार बस्तियों के लिये तीन प्रस्तावों के बारे में स्थिति निम्न प्रकार से है :—

(१) तेयनामपेट, मद्रास में ९२ क्वार्टर बनाने के लिये ६ मार्च, १९५८ को भूमि ले ली गई है। इमारत बनाने की परियोजना विचाराधीन है।

(२) हवाई अड्डे के निकट एक और बस्ती के लिये ११ एकड़ का प्लाट और लिया जाने वाला है।

(३) मद्रास टेलीफोन जिला कर्मचारियों के लिये एक प्लाट लेने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

उड़ीसा में नई रेलवे लाइनें

†*१६२. **श्री पाणिग्रही** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में नई रेलवे लाइन बनाने के लिये अब तक कुल कितनी भूमि प्राप्त की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिकर के रूप में अब तक कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) गैर-सरकारी १०२९ एकड़ भूमि।

(ख) जी हां, कुल उपर्युक्त (क) में से लगभग ६४७ एकड़।

(ग) लगभग ६,१०,००० रुपये।

इन्टेगरल कोच फैक्टरी, पैराम्बूर

*१६३. **श्री पद्म देव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्टेगरल कोच फैक्टरी, पैराम्बूर से चालू वर्ष में देश की रेलवे डिब्बों की मांग कहां तक पूरी हुई ;

(ख) क्या डिब्बों में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी बाहर से मंगाने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) कितने मूल्य की लकड़ी बाहर से मंगाई जायेगी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में बड़ी लाइन के कुल ३८१६ सवारी डिब्बे हासिल करने की योजना बनायी गयी है। इनमें से १८२२

---

†मूल अंग्रेजी में

सवारी डिब्बे बनाने का काम इस कारखाने को सौंपा गया है, जिन्हें दूसरी योजना के अन्दर तैयार करना है। ३०-९-५८ तक इस कारखाने में ५०१ सवारी डिब्बे तैयार किये गये, जिनमें १७९ वे सवारी डिब्बे भी शामिल हैं जो चालू साल के पहले ६ महीनों में तैयार किये गये हैं।

(ख) इस कारखाने में जो डिब्बे तैयार किये जाते हैं उनके लिए बाहर से लकड़ी नहीं मंगायी जाती।

(ग) और (घ). सवाल नहीं उठता।

इंजन के पुर्जे बनाने का कारखाना, मंडुआडीह[1]

†*१६४. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंडुआडीह में इंजन के पुर्जे बनाने के कारखाने के निर्माण के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) फैक्टरी में पूरा उत्पादन कब से होने लगेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल, बेसिक ट्रेनिंग वर्कशाप और शिशिक्षु छात्रावास का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है, कर्मचारियों के क्वार्टरों का बनना भी प्रगति पर है। मुख्य वर्कशाप की इमारत के निर्माण के लिये टेंडर मांगे गये हैं।

(ख) फैक्टरी में पूरा उत्पादन १९६३-६४ से होने की आशा की जाती है ?

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन मार्ग योजना

†*१६५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों के मार्गों को बदलने की योजना पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां।

(ख) इंडयिन एयर लाइन्स कारपोरेशन के दिनांक १५-१०-१९५८ के टाइम टेबल में पुनरीक्षित मार्ग नमूने दिखाये गये हैं।

इलाहाबाद स्टेशन का नये नमूने का बनवाया जाना

†२११. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०१६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद स्टेशन का नये ढंग का बनाने के लिये अद्यतन कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ख) क्या स्टेशन को नये ढंग का बनाने की सम्पूर्ण योजना पूरी हो चुकी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Locomotive Component Parts Factory, Manduadih.

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य यार्ड के नये ढंग के बनवाये जाने का उल्लेख कर रहे हैं जिस पर अब तक लगभग ८.६८ लाख रुपया व्यय किया जा चुका है।

(ख) यार्ड के नये ढंग का बनवाने का काम लगभग सितम्बर, १९५९ में पूरा हो जायेगा, ऐसी आशा है।

हिमाचल प्रदेश में पौधे बढ़ाने वाले बाग

२१२. **श्री पद्म देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित बातें बताई गई हों :

(क) हिमाचल प्रदेश में (जिलेवार) पौधे बढ़ाने वाले कितने बाग हैं ;

(ख) १९५७–५८ में लोगों को कितने पौधे दिये गये ; और

(ग) क्या सरकार लोगों की मांग को पूरा कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क)

जिला	पौधे बढ़ाने वाले बागों की संख्या
महासू	६
सिरमूर	५
मंड़ी	४
चम्बा	३
बिलासपुर	१
कुल	१९

(ख) १,२५,०००

(ग) जी हां, सिवाय सेब के, जिसकी कमी रजिस्टर शुदा प्राईवेट ज़खीरों से पूरी की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में पशु चिकित्सालय

२१३. **श्री पद्म देव:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित बातें बताई गई हों ;

(क) हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में इस समय कितने पशु चिकित्सालय हैं ;

(ख) १९५८ में इन चिकित्सालयों को स्थापित करने का लक्ष्य क्या है ;

(ग) कितने चिकित्सालयों में प्रशिक्षित कर्मचारी काम पर लगे हुये हैं ; और

(घ) कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये किस प्रकार की योजना विचाराधीन है ?

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क)

जिला	हस्पतालों की संख्या	डिस्पेन्सरीज
महासू	१३	२
मंडी	६	–
बिलासपुर	६	–
चम्बा	६	१
सिरमूर	६	–
कुल	३७	३

(ख) दो।

(ग) २०।

(घ) दो व्यक्ति, प्रत्येक बी० वी० एस० सी०, वेटेरेनरी कम्पाउन्डर्स और स्टाक एसिस-टेन्ट्स कोर्सों के लिये प्रतिवर्ष भारत की अनेक संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिये भेजे जाते हैं।

रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

†२१४. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि:

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५६ से लेकर ३० सितम्बर, १९५८ के बीच कितनी बार रेलगाड़ियां पटरी से उतरीं ;

(ख) रेलगाड़ियों के पटरी पर से उतर जाने के कारण रेलों को कितनी हानि हुई ; और

(ग) इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) १-१-१९५६ से ३०-९-५८ के बीच भारत सरकार की रेलों पर पटरियों से उतर जाने की २४ गंभीर घटनाएं हुईं।

(ख) रेलवे सम्पत्ति को इनसे लभभग १,५८७,२८८ रुपये के मूल्य की हानि हुई।

(ग) सभी प्रकार की दुर्घटनाओं में कमी करने, जिनमें पटरी से उतर जाना भी शामिल है, के लिय की गई कार्यवाही 'एफैक्चुअल रिव्यू आफ एक्सीडेंट्स आन इण्डियन गवर्नमेंट रेलवेज़' के अध्याय ६ में दिखाई गई है, जिसकी प्रतियां लोक-सभा के सदस्यों में वितरित की गई थीं।

†मूल अंग्रेजी में

डाक और तार कर्मचारी

†२१५. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ अप्रैल, १९५८ के डाक और तार कर्मचारियों संबंधी अतारांकित प्रश्न संख्या १८९३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १०० रुपये प्रतिमास तथा उससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की कितनी संख्या है ; और

(ख) १०० पये प्रतिमास से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की कितनी संख्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: (क) और (ख). १ जून, १९५८ तक की स्थिति जो कि नवीनतम तत्काल उपलब्ध थी, जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(क) १०० रुपये प्रतिमास तथा उससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या	४३,७०२
(ख) १०० रुपये प्रतिमास से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या	१,७०,५९८।

रिजर्व बैंक का अनुवर्ती सर्वेक्षण

†२१६. **श्री नागी रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा १९५१–५२ से पहले अखिल भारतीय ग्राम्य ऋण के बारे में किया गया अनुवर्ती सर्वेक्षण[1] पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो किसानों की आय, ऋण तथा सहकारी समितियों पर विश्वास संबंधी मुख्य निर्धारण क्या है ; और

(ग) सर्वेक्षण प्रतिवेदन की सिफारिशें क्या क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां।

(ख) प्रथम अनुवर्ती सर्वेक्षण के जिले और सामान्य प्रतिवेदन की रूप रेखा अभी पूरी तैयार नहीं हुई है। अतः किसानों की आय, ऋण तथा सहकारी समितियों पर विश्वास संबंधी मुख्य निर्धारण उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

स्मृति टिकट[2]

†२१७. **श्री राम कृष्ण :**
श्री अ० मु० तारिक:

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में जारी किये गये स्मृति टिकटों की संख्या, किसम और उनके नाम क्या हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Follow up Survey.

[2]Commemorative Stamps.

(ख) ऐसे टिकटों की कुल कितनी बिक्री हुई तथा उक्त काल में उनसे कितनी आय हुई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) और (ख). मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनबंध संख्या ६५]** बेचे गये टिकटों तथा उससे हुई आय संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है। कितनी संख्या में टिकट छापे गये और जारी किये गये तथा उनका अंकित मूल्य प्रत्येक के सामने विवरण में दे दिया गया है।

नई दिल्ली के टेलीफोन एक्सचेंज में महिला कर्मचारी

†२१८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली के टलीफोन एक्सचेंज के कार्यालय में इस समय कितनी महिला कर्मचारी काम कर रही हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: नई दिल्ली में "टेलीफोन एक्सचेंज" का कार्यालय नाम का कोई कार्यालय नहीं है। फिर भी, दिल्ली और नयी दिल्ली के टेलीफोन एक्सचेंजों की माहिला कर्मचारियों की संख्या का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

क्रमांक	एक्सचेंज का नाम	३१—१०—१९५८ को महिला कर्मचारियों की संख्या
१	ट्रंक एक्सचेंज, नई दिल्ली	१४६
२	कनाट प्लेस एक्सचेंज, नई दिल्ली	६४
३	तीस हजारी एक्सचेंज, दिल्ली .	१८
४	सेक्रेटेरिएट एक्सचेंज, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली .	३
५	एवेन्यू एक्सचेंज, नई दिल्ली .	५
६	ओल्ड सेक्रेटेरियेट एक्सचेंज, दिल्ली . . .	४
७	पी० एण्ड टी० एक्सचेंज डाइरेक्टरेड पी० बी० एक्स०, नई दिल्ली .	८

नोट : दिल्ली के जिन टेलीफोन एक्सचेंजों में एक भी माहिला कर्मचारी नहीं है, उनका उल्लेख ही नहीं किया गया है।

माल गाड़ी का पटरी से उतरना

†२१९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि १९ अक्टूबर, १९५८ को पश्चिम रेलवे के मीटर लाइन सेक्शन पर राव और महू स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी के १७ डिब्बे पटरी से उत्तर गये थे ?

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : जी हां। १९ अक्टूबर, १९५८ को १७.०५ बजे के लगभग जिस समय ९७२ डाउन मालगाड़ी पश्चिम रेलवे के मीटर लाइन भाग पर रतलाम-खण्डवा सेक्शन के राव और महू स्टेशनों के बीच जा रही थी, उसके १६ डिब्बे पटरी से उतर गये। कोई हताहत नहीं हुआ।

'दशमिक सैल'[1] स्थापित करने की योजना

†२२०. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में दशमिक प्रणाली लागू करने में शीघ्रता के लिये दशमिक "सैलों" की स्थापना की योजना को अन्तिम रूप प्रदान किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) विभिन्न जोनल रेलवेओं में दशमिक "सैलों" की स्थापना की जा रही है।

(ख) दशमिक सैलों की स्थापना का कार्य अभी चल ही रहा है इसलिये इस समय यह बता सकना संभव नहीं है प्रत्येक रेलवे में किस प्रकार की व्यवस्था की गयी है।

उड़ीसा की ग्राम्य जल संभरण योजनाओं के धन का उपयोग

†२२१. **श्री प्र० के० देव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में उड़ीसा राज्य को ग्राम्य जल संभरण योजनाओं के क्रियान्वित के लिये दिये गये धन का किस सीमा तक उपयोग किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : ग्राम्य जल संभरण योजनाओं के क्रियान्वय के लिये उड़ीसा को अब तक २९.४५ लाख रुपये दिये गये हैं और उनका उपयोग कर लिया गया है।

राष्ट्रीय राजपथों पर डाक बंगले

†२२२. **श्री प्र० के० देव**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजपथों के किनारे कुल कितने डाक बंगले हैं ; और

(ख) उनकी देखरेख के लिये १९५८–५९ में कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) ४३।

(ख) १९५८–५९ में ५५,००० रुपये व्यय किये जाने की संभावना है। डाक बंगलों के लिये कोई पृथक अनुदान, नहीं दिया जाता। उनकी देखरेख राष्ट्रीय राजपथों की देखरेख का ही एक अंग है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Metric cells.

उड़ीसा में डाक तथा तार कार्यालय

†२२३. **श्री कुम्भार:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) उड़ीसा सर्किल के प्रत्येक डाक डिवीजन में द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अब तक कितने-कितने ब्रांच, सब-पोस्ट आफिस, टेलीफ़ोन कार्यालय और तार घर खोले गये हैं ;

(ख) योजना की शेष अवधि में ऐसे कितने-कितने कार्यालय खोले जाने को हैं ;

(ग) क्या इस सर्किल की नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित कोटे पूरे हो चुके हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ६६]**

(ग) और (घ). कलर्कों, टेलीग्राफिस्टों, टेलीफ़ोन ऑपरेटरों, मिकेनिकों, डाकियों आदि और चतुर्थ श्रेणी की पदालियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित स्थानों और १९५६, १९५७ और १९५८ (१५–११–५८ तक) में उनके भरे जाने, और यदि कुछ कमी रह गयी हो तो उसके कारणों, के बारे में कटक में उड़ीसा सर्किल के डाक तथा तार निदेशक से जानकारी मांगी गयी है और वह यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा के डाक तथा तार विभाग में महिला कर्मचारी

†२२४. **श्री कुम्भार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ अक्तूबर, १९५८ को उड़ीसा सर्किल के डाक तथा तार विभाग में महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी थी ; और

(ख) उनमें से कितनी अनुसूचित जातियों की और कितनी अनुसूचित आदिम जातियों की हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** (क) २३।

(ख) (१) अनुसूचित जाति २

(२) अनुसूचित आदिम जाति एक भी नहीं।

मध्य रेलवे के विरुद्ध दी गयी डिग्रियां

†२२५. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ और १९५७–५८ में दीवानी अदालतों द्वारा दी गयीं कितनी डिग्रियों को मध्य रेलवे के खिलाफ क्रियान्वित किया गया ; और

(ख) उनका क्या परिणाम निकला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). यह जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी।

मध्य रेलवे में अत्यधिक भीड़भाड़

†२२६. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे की रेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ को दूर या कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) उसके क्या परिणाम हुए हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) अत्यावश्यक माल के यातायात की चालू और संभाव्य आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो भी उपयुक्त लाइन-क्षमता और अतिरिक्त डिब्बे व इंजन उपलब्ध हो सकें उनसे मध्य रेलवे में १-१-१९५७ से ३१-१०-५८ के बीच १२ नयी रेलगाड़ियां चालू की गयीं और ४ मौजूदा रेलगाड़ियों का क्षेत्र बढ़ाया गया। इसी अवधि में १२ रेलगाड़ियों के भार में वृद्धि की गयी। लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें इन रेलगाड़ियों का ब्यौरा दे दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ६७]**

(ख) ऊपर भाग (क) में जिन कार्यवाहियों का जिक्र किया गया है उनके फलस्वरूप मध्य रेलवे के जिन सेक्शनों में ट्रेन सर्विसें बढ़ायी गयी हैं उनमें गाड़ियों की भीड़भाड़ में कुछ कमी हुई है।

दिल्ली-बम्बई लाइन पर भोजन व्यवस्था करने वाले[१]

†२२७. **श्री पांगरकर:** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे की दिल्ली-बम्बई मेन लाइन पर कुल कितने भोजन-व्यवस्था करने वाले हैं ; और

(ख) १९५७-५८ में भोजन व्यवस्था करने वालों के खिलाफ कुल कितनी शिकायतें आई हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ८०।

(ख) १२०।

चीनी

†२२८. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई में १९५६-५७ और १९५७-५८ के सीजनों में गन्ने से कितने प्रतिशत चीनी की प्राप्ति हुई थी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : बम्बई राज्य में १९५६-५७ और १९५७-५८ के सीजनों में गन्ने से औसतन क्रमशः ११.६० और ११.२० प्रतिशत चीनी प्राप्त हुई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Caterers.

मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

†२२९. **श्री नागी रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, १९५८ के प्रथम सप्ताह में उनके साथ विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सामान्य निर्णय किये गये ; और

(ग) प्रत्येक राज्य के विषय में क्या विशिष्ट निर्णय हुए ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां, ७-११-१९५८ को।

(ख) और (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ६८]**

जम्मू तथा कश्मीर में फल परिरक्षण उद्योग

†२३०. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि जम्मू तथा कश्मीर राज्य में फलों को डिब्बों में बन्द करने के सम्बन्ध में बड़े पैमाने पर सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या जम्मू तथा कश्मीर राज्य में फलों को डिब्बों में बन्द करने के उद्योग की स्थापना का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). जम्मू तथा कश्मीर राज्य से यह जानकारी एकत्र की जा रही है और मिलते ही लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी।

पंजाब में क्षय-चिकित्सालय

†२३१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सहायता से १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक पंजाब में कुल कितने क्षय-चिकित्सालयों की स्थापना की गयी है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सहायता से १९५८-५९ में और भी क्षय-चिकित्सालयों की स्थापना के प्रस्ताव राज्य सरकार से आये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) पंजाब में केन्द्रीय सहायता से अब तक पांच क्षय-चिकित्सालय स्थापित किये गये हैं अथवा छोटे चिकित्सालयों को बड़ा बनाया गया है। इन पांच में से एक संगरूर में, दूसरा नाभा में, तीसरा लुधियाना में, चौथा अम्बाला में और पांचवां शिमला में है।

(ख) और (ग). जी हां। पंजाब सरकार से और भी क्षय-चिकित्सालय स्थापित करने या छोटे चिकित्सालयों को बड़ा करने के प्रस्ताव मिले हैं। ये प्रस्ताव होशियारपुर, फीरोजपुर, गुरदासपुर, करनाल, धर्मशाला, हिसार और रोहतक में एक-एक चिकित्सालय के बारे में हैं। यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में टेलीग्राफ लाइनें

†२३२. **श्री संगण्णा:**
श्री बै० च० मलिक :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री उड़ीसा की टेलीग्राफ लाइनों के विषय में १६ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ११५१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यथास्थिति में तब से कुछ परिवर्तन किया गया है ;

(ख) क्या उड़ीसा की सरकार और जनता से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा गया।

डाक तथा तार विभाग में विभागातिरिक्त कर्मचारियों संबंधी समिति

†२३३. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री तंगामणि :
श्री सु० चं० बनर्जी :
श्री रामकृष्ण :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री उ० च० पटनायक :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २८ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०५८ के उत्तर के सम्बन्ध म यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग की विभागातिरिक्त प्रणाली की जांच करने के लिये नियुक्त समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों पर क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या समिति की रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(घ) अंतिम प्रतिवेदन आने तक के लिये क्या अन्तरिम कार्यवाही की गयी थी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी हां।

(ख) वह अभी विचाराधीन है।

(ग) यह रिपोर्ट प्रकाशित होने पर किया जायगा।

(घ) कुछ भी कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नागपुर का ट्रैक्टर परीक्षण केन्द्र

†२३४. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नागपुर के ट्रैक्टर परीक्षण केन्द्र ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: नागपुर में एक पृथक ट्रैक्टर परीक्षण केन्द्र बनाने का विचार अब त्याग दिया गया है क्यों कि यह अनुभव किया गया कि बुदनी के ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र को इस प्रयोजन के लिये बढ़ाकर यह कार्य भी भलीभांति पूरा किया जा सकता है।

पैसेंजर गाड़ी पर हमला

†२३५. { **श्री बहादुर सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या रलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २१ सितम्बर, १९५८ को बिल्हार घाट स्टेशन के निकट मुगलसराय लखनऊ पैसेंजर गाड़ी को रोक कर उस पर पत्थर फेंके गये थे ;

(ख) क्या उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(घ) रेलवे के सवारी-डिब्बों और यात्रियों को कितनी क्षति पहुंची है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी हां।

(ख) और (ग). १५ उपद्रवियों के नामों का पता लग गया है और उनमें से चार अब तक गिरफ्तार किये जा चुके हैं। जिन व्यक्तियों पर सन्देह है उनमें से शेष को भी पकड़ने के लिये जोरदार ढंग से प्रयास किये जा रहे हैं।

(घ) छः टी० टी० ई०, तीन जी० आर० पी० के कान्स्टेबल और तीन यात्री घायल हुये थे जहां तक रेलवे के सवारी डिब्बों को हुई क्षति और यात्रियों की हुई हानि का संबंध है, उनके बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायगी।

हिमाचल प्रदेश में पशु चिकित्सालय

२३६. **श्री पद्म देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में चालू वर्ष में कितने पशु चिकित्सालय खोले गये ; और

(ख) इन चिकित्सालयों के लिये स्थान चुनते समय किन बातों का ध्यान रखा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य तथा कृषिमंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) चालू वर्ष में अभी तक कोई पशु चिकित्सालय नहीं खोले गये हैं परन्तु ऐसे दो चिकित्सालयों को जारी करने का विचार है। उनमें से एक मंडी जिले में गौहर के स्थान पर और दूसरा सिरमूर जिले में राजपुरा के स्थान पर हिमाचल प्रदेश में स्थापित किये जायेंगे ।

(ख) किसी विशेष स्थान पर पशु चिकित्सालय को स्थापित करते समय मुख्य विचार यह होता है कि इससे कितनी संख्या में पशुजनता की सेवा होती है। जिस जिले में चिकित्सालय खोलना हो तो पहले उस जिले की प्लेनिंग कमेटी[1] सुझाव पर विचार करती है और फिर हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल कौंसिल[2] की स्टेंडिंग कमेटी[3] की स्वीकृति लेकर उस को अन्तिम रूप दिया जाता है ।

हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग

२३७. **श्री पद्म देव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६–५७ और १९५८–५९ में हिमाचल प्रदेश (प्रशासन तथा प्रादेशिक परिषद्) के स्वास्थ्य विभाग के कितने मुख्य कार्यालय काम कर रहे थे ; और

(ख) इन कार्यालयों में अलग अलग कितने कर्मचारी काम कर रहे थे ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १९५६–५७ में हिमाचल प्रदेश प्रशासन के मातहत स्वास्थ्य विभाग का एक मुख्य कार्यालय था। १५ अगस्त १९५७ से प्रादेशिक परिषद् बन जाने के बाद दो मुख्य कार्यालय काम कर रहे हैं—एक हिमाचल प्रदेश प्रशासन के मातहत उस प्रशासन की संस्थाओं तथा योजनाओं के नियंत्रण के लिये और दूसरा प्रादेशिक परिषद् के अधीन परिषद् की संस्थाओं और योजनाओं के नियंत्रण के लिये ।

(ख) ऊपर लिखे मुख्य कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी इस प्रकार हैं :—

हिमाचल प्रदेश प्रशासन

	१९५६–५७	१९५८–५९
प्रथम श्रेणी	३	३
द्वितीय श्रेणी	—	—
तृतीय श्रेणी	२२	२०
चतुर्थ श्रेणी	५	५

प्रादेशिक परिषद्

	१९५६–५७	१९५८–५९
प्रथम श्रेणी	—	१
द्वितीय श्रेणी	—	—
तृतीय श्रेणी	—	२५
चतुर्थ श्रेणी	—	४

†मूल अंग्रेजी में

[1]Planning Committee.

[2]Territorial Council.

[3]Standing Committee.

रेलवे पर सहकारी समितियों को बिक्री के ठेके[1]

†२३८. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री ई० ईयाचरण :
कुमारी मो० वेद कुमारी :
श्री वि० च० शुक्ल :
श्री मोहम्मद इमाम :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों और भोजनयानों में बिक्री के ठेके देते समय सहकारी समितियों को प्राथमिकता प्रदान करने के निदेश जारी किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समय प्रत्येक ज़ोन में कुल कितनी बिक्री सहकारी समिति काम कर रही हैं ; और

(ग) विभिन्न रेलों पर १९५८ में अब तक सहकारी समितियों को कुल कितने बिक्री के ठेके दिये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) यह निदेश निकाले गये हैं कि प्रत्येक रेलवे में एक या दो स्टेशनों पर, जब भी जगह खाली हो, प्रयोगात्मक रूप में, भोजन व्यवस्था अथवा बिक्री के ठेके रजिस्टर्ड सहकारी समितियों को, जिनमें अधिकतर वास्तव में काम करने वाले लोग ही हों, दिये जायें ।

(ख) दक्षिण रेलवे में बीस, उत्तर रेलवे में दो और पूर्वोत्तर रेलवे में एक ।

(ग) दक्षिण रेलवे में एक ।

फल

†२३९. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ और १९५७–५८ में डिब्बा-बन्द फलों का कुल उत्पादन कितना हुआ और कितना निर्यात किया गया ; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन अब तक फलों को डिब्बों में बन्द करने के उद्योग में कुल कितनी केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क):

	पत्री वर्ष १९५६	पत्री वर्ष १९५७
	टन	टन
१. फल उत्पादों का प्राक्कलित उत्पादन	२३,१५० (जिसमें ९५० टन डिब्बा-बन्द फल भी शामिल हैं)	३०,००० (जिसमें १४०० टन डिब्बा-बन्द फल भी शामिल हैं)
२. फल उत्पादों का प्राक्कलित निर्यात	१,२९० (जिसमें ६२ टन डिब्बा-बन्द फल भी शामिल हैं)	१,७६० (जिसमें १७४ टन डिब्बा बन्द फल भी शामिल हैं)

†मूल अंग्रेजी में

[1]Vending Contracts.

(ख) १—ऋण—१६.१९ लाख रुपये ।

(२) फल उत्पादों के लिये खुले मुंह वाले स्वच्छ डिब्बों के निर्माण में लगने वाली टीन की चादरों के लिये १,८१,६०० रुपये की राज सहायता ।

संसद् सदस्यों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†२४०. श्री राम कृष्ण :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री १० सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०९१ के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि जो संसद्-सदस्य शामिल होना चाहें उनके लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना लागू करने के संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): हालांकि शामिल होने को इच्छुक संसद्-सदस्यों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना चलाने का निर्णय अस्थायी रूप से किया जा चुका है, फिर भी इस योजना की वास्तविक क्रियान्विति निम्नलिखित प्रश्नों का निर्णय होने तक रुक गयी है :—

(१) व्यय और अनुमानित आय में जो अन्तर रह जायेगा उस घाटे को स्वास्थ्य मंत्रालय पूरा करेगा या संसद्कार्य विभाग ; और

(२) क्या "संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम, १९५४" के अधीन संसद सदस्यों के परिवार के सदस्य इस योजना के अधीन लाभ-प्राप्त कर सकते हैं ?

इन प्रश्नों पर इस समय स्वास्थ्य मंत्रालय और संसद्-कार्य विभाग के बीच चर्चा हो रही है ।

कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योग

†२४१. श्री केशव : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा परियोजनाओं में विभिन्न योजनाओं के अधीन कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों में कुल कितने मूल्य का उत्पादन हुआ है ; और

(ख) १ अप्रैल, १९५८ तक इसमें से कितना बिक चुका था या कितना स्टाक में था ?

†सामुदायिक विकास मंत्री के सभा-सचिव (श्री ब० स० मूर्त्ति) : (क) और (ख). यह सूचना इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है और न इसे एकत्र करना व्यवहार्य ही है।

सहायक स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण[1]

†२४२. श्री कोडियन :
श्री दी० चं० शर्मा:

क्या स्वास्थ्य मंत्री १८ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३५७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Training of Auxiliary Health Workers.

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल कितने स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा ;

(ख) उनमें से कितने प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं ;

(ग) क्या प्रशिक्षण की वर्तमान सुविधायें आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये काफी हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रशिक्षण की सुविधाओं में वृद्धि करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में सहायक स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया गया है ।

(ख) यह कोर्स दो साल का है और विद्यार्थियों का पहला जत्था १९५९ में प्रशिक्षण पूरा कर लेगा ।

(ग) और (घ). प्रशिक्षण की मौजूदा सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं। भारत सरकार ने परिपत्र द्वारा यह योजना राज्य सरकारों को भेज दी हैं। उन्हें समय समय पर इसकी याद भी दिलायी गई है ।

उर्वरकों का आटवंन

†२४३. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक प्रत्येक राज्य को कुल कितने उर्वरकों का आवंटन किया गया है और यह आवंटन निश्चित करने के लिये क्या तरीका अपनाया गया था ;

(ख) क्या आवंटनों में वृद्धि के लिये कोई कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) विभिन्न नाइट्रोजनीय उर्वरकों के प्रत्येक राज्य को किये गये आवंटनों का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ६९**] यह आवंटन उपलब्धि और मांग के अनुपात के आधार पर किया जाता है ।

(ख) और (ग). संभरण में वृद्धि के उद्देश्य से ५०,००० टन मूंगफली की खली के निर्यात की अनुमति दे दी गयी है ताकि उससे होने वाली विदेशी मुद्राओं की आय का उपयोग उर्वरकों के आयात के लिये किया जा सके । भारत-अमरीका सहायता कार्यक्रम के अधीन उर्वरकों के आयात

†मूल अंग्रेजी में ।

के लिये कुछ राशि आवंटित की गयी है। इस व्यवस्था के फलस्वरूप निम्नलिखित अतिरिक्त आयात होने की आशा है :—

क्रमांक	उर्वरकों का नाम	परिमाण टन	परिमाण एस० ए० टनों के रूप में
१.	सल्फेट आफ अमोनिया	३२,०००	३२,००० इटली
२.	यूरिया	९,८६८	२२,००० इटली
३.	सल्फेट आफ अमोनिया	५७,०००	५७,००० खली के निर्यात के बदले में।
४.	सल्फेट आफ अमोनिया	३५,०००	३५,००० भारत अमरीका सहायता कार्यक्रम के अधीन दिया गया धन।"

अब तक उपर्युक्त मद १ और २ को मूर्त्तरूप दिया जा चुका है। यदि उपर्युक्त परिमाण में उर्वरक १९५९ की मार्च तक भारत आ जायें तो राज्यों को उनकी मांग के ५९ प्रतिशत तक आवंटित किया जा सकेगा।

रेलवे की आय

†२४४. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ के अप्रैल से सितम्बर तक १९५७ की इसी अवधि की तुलना में कुल कितनी आय हुई है?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):

	(करोड़ रुपयों में)
अप्रैल से सितम्बर, १९५७	१,८२,५८
अप्रैल से सितम्बर, १९५८	१,८६,६६

वायु समझौते

२४५. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने देशों ने भारत को अपने प्रदेश के ऊपर बिना किसी रुकावट और शर्त के विमान उड़ाने की अनुमति दी है ; और

(ख) कितने देशों ने रास्ते निश्चित कर के शर्त लगा दी है?

असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक विमान पर निरूढ़ि[1] और अन्तर्राष्ट्रीय वायुचर्या पारनयन करार[2] पर ७ दिसम्बर, १९४४ को शिकागो में दस्तखत

†मूल अंग्रेजी में

[1]Convention on International Civil Aviation.

[2]International Air Services Transit Agreement.

किये गये थे। दस्तखत करने वाले एक राज्य के नागरिक विमानों का दस्तखत करने वाले दूसरे राज्य की सीमाओं में उड़ान का नियंत्रण अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक विमान पर निरूढ़ि के अनुच्छेद ५[1] और अन्तर्राष्ट्रीय वायुचर्या पारनयन करार के अनुच्छेद १ की धारा १[2] के अनुसार होता है। भारत ने भी इन पर दस्तखत किये थे। ३१ दिसम्बर, १९५७ को ७२ राज्य निरूढ़ि[3] में और ४८ राज्य पारनयन करार[4] में शामिल थे।

(ख) दो राज्यों ने अपने राज्यों की सीमा में होकर आरपार उड़ानें करने के लिये रास्ता मुकर्रर कर दिया है। इनमें से एक तो अन्तर्राष्ट्रीय वायुचर्या पारवहन करार में शामिल है और दूसरा नहीं।

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का मंत्रणा बोर्ड

†२४६. **श्री दामानी:**
श्री झूलन सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् के मंत्रणा बोर्ड ने नवम्बर, १९५८ की अपनी बैठक में जो सिफारिशें की थीं उन्हें विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में किस प्रकार लागू किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है और संघ राज्य-क्षेत्रों में मंगायी जा रही है। एकत्र होने पर यह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

वर्षा के कारण रेलवे की क्षति

†२४७. **श्री दामानी:** क्या **रेलवे** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि उस वर्ष की अभूतपूर्व वर्षा के फलस्वरूप पुलों को जो क्षति, ट्रेन सर्विसों के छिन्न-भिन्न होने और रेलवे डिब्बों और सामान को हुई क्षति से रेलवे की कितनी हानि हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: जानकारी एकत्र की जा रही है और एक विवरण यथा समय सभा-पटल पर रख दिया जायगा।

उड़ीसा में काजू की खेती

†२४८. **श्री पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३४४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में काजू की खेती करने की योजना कहां तक कार्यान्वित की गई है ; और

(ख) उड़ीसा में काजू की खेती में वृद्धि करने के लिये अब तक कितना केन्द्रीय अंश व्यय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Article 5 of the Convention on ICA.
[2](Article 1 Section 1, of the International Air Services Transit Agreement.
[3]Convention
[4]Transit Agreement.

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) योजना १६–५–१९५७ से काम कर रही है। अब तक की गई प्रगति संबंधी जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई है।

(ख) केन्द्रीय अनुदान में से १९५७–५८ में ८१३ रुपये काम में लाये गये थे। चालू वित्तीय वर्ष में किये गये व्यय संबंधी जानकारी अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

मलेरिया उन्मूलन

†२४९. **श्री पाणिग्रही** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १२ अगस्त १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रव्यापी मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को चलाने के लिये उड़ीसा को कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : तीन वर्षों के लिये १९५८–५९ से १९६०–६१ उड़ीसा राज्य को भारत सरकार की कुल सहायता राशि १०५.७३ लाख रुपये में से १९५८–५९ में अस्थायी रूप से ३१.९५ लाख पये की राशि आवंटित कर दी गई है।

टिकट जांच कर्मचारी

†२५०. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री २३ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५१९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टिकट की जांच करने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारी बढ़ाये जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) टिकट की जांच करने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव अभी उत्तर रेलवे प्रशासन के विचाराधीन है।

(ख) जब तक प्रस्तावों पर अन्तिम रूप से निश्चय न कर लिया जाये तब तक संख्या के बारे में नहीं बताया जा सकता।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

†२५१. **श्री राम कृष्ण** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, १९५८ के आखिरी सप्ताह में दिल्ली में दक्षिण-पूर्व एशिया की विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रादेशिक समिति के ग्यारहवें सत्र में किस प्रकार के निर्णय और सिफारिशें की गईं तथा संकल्प पारित किये गये ; और

(ख) इन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की अथवा करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) दस्तावेज़ संख्या एस० ई० ए०/आर०सी० ११/२४ की एक प्रति जिसमें २४ से ३० सितम्बर, १९५८ तक नई दिल्ली में दक्षिण-पूर्व एशिया के विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रादेशिक समिति के ग्यारहवें सत्र के संकल्प और सिफारिशें दी गई हैं, लोक-सभा

---

†मूल अंग्रेजी में

पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा है । देखिये अनुक्रमणिका संख्या एल० टी० १०२६/५८]

(ख) इन निर्णयों पर अन्तिम रूप मे सहमति बारहवें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी जायेगी, जिसका सत्र मई, १९५९ में जेनेवा में होना निश्चित हुआ है और उसके पश्चात् आवश्यक कार्यवाही के लि` इसका उल्लेख विभिन्न सरकारों को किया जायेगा। इस बीच भारत सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से इन सिफारिशों की जांच करेगी ।

गौहाटी में मेडिकल कालेज

†२५२. **श्री बसुमतारी:** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, क्या डिब्रूगढ़ मेडिकल कालेज में अत्याधिक भीड़ के कारण गौहाटी में दूसरा मेडिकल कालेज स्थापित करने के बारे में आसाम सरकार के पास से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : राज्य सरकार के पास से इस बारे में कोई औपचारिक निवेदन नहीं किया गया है ।

आन्ध्र प्रदेश में क्षय रोग

†२५३. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश को १९५८–५९ में क्षयरोग के रोकने के लिये कुल कितनी राशि दी जाने वाली है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : आंध्र प्रदेश सरकार को १९५८–५९ में क्षय रोग के रोकने के लिये ६,७१,८०५ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जाने वाली है ।

हरिहर और बंगलौर सेक्शन के बीच रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

†२५४. **श्री मुहम्मद इमाम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी लाइन पर हरिहर और बंगलौर सेक्शन के बीच १ मई से ३० सितम्बर, १९५८ के दौरान में कितनी बार मालगाड़ियां पटरी से उतरीं ;

(ख) प्रत्येक बार गाड़ी के पटरी से उत्तर जाने के परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस प्रकार इनके पटरी से उतर जाने के क्या कारण थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनबंध संख्या ७०]

मैसूर के खाद्यान्नों का संभरण

†२५५. **श्री वोडयार** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य स्थिति को सुदृढ़ बनाने तथा मूल्यों में स्थापित्व लाने की दृष्टि से केन्द्र द्वारा मैसूर राज्य को १९५७–५८ में कितने खाद्यान्नों का आवंटन किया गया ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक राज्य सरकार को कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का संभरण किया गया है और १९५८–५९ के अवशिष्ट काल में कितनी मात्रा और देने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). वित्तीय वर्ष १९५७–५८ में और ३१ अक्तूबर, १९५८–५९ तक केन्द्रीय सरकार के स्टाक में से मैसूर राज्य में विवरण के लिये चावल और गेहूं निम्न मात्रा में निकाला गया था :—

(हजार टनों में)

वर्ष	चावल	गेहूं	धान
१९५७–५८	३५.८	२७.५	०.२
१९५८–५९ (३१ अक्तूबर, १९५८ के अन्त तक) .	कुछ नहीं	२१.६	—

१९५८–५९ के अवशिष्ट काल में जो संभरण किया जायेगा उसकी मात्रा बता सकना संभव नहीं ।

पर्यटन कार्यालय

†२५६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे विदेश कौन-कौन से हैं जिनमें पर्यटन कार्यालय हैं ; और

(ख) इन कार्यालयों पर किया गया व्यय उनकी उपयोगिता के अनुरूप हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, आस्ट्रेलिया और लंका ।

(ख) इन कार्यालयों ने भारत में यात्रा करने वाली सामान्य जनता में जो चाव पैदा किया है तथा व्यापार सम्पर्क एवं जनसम्पर्क संबंधी कार्यों के द्वारा क्रमशः इन देशों में विशेष रूप से यात्रा के द्वारा जो व्यवसाय बढ़ाया है उसे ध्यान में रखते हुये यह महसूस किया जाता है कि इन कार्यालयों पर किया गया व्यय लाभदायक सिद्ध हुआ है। यह प्रतिवर्ष इन देशों से निरन्तर बढ़ती हुई संख्या में पर्यटकों के आने से परिलक्षित होता है ।

पूर्वोत्तर रेलवे में चोरियां

†२५७. **श्री झूलन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में पूर्वोत्तर रेलवे पर रेलवे सम्पत्ति की चोरी के बारे में क्या स्थिति है ; और

(ख) इसकी तुलना में मध्य और पश्चिम रेलों की क्या हालत है ?

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पूर्वोत्तर रेलवे पर पिछले तीन वर्षों में रेलवे की सम्पत्ति की चोरी संबंधी स्थिति नीचे दी गई है :—

	रुपये
१९५५–५६	३,५१,३८७
१९५६–५७	४,८२,३९०
१९५७–५८	३,९०,१५१

(ख) उक्त काल में मध्य और पश्चिमी रेलवे में चोरी की स्थिति निम्न प्रकार है :

	१९५५–५६	१९५६–५७	१९५७–५८
	(रुपये)	(रुपये)	(रुपये)
मध्य रेलवे	९,१४,५९४	७,१७,३०३	४,९७,८३२
मध्य रेलवे	१,४३,८४५	२,२०,४१५	१,६४,३२७

गैंगमेन

†२५८. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के कितने गैंगमेनों को रेल के क्वार्टर मिल गये हैं ;

(ख) उनमें से कितनों की पुष्टि हो गई है ; और

(ग) १९५२ से लेकर अब तक उनमें से कितनों की पदोन्नति हो गई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : जानकारी एकत्र की जा रही है जो सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†२५९. **श्री तंगामणि** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि गवेषणा संस्था, दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारियों के लिये क्वार्टर हैं ;

(ख) क्या उनमें बिजली और अलग-अलग नल लगे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) से (ग). एक विवरण नीचे दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) भारतीय कृषि गवेषणा संस्था, नई दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये १४६ क्वार्टर हैं जिनका ब्योरा निम्न प्रकार है :—

(१) दफ्तरियों के	२०
(२) चपरासियों के	११८
(३) आई० ए० के . . .	८
	१४६

(ख) दफ्तरियों वाले क्वार्टरों में नल अलग हैं किन्तु उनमें बिजली नहीं है। आई० ए० वाले क्वार्टरों में नल भी अलग हैं और बिजली भी है। चपरासियों वाले क्वार्टरों में न बिजली है और न अलग नल ही हैं।

(ग) सामान्य संचय में जो आवास चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मिलता है उसमें जो पुराने ढंग के क्वार्टर हैं उनमें भी बिजली और अलग नल नहीं लगे हैं। तदनुरूप भारतीय दृष्टि गवेषणा संस्था के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों में भी बिजली और नल अलग नहीं लगाये गये हैं।

लेम्बूचरा कृषि फार्म, त्रिपुरा

†२६०. श्री दशरथ देब : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा प्रशासन द्वारा लेम्बूचरा कृषि फार्म त्रिपुरा पर कुल कितना वार्षिक व्यय किया जाता है?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : वार्षिक व्यय प्रत्येक वर्ष अलग-अलग होता है। १९५७–५८ में किया गया वास्तविक व्यय निम्न प्रकार था :—

	रुपये
१. अनावर्ती पूंजी व्यय	२७,५४४.०५
२. आवर्ती व्यय	२१,५७२.०५
योग . .	४९,११६.१०

त्रिपुरा में बीज फार्म

†२६१. श्री दशरथ देब : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कितने बीज फार्मों की स्थापना अब तक की जा चुकी है ;

(ख) उनकी स्थापना पर कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ग) इन फार्मों से १९५७–५८ और १९५८–५९ (अक्तूबर-तक) कुल कितनी आय हुई ?

†मूल अंग्रेजी में।

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) छः ।

(ख) १,६२,८५० रुपये ।

(ग) १९५६–५७ में स्थापित एक फार्म से १९५७–५८ में १,२४८ रुपये की आय हुई थी । अप्रैल–अक्तूबर, १९५८ में हुई आय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

त्रिपुरा में मीन क्षेत्र का विकास

†२६२. श्री दशरथ देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा प्रशासन द्वारा मीनक्षेत्र विकास पर कुल कितनी वार्षिक राशि व्यय की गई है ;

(ख) प्रशासन द्वारा कुल कितने मीनक्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से चलाये जा रहे हैं ; और

(ग) सरकारी मीनक्षेत्र से कुल कितनी मात्रा में मछलियों का संभरण किया जाता है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) अब तक किया गया कुल व्यय २,५३,२८३ रुपये है ।

(ख) विभागीय मीनक्षेत्र के अधीन कुल जलक्षेत्र १६७.९० एकड़ है ।

(ग) अब तक बेची गई मछलियों की कुल मात्रा २९६ मन है । इसके अलावा ५,२५,६२५ कार्प फ्राई और बीज-मत्स्य पालन के लिये राज्य से सहायता प्राप्त दर पर चाव रखने वाले कृत्रिम मत्स्यपालकों को बेच दी गई है ।

राष्ट्रीय रेलवे उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति

†२६३. श्री हेम राज : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में राष्ट्रीय रेलवे उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति की कितनी बैठकें हुईं,

(ख) उसकी क्या प्रमुख सिफारिशें थीं ; और

(ग) उनमें से कौन-कौन सी सरकार ने स्वीकार तथा कार्यान्वित की हैं ?

†रेलवे मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) एक ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ७१] ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में कर्मचारी

†२६४. श्री दलजीत सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री १८ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३५८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितने प्रतिशत स्थान रक्षित किये गये हैं ;

(ख) उन्हें अब तक न भरने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इनको कब तक भर लिया जायेगा ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग). संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षण क्रमशः १२ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत और ५ प्रतिशत रखा गया है। अन्यथा भरे गये स्थानों के लिये प्रतिशत १६.२/३ और ५ रखा गया है। असिस्टेंटों के स्थानों के लिये भर्ती गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा की जाती है जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के पक्ष में किये गये संरक्षण का भी ध्यान रखता है। जहां तक क्लर्कों का संबंध है, संरक्षण यथासम्भव पूरा किया जाता है और यदि उसमें कुछ कमी पड़ती है तो उसका कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों का न मिलना होता है।

पोस्त के डोडे[1]

†२६५. श्री दलजीत सिंह : क्या रेलवे मंत्री १५ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०४७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेशन से बाहर गाड़ी को रोक कर पोस्त के डोडे उतारने के संबंध में जांच पड़ताल पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) (क) और (ख). मामले पर अभी पंजाब की रेलवे पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और उसकी रिपोर्ट अभी नहीं मिली है।

रेलों में महिला कर्मचारी

†२६६. { श्री रामी रेड्डी:
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलों में महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) उसमें से रेलों के विभिन्न विभागों में कितनी महिला कर्मचारी हैं ;

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है जो सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Poppy hearts.

तांबे के तार की चोरी

†२६७. **श्री न० रा० मनिस्वामी :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ में ट्रंक टेलीफोनों और तार सेवाओं में तांबे के तार की चोरी हो जाने से कितने सर्किट घेरों की हानि हुई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल):** जानकारी एकत्र की जा रही है जो यथा शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दुर्घटनाओं से रेलवे को क्षति

†२६८. **श्री चुनी लाल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५, १९५६, १९५७ और १९५८ में अब तक वर्षवार दुर्घटनाओं और पटरी से उतर जाने के कारण रेलवे को कितनी क्षति हुई है ; और

(ख) यह हानि वर्षवार रेलों को होने वाली आय का कितने प्रतिशत है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) दुर्घटनाओं के कारण होने वाली क्षति का हिसाब मार्ग और इंजन को हुई क्षति के रूप में लगाया जाता है तथा दावों का भुगतान पत्री वर्ष के आधार पर न होकर वित्तीय वर्ष के आधार पर किया जाता है ।

१९५५-५६ तथा उससे आगे सभी दुर्घटनाओं से जिसमें पटरी से उतरना भी शामिल है, रेल मार्ग तथा इंजन को हुई क्षति का अनुमान निम्न प्रकार है :—

भारतीय रेलें

वर्ष	सभी दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप रेल मार्ग तथा इंजन को हुई क्षति की अनुमानित लागत
	(रुपये हजार में)
१९५५-५६	५६,९८
१९५६-५७	६८,९२
१९५७-५८	४१,९४
१९५८-५९*	१५,३८

इन वर्षों में दावों के भुगतान संबंधी आंकड़े अभी एकत्र किये जा रहे हैं और जानकारी तैयार होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*अगस्त, १९५८ तक

(ख) सकल आय में से रेल मार्ग तथा इंजन को कितने प्रतिशत हानि हुई यह नीचे दी गई है :—

भारतीय रेलें

वर्ष	सकल आय में से हानि की लागत का प्रतिशत
१९५५-५६	०.१८
१९५६-५७	०.२०
१९५७-५८	०.११
१९५८-५९*	०.१०

कुल प्रतिशत संबंधी जानकारी, जिसमें भुगतान की गई राशि भी शामिल होगी, उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित दावों के भुगतान की जानकारी के साथ दी जायेगी।

रेलवे के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†२६९. **श्री अगाड़ी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे डिवीजन के मुख्यालय गुंटाकल में १९५६–५८ में रेलवे के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनवाये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्वार्टरों की संख्या कितनी है और उनके बनवाने में कुल कितनी लागत लगी ; और

(ग) क्या यह सच है कि आवंटित हो जाने के पश्चात् भी काफी संख्या में क्वार्टरों पर कर्मचारियों ने इस कारण कब्जा नहीं लिया कि वे रहने योग्य नहीं हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी हां।

(ख) गुंटाकल में १९५६–५८ में २६,६५,१९७ रुपये की लागत से विभिन्न वर्गों के ४१२ क्वार्टर बनवाये गये हैं।

(ग) जी नहीं। सभी क्वार्टर रहने के उपयुक्त हैं और कर्मचारी उनमें रहने लग गये हैं।

सहायक नर्सिग संबंधी सम्मेलन

†२७०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सहायक नर्सिग पर चलाये गये सम्मेलन में किन-किन राष्ट्रों ने भाग लिया था जो ३ नवम्बर, १९५८ को नई दिल्ली में हुआ था ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : सम्मेलन में निम्नलिखित देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था :—अफगानिस्तान, बर्मा, लंका, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, इरान, जापान, पाकिस्तान, सूडान तथा थाईलैंड।

तेवान का एक प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में उपस्थित था।

---

†मूल अंग्रेजी में

*अगस्त, १९५८ तक

लम्बे रेशे वाली अमरीकी कपास

†२७१. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बे रेशे वाली अमरीकी कपास मनीपुर घाटी में पैदा की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो १९५७ और १९५८ में कितने एकड़ भूमि में यह कपास पैदा की गई थी तथा उन वर्षों में कितनी उत्पत्ति हुई ;

(ग) भारत के भिन्न भिन्न भागों में जो विभिन्न किस्म की कपास की फसलें होती हैं उनकी तुलना में इस कपास का उत्पादन कैसा था ; और

(घ) मनीपुर में कथित अमरीकी किस्म की कपास उपजाने की कहां तक गुंजाइश है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां। १९५६ की कपास की फसल को देखते हुये मनीपुर के कृषि निदेशक ने यह महसूस किया है कि परभानी अमरीकी कपास मनीपुर घाटी में उगाना आरम्भ किया जा सकता है।

(ख) कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं किन्तु मनीपुर में पर्याप्त मात्रा में यह नहीं उगाई जाती है।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) निश्चय के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि कथित अमरीकी किस्म की कपास को मनीपुर में उगाने की कहां तक गुंजाइश है। अमरीकी किस्म की गुंजाइश के बारे में निर्णय करने से पहले कुछ और अधिक नियमबद्ध परीक्षण कर लेना वांछनीय होगा।

प्रादेशिक स्नातकोत्तर कृषि गवेषणा प्रशिक्षण केन्द्र

†२७२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २३ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५९७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च डिग्री देने के लिये एक प्रादेशिक स्नातकोत्तर कृषि गवेषणा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने के बारे में पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई योजना पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). कुछ बातों पर पंजाब सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है जिसकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है। राज्य सरकार से प्राप्त योजना के बारे में विस्तृत योजना पर भारत सरकार की सहमति तभी बताई जायेगी जबकि मांगी गई जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त हो जायगी।

पंजाब में पम्पिंग सेट

†२७३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार को पम्पिंग सेट की स्थापना करने के लिये १९५८-५९ में अब तक कुल कितनी राशि दी गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पंजाब सरकार ने इस राशि का कहां तक उपयोग किया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) २.०० लाख रुपये।

(ख) यह जानकारी वर्ष के समाप्त हो जाने से पहले उपलब्ध नहीं होगी।

गवेषणा योजनायें

†२७४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २७ सितम्बर, १९५८ में अतारांकित प्रश्न संख्या २९५८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ और १९५८-५९ में (अब तक) पंजाब सरकार से प्राप्त हुई और भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् द्वारा अनुमोदित की गई गवेषणा योजनाओं के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : एक विवरण, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १ अनुबन्ध संख्या ७२]**

रेलवे प्रशिक्षण स्कूल

†२७५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल में प्रत्येक रेलवे 'जोन' के कितने विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ख) क्या इन स्कूलों का हाल ही में विस्तार किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

केरल में गेहूं की खपत

†२७६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १५ सितम्बर १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२३६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल सरकार ने राज्य में गेहूं की खपत बढ़ाने की जो योजना प्रस्तुत की है उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : केरल सरकार से जो योजना प्राप्त हुई है उसमें यह विचार किया गया है कि तीन स्थानों अर्थात् त्रिवेन्द्रम्, एर्नाकुलम और कोज़ीकोड में तीन 'व्हीट हाऊस' चालू किये जायें जहां गेहूं की बनी वस्तुओं को सस्ते दामों पर बेचा जाये। ये 'व्हीट हाऊस' उन कैफेटीरिया/रेस्ट्राओं की तरह चलाये जायेंगे जो कि सहायक खाद्य पदार्थों का प्रयोग बढ़ाने के लिये अखिल भारतीय महिलाओं के खाद्य परिषद् द्वारा चलाये जा रहे हैं। यदि इन स्थानों पर ये केन्द्र सफल रहे तो राज्य के अन्य स्थानों पर भी ये शुरू किये जायेंगे।

उत्तर रेलवे में कर्मचारियों को भुगतान सम्बन्धी शेष मामले

†२७७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में के प्रत्येक डिवीजन में उन मामलों का अन्तिम निर्णय किया जा चुका है जिनमें भुगतान करना शेष था ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि नहीं, तो इस समय प्रत्येक डिवीजन में अभी कितने मामले विचाराधीन हैं ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब मेल का देर से चलना

†२७८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जून से ३१ अक्तूबर १९५८ तक उत्तर और मध्य रेलवे में पंजाब मेल कितनी बार देर से चली ;

(ख) उपरोक्त महीनों में यह गाड़ी प्रतिदिन आखरी स्टेशन पर किस समय पर पहुंचती रही ;

(ग) देर से चलने के क्या कारण थे ; और

(घ) गाड़ी को ठीक समय पर चलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). जून-अक्तूबर १९५८ में जिन मौकों पर ५डाऊन/३७ अप और ३८ डाऊन/६ अप पंजाब मेल गन्तव्य स्थानों पर देर से पहुंची उनका उल्लेख नीचे किया जाता है :—

जितनी बार देर से पहुंची

मास १९५८	बम्बई वी० टी०	फीरोजपुर
	३८ डाऊन/६ अप मेल	५ डाऊन/३७ अप मेल
जून	२७	१३
जुलाई	२१	१४
अगस्त	१७	१४
सितम्बर	१९	१२
अक्तूबर	७	१५

प्रति दिन यह गाड़ी कितने समय पर पहुंचती रही यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) इस अवधि के दौरान में गाड़ी के देर से चलने के मुख्य कारण ये थे :—

(१) इस वर्ष वर्षा बहुत अधिक हुई और बम्बई, भुसावल, झांसी और फीरोजपुर डिवीजनों में कई स्थानों पर रेल की पटरी टूट गई थी और इसके फलस्वरूप गाड़ी कम रफ्तार और बड़ी सावधानी से चलानी पड़ती थी ।

†मूल अंग्रेजी में ।

(२) दिल्ली-मथुरा सैक्शन में दोहरी लाइन बिछाई जा रही थी और इसके कारण गाड़ियों के आने जाने में कुछ समायोजन करना पड़ता था।

(३) २-१०-५८ से ११-१०-५८ तक दिल्ली मेन के पश्चिमी कैबिन की सफाई मरम्मत आदि के कारण इस गाड़ी पर और अन्य गाड़ियों पर भी प्रभाव पड़ा।

(४) खतरे की घंटी अधिक बार खींची गई।

(५) उनके संचालन में कुछ दोष रहने के कारण दुर्घटनायें इंजन खराब हो जाना, सिगनल ठीक न होना, ऐक्सल का गरम हो जाना आदि।

(६) स्थिति में सुधार करने के लिये यह कार्यवाही की गई है :—

(१) रेलवे के डिवीजनल कार्यालय और मुख्यालय में इस गाड़ी के चलने पर ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे बोर्ड भी डाक/ऐक्सप्रेस गाड़ियों के चलने पर कड़ी नजर रखता है। गाड़ी को व्यर्थ किसी स्थान पर रोकने के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों से रेलवे विभाग जवाब तलबी करता है।

(२) थोड़े-थोड़े समय बाद गाड़ियों के ठीक समय पर आने जाने का आंदोलन चलाया जाता है और गाड़ियों के 'लेट' होने के कारणों का पता लगाया जाता है और उनमें सुधार करने के प्रयत्न किये जाते हैं।

(३) इनमें सुधार करने के लिये जब कभी आवश्यक समझा जाता है इन्सपैक्टरों और पदाधिकारियों को इन गाड़ियों में भेजा जाता है।

पंजाब में स्टेशन

†२७९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में इस समय स्टेशनों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) इन में से कितने और किन-किन स्टेशनों में बिजली लगाई गई है ; और

(ग) १९६१ की समाप्ति तक किन-किन स्टेशनों पर बिजली लगने की आशा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). राज्यवार ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। यदि अपेक्षित हो तो रेलवे जोन अथवा डिवीजन/जिलावार जानकारी दी जा सकती है।

रेल कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†२८०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में उत्तर रेलवे के फीरोजपुर–फाजिल्का सैक्शन के रेल कर्मचारियों के लिये प्रत्येक स्टेशन पर बनाये गये क्वार्टरों पर कितना खर्च किया गया है ;

(ख) प्रत्येक स्टेशन पर कितने क्वार्टर बनाये गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में इस सैक्शन पर कितने क्वार्टर बनाये जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में उत्तर रेलवे में फीरोजपुर-फाजिल्का सैक्शन पर कोई क्वार्टर नहीं बनाये गये।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस सैक्शन पर तीन क्वार्टर बनाने का विचार है।

उत्तर रेलवे में विश्रामालय

†२८१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में उत्तर रेलवे के किन-किन स्थानों पर नये विश्रामालयों का निर्माण किया गया और उन पर कितनी लागत आई ; और

(ख) कितने विश्रामालयों की मरम्मत की गई और उन पर कितनी लागत आई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १९५७-५८ में ८ नये विश्रामालय बनाये गये थे। स्टेशनों के नाम और लागत नीचे दी गई है:—

नाम	लागत रुपये
बहजोई	८,०००
मिसरिखतीर्थ	७,४००
मीतवाली	६,४००
ससनी	६,६५०
पनकी	१०,११०
कुंवर	९,५५९
दसूया	७,३८३
राजलदेसर	९,०००

(ख) विश्रामालयों की मरम्मत का हिसाब स्टेशन की इमारत की मरम्मत के हिसाब में ही शामिल होता है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

कपड़ा जांच समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में संकल्प

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: मैं दिनांक ३१ अक्तूबर, १९५८ के संकल्प संख्या १ (१८)-टैक्स (ए)/५८ की एक प्रति, जिसमें कपड़ा जांच समिति, १९५८ की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय दिये हुये हैं, सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई—देखिये संख्या एल० टी०-१०२७/५८]

---

†मूल अंग्रेजी में

लोअर दामोदर जांच समिति का प्रतिवेदन

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : मैं २८ अगस्त, १९५८ को तारांकित प्रश्न संख्या ६७७ के उत्तर में दिये गये एक आश्वासन के अनुसरण में लोअर दामोदर जांच समिति के प्रतिवेदन, खंड १ और २ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई—देखिये संख्या एल० टी०–१०२८/५८]

कृषि उत्पाद (विकास तथा भांडार) निगम अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : मैं कृषि उत्पाद (विकास तथा भांडार) निगम, अधिनियम, १९५६ की धारा ५२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

(१) कृषि उत्पाद (विकास तथा भांडार) निगम नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाला जी० एस० आर० संख्या ९३८ दिनांक ११ अक्तूबर, १९५८ ।

(२) कृषि उत्पाद (विकास तथा भांडार) निगम नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाला जी० एस० आर० संख्या १०३१ दिनांक १ नवम्बर, १९५८ ।

(३) जी० एस० आर० संख्या १०३२ दिनांक १ नवम्बर, १९५८ ।

(४) जी० एस० आर० संख्या १०३३ दिनांक १ नवम्बर, १९५८ ।

(५) जी० एस० आर० संख्या १०३४ दिनांक १ नवम्बर, १९५८ ।

[पुस्तकालय में रखी गई—देखिये संख्या एल० टी०-१०२९/५८]

पार्लियामेन्टरी कमेटीज—ए समरी आफ वर्क

सचिव : मैं दूसरी लोक-सभा के पांचवें सत्र के बारे में "पार्लियामेंटरी कमेटीज—ए समरी आफ वर्क" (संसदीय समितियां—कार्य सारांश) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

प्राक्कलन समिति

तीसवां प्रतिवेदन

†**श्री ब० गो० मेहता** (गोहिलवाड़) : मैं रेलवे मंत्रालय—यात्री सुविधाओं के बारे में प्राक्कलन समिति (पहली लोक-सभा) के पच्चीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा का कार्य

†**संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : आपकी अनुमति से, मैं २४ नवम्बर से आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :—

(१) संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक १९५८, पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, अग्रेतर विचार तथा पारित किया जाना ।

(२) निम्नलिखित पर विचार तथा उनका पारित किया जाना :—

(क) आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ ;

(ख) हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन तथा कार्यवाही) वैधीकरण विधेयक, १९५८ (२४ नवम्बर को अथवा उनके आस पास के किसी दिन पुरस्थापित होगा ;

(ग) संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, १९५८ ।

(३) निम्नलिखित मामलों पर भी चर्चा होगी :—

(१) २५ नवम्बर को २.३० म० प० बजे हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड, १९५६–५७ का वार्षिक प्रतिवेदन (श्री नाथपाई और अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले एक प्रस्ताव पर ;

(२) भारत के जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के सम्बन्ध में २५ अगस्त, १९५८ को लोक-सभा में वित्त मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य (२७ नवम्बर को वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले एक प्रस्ताव पर) ;

(३) ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में समवाय अधिनियम, १९५६ के प्रशासन तथा कार्य संचालन का वार्षिक प्रतिवेदन (२९ नवम्बर को २.३० म० प० बजे श्री राम कृष्ण और अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले एक प्रस्ताव पर) ।

जानकारी का प्रश्न

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : प्राक्कलन समिति ने रेलवे मंत्रालय के कार्य संचालन के सम्बन्ध में दो तीन वर्ष पूर्व कई प्रतिवेदन प्रस्तुत किये थे । जब तक समिति रेलवे मंत्रालय द्वारा दिये गये उत्तरों पर विचार नहीं कर लेगी हम उसके सम्बन्ध में प्रश्न नहीं उठा सकते हैं । तीन वर्ष हो चुके हैं जो कि काफी लम्बा समय है, अब हम जानना चाहते हैं कि प्राक्कलन समिति रेलवे द्वारा दिये गये उत्तरों पर सिफारिशों को अन्तिम रूप कब तक दे देगी ।

†**श्री ब० गो० मेहता** (गोदिलवाड़) : प्राक्कलन सामति की सिफारिशों पर संबंधित मंत्रालयों द्वारा विचार किया जाता है जिसमें कुछ समय लगता है । फिर वे अपने उत्तर प्राक्कलन समिति

---

†मूल अंग्रेजी में

को भेजते हैं और प्राक्कलन समिति की एक उप-समिति उन उत्तरों पर विचार करती है। उनके द्वारा दिये गये उत्तरों में से कुछ उत्तर समिति स्वीकार करती है तथा कुछ अस्वीकार करती है। इसके बाद प्राक्कलन समिति के कार्यालय और संबंधित मंत्रालय में पत्र व्यवहार चलता है जिसमें काफी समय लगता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सभा नियमों के अन्तर्गत उपबन्धित तरीकों से उन विषयों पर चर्चा नहीं उठा सकती जिन पर वह उठाना चाहती हो। जब तक समिति को उत्तरों से पूरी तरह संतोष नहीं हो जाता तब तक वह उपयुक्त प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत कैसे कर सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : समिति की सिफारिशों पर सभा में चर्चा नहीं की जाती है और न ही उन्हें मतदान के लिये रखा जाता है। जब से समिति बनाई गई है तभी से समिति की सभी सिफारिशों को सरकार को स्वीकार करना पड़ता है। यदि इन सिफारिशों को लागू करने में कोई कठिनाई होती है तो सरकार समिति को उस कठिनाई के बारे में बताती है। दोनों में पत्र-व्यवहार होता है तथा अन्त में एक समझौता होता है। अभी तक सरकार और समिति में किसी झगड़े का मौका नहीं आया है।

अब यदि कोई सदस्य चाहते हैं कि समिति की कोई सिफारिश शीघ्रता से लागू की जाये तो वह सभा में उसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं जिससे मंत्री महोदय का ध्यान उस सिफारिश की ओर आकर्षित हो जाये।

समिति के लिए निर्वाचन

भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि समय-समय पर संशोधित भारतीय तिलहन समिति अधिनयम, १९४६ की धारा (४ के खण्ड (एस) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति में श्री माणिक्य लाल वर्मा के त्याग-पत्र के कारण हुई आकस्मिक रिक्ति में एक सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि समय-समय पर संशोधित भारतीय तिलहन समिति अधिनियम, १९४६ की धारा (४) के खण्ड (एस) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति में श्री माणिक्य लाल वर्मा के त्याग-पत्र के कारण हुई आकस्मिक रिक्ति में एक सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में।

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में अब भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार होगा। इसके लिए निर्धारित पांच घंटों में से ४ घंटे २३ मिनट समाप्त हो चुके हैं तथा ३७ मिनट शेष हैं। श्री मूलचन्द दुबे अपना भाषण जारी रखें।

†**श्री मूलचन्द दुबे** (फर्रुखाबाद) : कल मैंने बताया था कि बिजली का हमारे देश के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। मैं मानता हूं कि अब बिजली का उत्पादन पहले से बहुत बढ़ गया है परन्तु फिर भी इतना नहीं बढ़ा है कि प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच सके। मैं यह भी मानता हूं कि नगरों में बिजली लगाई जा रही है परन्तु मेरे विचार में अभी इतना पर्याप्त संभरण नहीं होने लगा है जिससे समस्त जनता मशीनों का उपभोग उठाने लगे। जब तक ऐसी भावना जागृत नहीं की जायेगी उन्नति बहुत धीरे धीरे होगी। आज गांवों में किसानों को खेती का नया ढंग सिखाया जाता है परन्तु नगरों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। मैं समझता हूं कि यदि नगरों में जनता को बिजली का उपभोग करके मशीनों को चलाकर रोजगार शुरू करने का लाभ बताया जाये तो आज जो लोग सरकारी नौकरी के लिए दौड़ते हैं वह दौड़ समाप्त हो जाये तथा साथ ही साथ देश की सम्पत्ति भी बढ़ जाये। ऐसा करने के लिए सरकार को बिजली की दरें कम करनी चाहिएं। यदि उत्पादन व्यय अधिक हो तो हानि उठाकर उसका संभरण किया जाये जिससे बेकारी दूर हो सके।

माननीय मंत्री ने जो बताया कि उपभोक्ताओं को सुविधायें दी गई हैं, उनके बारे में मैं बताता हूं। मैं समझता हूं कि कोई सुविधा दी ही नहीं गई हैं। पहली सुवधा यह दी गई है कि उपभोक्ताओं को सरकार के समान ही अधिकार दिए गए हैं। विधि में व्यवस्था न होने पर भी यह व्यवस्था चली ही आ रही थी। इसलिए यह कोई सुविधा नहीं हुई।

दूसरी सुविधा यह दी गई है कि किसी क्षेत्र में कम से कम छः व्यक्तियों के बिजली मांगने पर बिजली दी जाती थी, अब उसको घटा कर २ व्यक्ति कर दिया गया है परन्तु लाइन लगाने का १५ प्रतिशत भी तो मांगा जाता है। तीसरी सुविधा यह है कि मकान मालिक की अनुमति प्राप्त किए बगैर किरायेदार बिजली ले सकेंगे। यह भी बड़ी अजीब बात है क्योंकि बहुत कम किरायेदार बिजली लेने का व्यय उठाने को तैयार होंगे।

कल कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रीयकरण के बारे में सरकार ने नीति की घोषणा नहीं की है। मैं बताना चाहता हूं कि वह नीति तो कुछ हद तक चल ही रही है। मेरे राज्य उत्तर प्रदेश में बिजली सरकार अथवा नगरपालिका आदि ही लगाते हैं तथा जहां ऐसा करना संभव नहीं होता वहां ही बिजली लगाने की अनुज्ञप्ति प्राइवेट लोगों को दी जाती है। पुरानी अनुज्ञप्तियों को भी लगभग समाप्त किया जा रहा है। यह बताया गया कि बिजली के संभरण में लोगों की अपेक्षा सरकार को प्राथमिकता दी जाती है। उसको तो प्राथमिकता दी ही जानी चाहिए क्योंकि एक व्यक्ति से समस्त जनता का लाभ अधिक महत्व रखता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : मैं उन माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक में इतनी रुचि दिखाई और चर्चा में भाग लिया। कुछ माननीय सदस्यों ने बड़े लाभदायक तथा रचनात्मक सुझाव दिए हैं। जिन सदस्यों ने इस में भाग लिया उन्होंने कितने ही विषयों पर, जैसे राष्ट्रीयकरण की नीति, विधेयक बनाने में खराबियां तथा प्रशासन के अन्य व्यौरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बिजली बनाने के प्रश्न के सम्बन्ध में, देश में बिजली के महत्व तथा नई परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी बताया। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि शिवरावती तथा बरौनी जैसी परियोजनाओं को पूरा किया जाना चाहिए तथा सभी बिजली परियोजनाओं को योजना के आवश्यक मांग में रखना चाहिए। उनमें से कुछ ने राज्य बिजली बोर्डों के कार्यों तथा उपभोक्ताओं और बिजली उद्योग में काम करने वाले मज़दूरों के प्रतिनिधित्व की ओर निर्देश किया। कुछ माननीय सदस्यों ने दरों, तथा सिंचाई और छोटे पैमाने के उद्योगों में दी गई सुविधाओं के सम्बन्ध में भी कहा।

एक माननीय सदस्य ने हीराकुंड की बिजली को काम में लाने के प्रश्न के सम्बन्ध में कहा। इन सब बातों से पता लगता है कि माननीय सदस्य बिजली के उत्पादन तथा वितरण आदि में कितनी रुचि रखते हैं।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** पीठासीन हुईं]

यह ठीक भी है कि माननीय सदस्य बिजली के सम्बन्ध में रुचि दिखायें क्योंकि बिजली से आजकल बड़े लाभदायक काम होते हैं। परन्तु मैं पहले ही बता चुकी हूं कि १९४८ के बिजली संभरण (संशोधन) अधिनियम में तथा इस विधेयक में बड़ा अन्तर है। माननीय सदस्यों ने यहां पर जो कुछ बातें कही हैं उससे सरकार को विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में उनके विचारों का पता लग गया है और अगले संशोधन में हम निश्चित रूप से इन पर ध्यान रखेंगे।

वर्तमान विधेयक के बारे में श्री माथुर ने ठीक ही कहा है कि बोर्डों का प्रश्न, नीति का प्रश्न आदि इस विधेयक में नहीं आते हैं। यह विधेयक तो अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्बन्ध में है कि अनुज्ञप्ति कब समाप्त करदी जा सकती है अथवा खरीदी जा सकती है, प्राथमिकता किस प्रकार होनी चाहिए, उपभोक्ताओं को क्या सुविधायें दी जानी चाहियें तथा बिजली के संभरण और वितरण के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के क्या अधिकार होने चाहिएं।

अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा बताये गये सुझावों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। प्रारंभ में मैं बताना चाहता हूं कि इन सुझावों के प्रति मेरा तथा सरकार का दृष्टिकोण व्यवहारिक होगा। मैं समझता हूं कि कुछ सुझाव तो ऐसे हैं जिनके पीछे पर्याप्त बल है और वे उचित भी है। आशा है संयुक्त समिति उन पर विचार करेगी।

श्री भरूचा ने विषय का बड़ा गहन अध्ययन किया है और उनके सुझाव बड़े ठोस हैं जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है। पहली बात उन्होंने खण्ड ११ के अधीन व्यवस्था के संशोधन के सम्बन्ध में कही है। इसके द्वारा मकान मालिक की अनुमति के बिना ही किरायेदार को बिजली लगाने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने बताया कि इससे कोई लाभ होने की संभावना नहीं है क्योंकि संभव है पट्टे में किरायेदार पर कुछ शर्तें लगा दी गई हों और किरायेदार यदि उनको भंग करेगा तो उससे मकान खाली कराया जा

†मूल अंग्रेजी में

सकेगा। इस प्रकार मकान मालिक समझौते में यह लिखवा लेगा कि किरायेदार उसकी अनुमति लिये बिना बिजली नहीं लगवायेगा। किरायेदार को मकान की आवश्यकता होती है इसलिए सभी शर्तें बाध्य हो कर उसको माननी होंगी। मैंने स्वंय इस कठिनाई को समझा और समझता हूं कि यदि यह खण्ड पर्याप्त नहीं है तो हम ऐसे उपबन्ध के सम्बन्ध में विचार कर सकते हैं। जिससे किरायेदारों को सुरक्षा मिल जाये और सरकार जो सुविधा देन है उससे यह वंचित न रह जायें। मुझे आशा है कि हम ऐसा कोई हल ढूंढ निकालेंगे।

दूसरी बात जिसके बारे में कितने ही माननीय सदस्यों ने, जिनमें पंडित ठाकुर दास भार्गव भी हैं,कहा,वह यह है कि संशोधन में हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि बिजली लेने के लिए कम से कम छः व्यक्तियों द्वारा आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बजाये दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने पर भी अनुज्ञप्तिधारी को बिजली देनी होगी। यह कहा गया कि दो के बजाये एक व्यक्ति के हस्ताक्षर होने पर बिजली दी जानी चाहिये। एक बात तो यह कही गई। दूसरे यह बताया गया कि दो व्यक्तियों द्वारा बिजली की मांग करने पर उन्हें यह गारण्टी देनी होगी कि अनुज्ञप्तिधारी की १५ प्रतिशत आय होगी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि १५ प्रतिशत जो रखा गया है वह उस अतिरिक्त खर्च का १५ प्रतिशत है जो अनुज्ञप्तिधारी को उठाना पड़ेगा। और वह विभिन्न प्रकार की जांच के पश्चात् रखा गया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि दोनों व्यक्तियों को १५ प्रतिशत का भुगतान करते रहना होगा। केवल पहले दो वर्ष तक ही ऐसा होगा। इसके साथ साथ यह प्रश्न उठाया गया कि मान लीजिए इन दो वर्षों में अन्य लोग भी बिजली ले लेते हैं तो क्या यह दोनों व्यक्ति १५ प्रतिशत देते रहेंगे। मैं समझता हूं कि जो लाइन का लाभ उठाते हैं उनको भी इसमें योग देना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें कुछ रुपया जमा कराना होगा। इसका मतलब यह है कि अनुज्ञप्तिधारी को जो कुल आय होगी वह उसकी कुल लागत का १५ प्रतिशत हो। यदि दो से अधिक व्यक्ति बिजली लेते हैं तो अनुज्ञप्तिधारी की आय बढ़ जायेगी और पहले दोनों व्यक्तियों पर क्रमशः भार कम हो जायेगा। यदि १५ प्रतिशत में होने वाला कोई घाटा सिर्फ दो ही व्यक्तियों को पूरा करना हो तो हम यह उपबन्ध कर सकते हैं कि दो वर्षों के अन्तर्गत नये उपभोक्ताओं को भी समवाय के घाटे को पूरा करने में सहयोग देना होगा। १५ प्रतिशत धन जमा नहीं किया जायेगा अपितु यह तो एक उपबन्ध रखा गया है कि जो आय होगी वह कुल लागत का १५ प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। जैसा माननीय सदस्यों ने बताया कि इसका भार पहले दो उपभोक्ताओं पर होगा, ऐसी बात नहीं है, बाद में सम्मिलित होने वाले उपभोक्ता भी उसमें योग देंगे ? इसको संयुक्त समिति के सामने रख दिया जायेगा।

इसके पश्चात् यह प्रश्न उठाया गया कि क्या १५ प्रतिशत अधिक नहीं है। १५ प्रतिशत उनकी शुद्ध आय नहीं होगी, यह कुल आय होगी। मैं बताता हूं कि यह अधिक नहीं है क्योंकि जांच करने पर पता लगा है कि १५ प्रतिशत में, ७ प्रतिशत उस विशिष्ट क्षेत्र के लिये बिजली का उत्पादन व्यय होगा १.६ प्रतिशत संधारण व्यय, २.५ प्रतिशत मरम्मत व्यय तथा ६ प्रतिशत लाभ होगा। इस प्रकार यह १७.७ प्रतिशत हो जाता है। हम इसको कम करने के सम्बन्ध में और जांच करेंगे। उद्देश्य है कि बिजली सस्ती दरों पर दी जाये। हम इस पर पुनः विचार करेंगे।

श्री भरूचा ने अगली महत्वपूर्ण बात राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कही। सभा जानती है कि जब १९४८ का अधिनियम पारित किया गया था और १९५७ में संशोधन किया गया था तब सरकार ने अपने उद्देश्य स्पष्टतया बता दिये थे। १९४८ के अधिनियम की प्रस्तावना में इन उद्देश्यों का उल्लेख है। सरकार की नीति इस विषय में एक दम स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र में बिजली का उत्पादन तथा संभरण बढ़ना चाहिए। लेकिन साथ ही यह भी चाहते हैं कि कुशलतापूर्वक काम करने वाले उपक्रमों को चालू रहने दिया जाये। सभा को यह जान कर प्रसन्नता होगी। कि प्रत्येक वर्ष सरकारी

[श्री हाथी]

क्षेत्र में अधिस्ठापित बिजली उत्पादन क्षमता बढती जा रही है। प्रथम योजना के आरम्भ होने से पूर्व सरकारी क्षेत्र में अधिष्ठापित क्षमता ६ लाख किलोवाट थी और गैर-सरकारी क्षेत्र में ११ लाख किलोवाट थी जो प्रथम योजना की समाप्ति पर सरकारी क्षेत्र में ६ लाख किलोवाट से बढ़ कर १४ लाख किलोवाट हो गई तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में ११ लाख किलोवाट से बढ़ कर १३ लाख किलोवाट हो गई। द्वितीय योजना के अन्त में सरकारी क्षेत्र में यह ४३ लाख किलोवाट होगी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में केवल १५ लाख किलोवाट होगी। इस प्रकार पता लगता है कि सरकारी क्षेत्र की क्षमता बढ़ती जा रही है। वितरण के बारे में भी १९४८ के अधिनियम में दिया है कि जो अनुज्ञप्तिधारी ठीक प्रकार से काम नहीं करेंगे उनको बोर्ड नियंत्रित बिजलीघर घोषित कर देगा और इस प्रकार उनको बोर्ड के निदेशों के अनुसार काम करना होगा। यदि उपक्रम निदेशों के अनुसार काम नहीं करेंगे तो बोर्ड को उनको ले लेने का अधिकार होगा। इसका अर्थ है कि वह बोर्ड के क्षेत्राधिकार में आ जायेंगे और उनका प्रबन्ध वह करेगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे गैर-सरकारी उपक्रम समाप्त हो जायेंगे जो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं।

जिन राज्यों में, जैसे मद्रास, आन्ध्र, त्रावनकोर कोचीन में बोर्ड नहीं बनाये गये थे उनमें विशेष विधान पारित किए गए थे। जब इन राज्यों में बोर्ड नहीं बने थे, तो ये राज्य उन उपक्रमों को विशेष विधान द्वारा ले लेना चाहते थे जो ठीक प्रकार से कार्य संचालन नहीं कर रहे थे। जो उपक्रम ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं उनका प्रबन्ध बोर्ड समय समाप्ति से पहले भी, १९४८ के अधिनियम के अधीन उपयुक्त प्रतिकर देकर ले सकते हैं। इससे पता लग जाता है कि सरकार की नीति स्पष्ट है। हम सरकारी क्षेत्र बढ़ाते जा रहे हैं। जो उपक्रम ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं उनको हम ले सकते हैं। मैं समझता हूं कि सुचारू रूप से चलने वाले उपक्रमों को लेना उचित नहीं होगा क्योंकि उनको लेने में जो धन लगेगा वह बेकार व्यय होगा और उसको और बिजली बनाने में लगाना ठीक होगा। माननीय सदस्यों ने इसके बारे में कई तरह के विचार प्रकट किये थे। उनमें से अधिकांश का विचार यह मालूम पड़ता है कि राज्य बोर्डों को केवल उन उपक्रमों का काम ही अपने हाथ में लेना चाहिये जिनका काम ठीक से न चल पा रहा हो, सभी उपक्रमों को एक ही साथ राष्ट्रीयकृत नहीं करना चाहिये। कुछ माननीय सदस्य राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं हैं।

श्री भरूचा ने तीसरी बात यह कही थी कि हर महीने बिल नहीं भेजे जाते, समय पर उत्तर नहीं दिये जाते और मोटरों को ठीक करने में भी बड़ा विलम्ब किया जाता है।

वैसे आम तौर पर, अनुज्ञप्तिधारियों के हित में तो यही है कि वे हर महीने बिल भेज कर उसका रुपया वसूल कर लें। वे खुद नहीं चाहते कि उपभोक्ताओं के पास उनका रुपया पड़ा रहे। इसीलिये नियमों में यही व्यवस्था की गई है कि हर महीने बिल भेजे जायें। कुछ दूर के गांवों में अवश्य ही कर्मचारियों की कमी के कारण हर दूसरे महीने बिल भेजे जाते हैं। लेकिन नियम हर महीने बिल भेजने का ही है।

हां, मीटरों वाली बात अवश्य महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता जब चाहें अपने मीटर लगवा सकते हैं। यदि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिये गये मीटर ठीक काम न करते हों या उनमें बिजली के खर्च का सही-सही ब्यौरा न आता हो, १९१० के अधिनियम की धारा २६ के अनुसार, उपभोक्ता इस काम के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। वह पूरे मामले की जांच करने के बाद अपना निर्णय दे देगा।

श्री भरूचा ने केन्द्रीय विद्युत बोर्ड में अनुज्ञप्तिधारियों और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधित्व की प्राथमिकता का भी उल्लेख किया था। १९४८ के अधिनियम में वास्तव में बिजली पैदा करने और

उसके वितरण के सम्बन्ध में नीति निर्धारण करने की बात ही ली गई है। उसमें राज्य विद्युत् परिषदों की भी व्यवस्था है। उसकी धारा १६ में कहा गया है कि राज्य विद्युत् परिषदों में उपभोक्ताओं, श्रमिकों और समाज के लगभग सभी विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। उस धारा में व्यवस्था की गई है कि सम्बन्धित सरकार स्थानीय स्वायत्त शासन, विद्युत् सम्भरण उद्योग, वाणिज्य उद्योग, परिवहन, कृषि और विद्युत् सम्भरण उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के प्रतिनिधियों या उन के प्रतिनिधि निकायों से परामर्श करके परिषदें नियुक्त कर सकती है। इन परिषदों में उपभोक्ताओं को भी प्रतिनिधित्व रहता है।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : उपभोक्ताओं और उद्योग के हित अक्सर परस्पर विरोधी रहते हैं।

†**श्री हाथी**: उपभोक्ताओं की श्रेणी में तो सभी आ जाते हैं--कृषि करने वाले भी और उद्योग या परिवहन वाले भी। "सामान्य उपभोक्ताओं" को उनसे अलग कैसे किया जाये ? हो सकता है कि किसी पेशे विशेष के लोग इस श्रेणी में न आ पायें, लेकिन उसे इसमें सम्मिलित कैसे किया जाये ? परिषदों में स्थानीय प्राधिकारियों के प्रतिनिधि भी तो रहते हैं। वे सामान्य उपभोक्ताओं में से कुछ को भेज सकते हैं। १९४८ के अधिनियम में इसकी व्यवस्था की गई है।

श्री भरूचा और कुछ अन्य सदस्यों ने भी दूसरा प्रश्न यह उठाया था कि सरकारी संस्थानों को वरीयता क्यों दी जाये। नये संशोधन में व्यवस्था यह की जा रही है कि यदि राज्य सरकार लोकहित में समझे तो उन को वरीयता दे सकती है। खण्ड (ख) में स्पष्ट कहा गया है कि वरीयता केवल उन संस्थानों को ही दी जा सकेगी जिन को राज्य सरकार द्वारा सरकारी सूचनापत्र में सामाजिक जीवन के अत्यावश्यक घोषित किया गया हो। इस पर तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। राज्य सरकार केवल ऐसे ही संस्थानों को विद्युत् संभरण करने के लिये अनुज्ञप्तिधारियों से कह सकती है।

नई धारा २२क(१) (क) में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के संस्थानों को भी वरीयता दी जा सकती है। लेकिन उस की भी शर्त यही है कि उसे लोकहित की दृष्टि से अत्यावश्यक होना चाहिये। इस खण्ड के अन्तर्गत राज्य सरकार के हर किसी कार्यालय या किसी अधिकारी के बंगले को बिजली सम्भरण करने के लिये नहीं कहा जा सकता। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने या शायद किसी अन्य माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या किसी सरकारी होटल या सरकारी वाणिज्यिक संस्था को खण्ड (क) की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। हम इस पर विचार करेंगे और ऐसा प्रयास करेंगे कि यह वरीयता केवल उन संस्थानों को ही दी जाये जो वास्तव में लोक हित में हो और वास्तव में अत्यावश्यक हों। मैं सभी सुझावों पर विचार करने के लिये तैयार हूं। हम संयुक्त समिति की बैठक में इन सुझावों पर विचार करेंगे।

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन ने कहा है कि इस विषय में सरकार की अपनी कोई नीति ही नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि किसी भी नीति की घोषणा या उस का अधिसूचन करना इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार में नहीं है। हम ने १९४८ के अधिनियम में अपना मंशा बिलकुल साफ़ तौर पर जाहिर कर दिया था, और मैं ने अभी आंकड़े दे कर सिद्ध भी किया था कि हम उस नीति को आगे बढ़ाने या उसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कुछ करते आ रहे हैं। इसलिये यह कहना ग़लत है कि हमारी कोई नीति ही नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हाथी]

उन्हों ने एक विदेशी समवाय के किसी शाखा कार्यालय का एक पत्र भी पढ़ कर सुनाया था कि उस के हिसाब से इस देश में किसी वर्ष विशेष तक विद्युत उत्पादन करने की क्षमता या सम्भावना एक खास सीमा तक बढ़ जायेगी। शायद वह यह दिखाना चाहते थे कि हमारी नीतियों का निर्धारण कुछ विदेशी समवाय करते हैं और हम उन के कहने पर ही चलते हैं। यह कतई ग़लत है। हम खुद अपने देश की आवश्यकताओं को देख कर ही अपनी नीतियां निर्धारित करते हैं। हम अपनी योजना खुद बनाते हैं और इस सभा में उन पर चर्चा करते हैं। द्वितीय योजना अधिसूचित करते समय सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय ने सभी सम्बन्धित मंत्रालयों और देश के उद्योगों से परामर्श कर के ही यह निश्चित किया था कि देश को ४५ लाख किलोवाट बिजली की अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता पड़ेगी। बाद में, अन्य कई बाधाओं को देखते हुए ही, हम ने उसे घटा कर ३५ लाख किलोवाट कर दिया था।

सारी योजना अपने देश के लोगों ने ही तैयार की थी, और वही उसे अब कार्यान्वित कर रहे हैं। अन्य विदेशी समवाय योजना आयोग के प्रकाशित दस्तावेज़ से ही आंकड़े लेते हैं। वहां से वह सारी सूचना ले सकते हैं। उसी से उन्हें पता चलता है कि देश किस गति से प्रगति कर रहा है, कि प्रथम योजना काल में विद्युत उत्पादन १७ लाख किलोवाट से बढ़ कर ३४ लाख किलोवाट हो गया था और अब द्वितीय योजना की समाप्ति तक ६९ लाख किलोवाट हो जायेगा। इसी प्रकार, वे तृतीय योजना के लिये भी कह सकते हैं कि शायद उस काल में ५० लाख किलोवाट और अधिक हो जायेगा। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं होता कि हम उन के कहने पर चल रहे हैं।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम): मैं ने यह नहीं कहा कि सरकार की नीति ये विदेशी समवाय निर्धारित करते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना था कि इस सम्बन्ध में हमें लगभग सारी विदेशी मुद्रा ग्रेट ब्रिटेन से ही मिलती है और यह समवाय ग्रेट ब्रिटेन के सब से बड़े वित्तीय हितों में से एक है, इसलिये इस क्षेत्र में इस समवाय की बात का बड़ा महत्व है। इस प्रकार, हमारी योजना के साथ ही साथ, विदेशी मुद्रा का वास्तव में नियंत्रण करने वाले हितों की भी एक दूसरी ही योजना चल रही है। मैं ने इस की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये ही वह पत्र पढ़ कर सुनाया था।

†**श्री हाथी** : मैं इस के लिये माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं।

फिर, प्रतिकर के बारे में भी एक प्रश्न उठाया गया था। उचित बाजार मूल्य के बारे में निर्णय करना पड़ता है। इस प्रश्न के दो पहलू हैं। वह या तो पुस्त मूल्य होगा, या उचित बाजार मूल्य। दो साल पहले मूल्य गिर रहे थे, और उस के कारण हम अपनी परियोजनाओं में कई लाख रुपये की बचत करने में कामयाब हो गये थे। उस समय यदि हम यह रखते कि केवल पुस्त मूल्य ही माना जाये, तो हमें मूल्यों में गिरावट आने के बाद भी पुस्त मूल्य ही अदा करना पड़ता। कुछ साल पहले मूल्यों में गिरावट आई भी थी। जहां तक बाज़ार मूल्यों का सम्बन्ध है, यदि मशीनें २० साल तक चलें तो मशीनों की उपयोगिता में से अवमूल्यन घटा कर ही उन का मूल्य निर्धारित किया जायेगा। यह सही है कि इस समय उपकरण का मूल्य काफी चढ़ गया है, लेकिन पाच साल बाद उस का बाजार मूल्य गिर भी सकता है। यदि हम पुस्त मूल्य को ही माने, तो बाजार भाव के उतार-चढ़ाव के बावजूद हमें पुस्त मूल्य ही अदा करना पड़ेगा। लेकिन बाजार मूल्य मानने से फायदा यह रहता है कि हम मशीनों की मौजदा हालत, उपकरण की मौजूदा हालत और उस के चल सकने की अवधि का भी विचार कर सकते हैं और उस में से अवमूल्यन को घटा सकते हैं, और फिर जो मूल्य रहेगा वह उचित बाजार मूल्य ही होगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री नौशीर भरूचा** : यह कहा जा सकता है कि इन में से जो भी कम होगा उसी को माना जायेगा ।

†**श्री हाथी** : मैं आप को बता रहा हूं कि इस के बारे में मेरी अपनी भावना क्या है । मैं किसी एक बात पर अड़ नहीं रहा हूं । हम इसे संयुक्त समिति के सामने रख देंगे । मैं तो साफ कह देता हूं कि हमारी नीति है, या यह ऐसा है, या इस पर हम विचार करेंगे । इसलिये जहां तक मेरा संबं है, इस में कठिनाई का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

माननीय सदस्य ने बोनस का प्रश्न भी उठाया था । पता नहीं उन्हें इस सम्बन्ध में अब क्या कठिनाई महसूस हो रही है । हां, १९४८ के संशोधन के पहले तो कठिनाई हो सकती थी । सभी जानते हैं कि अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त व्यय में बोनस की अदायगी को सम्मलित नहीं किया गया था, और इसीलिये समवायों ने बोनस नहीं दिया था । इस अधिनियम का दर-ढांचा यह है कि हर अनुज्ञप्तिधारी को केवल उचित मुनाफा ही कमाने दिया जाता है ; लेकिन अब वह बैंक दर से दो प्रतिशत अधिक है; जो छः प्रतिशत हो जाता है । यदि बैंक दर तीन प्रतिशत हो, तो वह पांच प्रतिशत हो जाता है ।

इस की गणना में कुछ ऐसी भी मदें थीं जिन को आय की मदें मानना था और कुछ अन्य मदों को व्यय की मदें । और, आय में से व्यय को घटाने पर उसे छः या पांच प्रतिशत से अधिक भी नहीं होना चाहिये । समवायों ने बोनस देने से इसीलिये इन्कार कर दिया था कि वह व्यय की मद नहीं मानी गई थी ; इसलिये जो भी अन्तर होगा उसे पांच प्रतिशत मुनाफे में से घटाया जायेगा । यह मामला अपीलीय न्यायाधिकरण में भी भेजा गया था । हम नें भी इस पर विचार करने के बाद यही निर्णय किया कि श्रमिकों को इस से वंचित नहीं किया जाना चाहिये । इसीलिये अब बोनस को व्यय की मद बनाने का संशोधन किया जा रहा है । बाद में भी यदि कोई कठिनाई सामने आयेगी तो हम उस पर भी विचार करेंगे । श्री नवल प्रभाकर ने नरेला के एक अनुज्ञप्तिधा ी समवाय का उल्लेख किया था । मैं ने जांच की थी । वह अनुज्ञप्तिधारी नहीं है । वह समवाय दूसरी श्रेणी का है—उसे मंजूरी मिली हुई है । मुख्य आयुक्त इस बात की जांच कर रहे हैं कि वह मंजूरी रद्द की जा सकती है या नहीं । दिल्ली प्रशासन इस पर विचार कर रहा है ।

श्री महन्ती ने कहा था कि सभी राज्यों में बोर्डों की स्थापना नहीं की गई है । उन्होंने यह भी पूछा कि किन राज्यों में इन की स्थापना नहीं हुई है । पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश को छोड़ कर और सभी राज्यों में बोर्ड बन चुके हैं । इन राज्यों में भी बोर्ड बनाने की कोशिशें की जा रही हैं । उस में कुछ विधि सम्बन्धी कठिनाइयां हैं कि संयुक्त परियोजना को बोर्ड को सौंपा जा सकता है या नहीं ।

श्री महन्ती ने हीराकुड की विद्युत् के उपयोग का भी उल्लेख किया था । उन का कहना है कि हम अपनी क्षमता भर विद्युत् का उत्पादन नहीं कर रहे हैं । यह सही है कि हम अधिकतम उत्पादन नहीं कर रहे हैं । यह इसलिये कि हम दिसम्बर १९५८ तक के लिये लगभग सारी विद्युत् बुक (संरक्षित) कर चुके हैं । उदाहरण के लिये, रूरकेला में बनने वाले इस्पात कारखाने को ६०,००० किलोवाट की जरूरत है ; अलमूनियम कारखानें को ५५,००० किलोवाट विद्युत् इसी समय चाहिये रेलवेज़ को २५,००० किलोवाट चाहिये ।

अब सिर्फ एक ही प्रश्न रह जाता है—सिंचाई और उद्योगों के लिये दरों का प्रश्न । इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह है कि १९४८ के अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारियों को उस

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हाथी]

में निर्धारित उचित मुनाफे से अधिक मुनफा कमाने की अनुमति नहीं है, जो पांच या छैः प्रतिशत बैठता है। १६५६ के संशोधन से पहले, इस में कई त्रुटियां थीं और उन का लाभ समवायों ने उठा कर काफी मुनाफ़ा कमा लिया था। अब हम ने वे त्रुटियां दूर कर दी हैं, और कोई भी समवाय छैः प्रतिशत से अधिक मुनाफा नहीं कर सकता। यदि कोई करता है, तो उस की जांच की जा सकती है। लेकिन वह इस विधान के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित नहीं है।

कृषि मंत्रालय और राज्य सरकारें सिंचाई के लिये अनुसहाय्य देते हैं। यदि किसी तापीय केन्द्र अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत् उत्पादन की लागत चार आने प्रति यूनिट या इससे अधिक हो, तो हम उसे दो आने प्रति यूनिट की दर पर विद्युत् सम्भरण करने के लिये विवश नहीं कर सकते। वह नुकसान उठा कर तो उत्पादन नहीं कर सकता। लेकिन राज्य सरकारें अनुसहाय्य देती हैं और कृषि मन्त्रालय ने अनुदेश जारी कर दिये हैं कि यदि विद्युत् सम्भरण की दर कृषक की पहुंच से बाहर हो तो कृषकों को भी अनुसहाय्य दिये जाने चाहियें। लेकिन यह इस विधान में नहीं, बल्कि १६४८ के अधिनियम के अन्तर्गत है। मैं समझता हूं कि मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिये हैं।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** (केसरिया) : और बरौनी ?

†**श्री हाथी** : बरौनी और शेरावती इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में नहीं आते। सभापति महोदय ने मुझे केवल संगत प्रश्नों पर बोलने के लिये कहा है।

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : अच्छा हो यदि उन्हें कुछ मिनट और बोलने दिया जाये।

†**सभापति महोदय** : अब इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर के असंगत प्रश्नों को लेने के लिये समय सभा के पास नहीं रहा है।

प्रश्न यह है :

"कि भारतीय बिजली (संशोधन) अधिनियम, १६१० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की ४५ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें ३० सदस्य अर्थात सरदार हुक्म सिंह, श्री पेण्देकान्ती वेंकटासुब्बय्या, श्री विनायक राव कोरटकर, श्री माणिक लाल मगनलाल गांधी, श्री चन्द्रमणि लाल चौधरी, श्री श्रीनारायण दास, श्री शिवराम रंगो राने, श्री रामप्पा बालप्पा बिदारी, श्री सम्बन्दम्, श्री अय्याकण्णु, श्री पांगरकर, सरदार अमर सिंह सहगल, श्री उइके, श्री अब्दुल लतीफ, श्री पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री भगवान दीन मिश्र, श्री राम शंकर लाल, श्रीमती कृष्णा मेहता, श्री सु० हंसदा, श्री दीवान चन्द शर्मा, श्री ग० घ० सोमानी, श्री तंगामणि, श्री वासुदेवन नायर, श्री श्रद्धाकर सूपकार, श्री इगनैस बैक, श्री पुरुषोत्तम दास र० पटेल, श्री वैष्णव चरण मलिक, श्री प्रेमजी आसर, श्री ब्रज राज सिंह और श्री जयसुखलाल लालशंकर हाथी इस सभा के हों और १५ सदस्य राज्य-सभा के हों;

कि समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होगी;

---

†मूल अंग्रेजी में

कि समिति इस सभा को आगामी सत्र के पहले दिन तक अपना प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्त्तनों तथा रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो कि अध्यक्ष द्वारा किये जायें ; और

कि यह सभा, राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा अपने द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम लोक-सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक

†**सभापति महोदय:** अब सभा में संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार होगा । इसके लिये १५ घंटे नियत किये गये हैं ।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस):** मैं प्रस्ताव करता हूं "कि इस बात की घोषणा करने वाले विधेयक पर कि सरकार के अधीन लाभ-पदों को धारण करने वाले, ऐसे पदों के धारण करने के कारण संसद सदस्य चुने जाने या होने के लिये अनर्ह नहीं होंगे, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये ।"

यह विधेयक न केवल सरकार के लिये अपितु सभा के प्रत्येक सदस्य के लिये भी बहुत महत्वपूर्ण है । इस पर विभिन्न दृष्टिकोण सम्भव हैं, अत: विधेयक विवादपूर्ण है ।

संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों का उल्लेख करने के पूर्व, मैं इस विषय पर वर्तमान विधान का संक्षेप में उल्लेख करूंगा । जिससे आप जान सकें कि इस विधेयक द्वारा वर्तमान विधान में अन्य कौन से परिवर्तन किये जा रहे हैं । इस सम्बन्ध में पहिला अधिनियम १९५० का पहिला अधिनियम था । उसके अधीन हमने पदों के चार वर्गों को छूट प्रदान की थी । यह पद राज्य मंत्री, उपमंत्री, सभा सचिव और सभा अवर सचिव के पद थे । उक्त पदों के लिये छूट अब भी जारी है । दूसरा अधिनियम १९५१ का ६८वां अधिनियम था । जिससे कुछ समितियों की सदस्यता को छूट प्रदान की गई थी । उन समितियों के समाप्त हो जाने के कारण वह अधिनियम भी समाप्त हो गया है। तीसरा अधिनियम १९५४ का अधिनियम १ था, जिसकी अवधि ३१ दिसम्बर, १९५८ तक बढ़ा दी गई है । इस अधिनियम के द्वारा कुछ परामर्शदात्री समितियों की सदस्यता को छूट प्रदान की गई है । तब हमने उपकुलपतियों को छूट प्रदान की । तत्पश्चात उपसचेतकों को भी छूट प्रदान की गई । राष्ट्रीय छात्र सेना दल तथा प्रादेशिक सेना के अधिकारियों को भी छूट प्रदान की गई । कुछ अन्य समितियों को भी छूट प्रदान की गई थी ।

इस विधेयक में हमने उप-कुलपति, राष्ट्रीय छात्र सेना दल, प्रादेशिक सेना के अधिकारियों को छूट जारी रखी है । इसके अतिरिक्त होम गार्ड अधिकारियों को भी छूट प्रदान की गई है । तथापि इसका सबसे महत्वपूर्ण उपबन्ध यह है कि किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्था, जब तक कि जिस विधि के अधीन संस्था निर्मित हुई हो उसमें स्पष्ट विहित न किया गया हो, को छोड़ कर, किसी भी अन्य संविहित संस्था के सभापति, निदेशक या सदस्य के पद को भी छूट प्रदान की गई है । जहां कहीं अनर्हता के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट विधान है हमने उसे जारी रखा है, हमने यह कहा है कि किसी व्यक्ति को

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हजारनवीस]

इस शर्त पर छूट प्रदान की जायेगी जबकि उस पद से मिलने वाला पारिश्रमिक, प्रतिकरात्मक भत्ते से अधिक नहीं होगा। प्रतिकरात्मक भत्ते की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि इसका तात्पर्य संसद् सदस्य वेतन तथा भत्ता अधिनियम के अन्तर्गत संसद् सदस्य को मिलने वाली रकम से है।

हमने यह भी विहित किया है कि उक्त शर्त पर असंविहित संस्थाओं के सभापतियों और सदस्यों को भी छूट दी जायेगी। हमने यह भी कहा है कि सरकार को सलाह देने के प्रयोजन से अस्थायी रूप में नियुक्त सलाहकारों को भी छूट प्रदान की जायेगी। आंशिक समय काम करने वाले कुछ अधिकारियों के पद, जिन्हें राज्य विधानों से राज्य विधान मंडलों के लिये छूट मिली हुई है, को भी छूट प्रदान की गई है।

संयुक्त समिति की लम्बी बैठकें हुईं। हमने उन बैठकों में विभिन्न सिद्धान्तों पर विचार किया और तदुपरान्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। खंड १ (१) में हमने '१६५७' को बदल कर १६५८ कर दिया है। खंड १(२) में हमने लागू करने की तारीख की १ जनवरी, १६५६ के स्थान पर ३१ दिसम्बर, १६५८ कर दिया है। यह अतिरिक्त सावधानी रखने तथा इस विचार से भी किया गया है कि दोनों अधिनियमों के बीच कोई मध्यान्तर न रहने पाये। इसलिये यह अधिनियम पहिले अधिनियम के समाप्त होने के एक दिन पूर्व से ही लागू हो जायेगा।

खण्ड २ में व्याख्या के रूप में कुछ परिभाषाएं जोड़ी गई हैं। हमने व्याख्या से परिभाषायें लेकर एक नया खण्ड बना दिया है।

खण्ड ३ में स्पष्टीकरण के रूप में (क) जोड़ा गया है, इसमें 'मंत्री' शब्द के पश्चात राज्य मंत्री तथा उपमंत्री शब्द जोड़े गये हैं।

(ख) में 'सचेतक' शब्द जोड़ा गया है। पहिले अधिनियमों में 'मुख्य सचेतक' तथा 'उपमुख्य सचेतक' शब्द थे। अब हम 'सचेतक' को भी छूट प्रदान करना चाहते हैं।

विश्वविद्यालयों के विभिन्न पदों को छट देने से सम्बन्धित खंड (च) में केवल यह परिवर्तन किया गया है कि परामर्शदात्री प्रकार की किसी अन्य संस्था के पदों को भी छूट प्रदान की जायेगी।

मूल खंड (ज) हटा दिया गया है। अब मैं विधेयक का सबसे विवादपूर्ण अंश (ट) लेता हूं।

संयुक्त समिति ने इस खण्ड पर पर्याप्त समय विचार करने के उपरान्त यह निश्चय किया कि सारी समितियों को छूट देने तथा अनर्हता के प्रश्न को न्यायालयों तथा अधिकारियों के हाथों छोड़ने से अच्छा यह होगा कि यूनाइटेड किंगडम अधिनियम की तरह दो सूचियां बनायी जायं। पहिली, जिसमें अनर्हता हो। दूसरी, उन पदों की, जिसमें अनर्हता न हो। संयुक्त समिति ने उसी नमूने पर कार्य करने का प्रयत्न किया है इसमें समिति को कितनी सफलता मिली है यह तो सदस्यगण स्वयं ही बतायेंगे। हमने १३०० समितियों का अध्ययन किया। अनुसूची के भाग १ में ४२ केन्द्रीय और ५५ राज्य सरकार की समितियां हैं। जिन्हें पूरी तरह अनर्ह करार दिया गया है।

भाग २ में कुल ४० समितियां हैं : २८ केन्द्रीय सरकार की १२ राज्य सरकारों की हैं। जिनके सभापतियों और सचिवों को और स्थायी और कार्यपालिका समितियों के सदस्यों को अनर्ह करने का प्रस्ताव किया गया है। सदस्यों को अनर्हता नहीं होगी।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

संयुक्त समिति ने इस सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा है उसका सारांश यह है कि :

"यह विधेयक का सबसे विवादग्रस्त विषय है। समिति इस सम्बन्ध में अत्यन्त सावधानी से विचार करने के उपरान्त इस परिणाम पर पहुंची कि इस सम्बन्ध में संसद् सदस्यों की अनर्हता से सम्बन्धित विधान बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिये। इसलिये समिति ने यह निश्चय किया कि हाउस आफ कामन्स अनर्हता अधिनियम १९५७ के अनुसार विधेयक में एक अनुसूची रहे, जिनमें उन समितियों का नाम रहे जिनकी सदस्यता अनर्हता करेगी। तदनुसार विधेयक के भाग १ में उन समितियों का उल्लेख है जिनकी सदस्यता से अनर्हता प्राप्त होगी। और भाग दो में वे समितियां हैं जिनमें सभापति, सचिव या स्थायी और कार्यपालिका समिति के सदस्य का पद धारण करने से अनर्हता प्राप्त होगी केवल सदस्य अनर्ह नहीं होगा।"

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

संयुक्त समिति की उपसमिति ने प्रतिवेदन की कंडिका १४ में कहा है कि :

"अनर्हता प्रदान करने वाली तथा आपत्ति रहित समितियों के वर्गीकरण करने में कोई एकरूप सिद्धान्त इस कारण प्रयुक्त नहीं किया गया है क्योंकि हमारे देश की अविकसित अवस्था को देखते हुए, संसद् सदस्यों को जिन में से बहुत से विभिन्न विषयों का विशिष्ट ज्ञान रखने वाले होते हैं, पृथक नहीं रखा जा सकता है। इसलिये समितियों का वर्गीकरण करने में, सदस्यों की निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए समझौते से काम लिया गया है।"

इंगलैण्ड की विधि तथा हमारे संविधान में कुछ विशेष अन्तर है जिसे मैं सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। हाउस आफ कामन्स की प्रवर समिति के प्रतिवेदन में यह कहा गया है :

"विधेयक का मुख्य उद्देश्य सम्राट् के अधीन लाभपदों सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन के भाग १ को लागू करना है। समिति ने इस प्रतिवेदन, अन्य प्रतिवेदनों तथा लिखित साक्ष्य व मौखिक साक्ष्यों के अलावा इन दो सिद्धान्तों को भी ध्यान में रखा है कि संसद् सदस्यता यथासंभव व्यापक आधार पर होनी चाहिये दूसरे यह कि ऐसे प्रतिबन्ध एक विधान के अधीन हों। वह विधान इस प्रकार का हो जिस की सरलता से व्याख्या की जा सके और जो प्रभावित व्यक्तियों को सरलता से उपलब्ध हो सके।

इसलिये समिति ने पूर्व विधान में संशोधन करने का निश्चय किया तथा विधेयक के खंड १(१)छः के स्थान पर अनुसूची में एक निश्चित सूची देने का निश्चय किया, जिन्हें संसद् सदस्य धारण नहीं कर सकते हैं। यह सूची बनाने में समिति ने इस सिद्धान्त को मान्यता दी है कि भौतिक असंभवता, संरक्षण तथा विपरीत कार्यों के कारण कुछ पद संसद् सदस्यता के अनुरूप नहीं हैं। समिति ने कुछ पदों को नितान्त अनर्ह करार दिया है तथा कुछ पद उन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों तक अनर्हता प्रदान करते हैं जहां वे लागू होते हैं। उन्होंने इन पदों के नाम दे दिये हैं और आकस्मिकता के लिये भी उपबन्ध कर दिया है। उन्होंने अनर्हता प्रदान करने वाली सूचियों को सामान्य संविहित परिभाषाओं के अन्तर्गत रखा है। समिति के विचार में इस से प्रवर समिति के सम्मुख संदिग्ध अनर्हता के कम से कम मामले आयेंगे।

[श्री हजारनवीस]

विधेयक में कुछ सामान्य सिद्धान्तों को लागू करने का प्रयत्न किया गया था। संयुक्त समिति ने इस त्रुटि को दूर कर उस के स्थान पर उन पदों के नाम की विस्तृत सूची दे दी है जिन को धारण करने से अनर्हता प्राप्त होगी।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये १९५७ के हाउस आफ कामन्स अनर्हता अधिनियम में धारा १ (४) रखी गई है। धारा १(१) में उन पदों का उल्लेख किया गया है जिन के धारण से अनर्हता प्राप्त होगी। उपखंड २ में कहा गया है :—

"कि प्रथम अनुसूची के भाग चार में दिये गये पद, भाग ४ के स्तम्भ दो में दिये गये निर्वाचन क्षेत्रों के लिये संसद् सदस्यों को अनर्हत कर देंगे।"

खंड ४ में यह कहा गया है कि इस अधिनियम के उपबन्धों को छोड़ कर कोई भी अन्य पद धारण करने में कोई व्यक्ति संसद् की सदस्यता के लिये अनर्ह नहीं होंगा।

अर्थात् उल्लिखित पद धारण करने वालों को छोड़ कर अन्य सभी व्यक्तियों को संसद् सदस्यता के लिये अनर्हता प्रदान होगी। जबकि हमारे संविधान के अनुच्छेद १०२ में बिलकुल विपरीत शब्दावलि को प्रयुक्त किया गया है। :—

"कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिये और सदस्य होने के लिये अनर्ह होगा—

(क) यदि वह भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनर्ह न होना संसद् ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये है ;

इसलिये संविधान के अनुसार हमें ऐसे पदों की सूची बनानी है जिन के धारण करने से अनर्हता नहीं होगी। संविधान के अनुसार एक लाभ पद तब तक अनर्ह होगा जब तक कि वह अनर्हता हटा न दी जाय। इस प्रकार अनुच्छेद १०२ की प्रणाली ब्रिटेन के अधिनियम के विरुद्ध है। इस का यह तात्पर्य नहीं है कि वर्तमान अधिनियम की शैली व्यावहारिक नहीं है। प्रश्न यह है कि हम कहां तक शुद्धता और स्पष्टता बनाये रख सके हैं।

विधान मंडल अभी तक 'लाभपद' की परिभाषा नहीं कर पाये हैं। प्राधिकारी या न्यायालय लाभपद की परिभाषा संविधान के अनुसार ही करते हैं क्योंकि संविधान द्वारा दी गई शक्तियों से बाहर नहीं जा सकते हैं।

अनुच्छेद १०२ के अनुसार हमने उन पदों की सूची बनानी है जिन पर छूट प्रदान की गई है जबकि ब्रिटेन में स्थिति इस के ठीक विपरीत है।

तीसरा मुख्य अन्तर यह है कि हम ने केवल भारत सरकार द्वारा निर्मित पदों को ही नहीं अपितु राज्यों द्वारा निर्मित पदों को भी छूट प्रदान करनी है। हमारे प्रयत्नों के बावजूद भी राज्य सरकारों द्वारा निर्मित लाभपदों के सम्बन्ध में नवीनतम जानकारी मिलना कठिन होता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये संयुक्त समिति ने एक संसदीय उपसमिति बनाने का सुझाव दिया। "समिति ने कहा है :

"कि अनुसूची किसी समय भी पूर्ण नहीं हो सकती है अतः इस सम्बन्ध में सभा के दोनों सदनों की एक स्थायी संसद् समिति बनाई जाय जो वर्तमान तथा भावी समितियों की इस दृष्टिकोण से सिफारिश करे कि उन में से किस की सदस्यता से अनर्हता प्राप्त होगी और किस की सदस्यता से नहीं ।"

ब्रिटेन में संसद् अधिनियम उन्हें यह शक्ति प्रदान करता है कि एक परिषद् आदेश के द्वारा सूची में रद्दोबदल किया जा सकता है । संविधान के १०२ के अनुसार अनर्हता संसद् के अधिनियम द्वारा ही दूर की जा सकती है । अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या विधान मंडल प्रत्येक सत्र में इस बात पर विचार करे कि केन्द्र या राज्य सरकारों ने कितनी संविहित और असंविहित समितियां बनाई हैं और अपने समय का एक अंश अनर्हताओं के निवारण में दूर करे । एक कठिनाई यह भी है कि बहुत सी समितियां कार्यपालिका आदेश द्वारा बनाई जायेंगी जिन के नाम तथा संविधान में परिवर्तन होता रहेगा ।

ऐसी स्थिति में हम एक उपसमिति बनाने की आवश्यकता अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि वह एक तथ्यान्वेषी समिति बन कर रह जायेगी और उस से संसद् को विधान बनाने के दायित्व से मुक्ति नहीं मिलेगी । इस प्रकार की व्यवस्था से संसद् का बहुत समय व्यय होगा । जिसे हम नहीं दे सकते हैं ।

खंड ३ में यह परिवर्तन किया गया है कि गांव में राजस्व वसूली अधिकारी जहां उसे पुलिस अधिकारी की शक्तियां प्राप्त हैं संसद् की सदस्यता के लिये अनर्ह होगा ।

यह विषय बहुत कठिन है । हमें संसद् की निष्पक्षता को बनाये रखने के साथ-साथ विभिन्न संस्थाओं पर संसद् का नियंत्रण भी रखना है । सरकार ने इस बात पर पिछले पांच वर्षों में विभिन्न स्वायत्तशासी संस्थाओं के साथ संसद् सदस्यों के सहयोग को ध्यान में रखते हुए, विचार किया है ।

उक्त बातों पर विचार करते हुए संयुक्त समिति कुछ परिणामों पर पहुंची है । हम चर्चा को बहुत ध्यान से सुनेंगे । और आशा है कि सभा के सामूहिक विचार के बल पर हम इस में सुधार कर सकने में समर्थ होंगे । हम सभा के प्रत्येक पक्ष से आये सुझावों पर गौर करेंगे क्योंकि यह कोई दलगत प्रश्न नहीं है, अपितु एक व्यापक प्रश्न है जो सभी सदस्यों से सम्बन्ध रखता है । अतः मैं इस विधेयक को सभा के हाथों में छोड़ता हूं ।

†**श्री मुरारका** (झुंझनूं) : इस विधेयक पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय प्रस्तावक से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । इसका सम्बन्ध संविधान के अनुच्छेद १०२ से है । उस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक पद की स्थिति का अवलोकन संसद् के जिम्मे है । इस कारण अनुसूची में केवल उन्हीं पदों का उल्लेख होना चाहिये जिन के धारण करने से संसद् की सदस्यता के लिये अनर्हता नहीं होती ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह आपत्ति अपने भाषण के समय उठा सकते हैं । संभवतया माननीय सदस्य यही कहते हैं कि यह संविधान के अनुसार नहीं है ।

†**श्री मुरारका** : जी हां ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

श्री गुह ने दो संशोधन रखे हैं। एक संशोधन के द्वारा वह विधेयक को उसी समिति को पुन: सौंपना चाहते हैं और दूसरे के द्वारा वह इसे एक नई समिति के सुपुर्द करना चाहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन सी नई परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनके कारण यह आवश्यकता अनुभव हुई।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : संभवतया श्रीमान् नियम ३४१(३) का उल्लेख कर रहे हैं।

मेरी प्रार्थना यह है कि समिति ने इस मामले पर उपयुक्त नीति से विचार नहीं किया है। दूसरे यह अनुच्छेद १०२ के भी अनुकूल नहीं है। जहां तक विमुक्तियों का सम्बन्ध है यह सूची में पूर्ण नहीं है। इस के अतिरिक्त प्रतिवेदन के पश्चात् कुछ और समितियां बननी थीं किन्तु ऐसा नहीं हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में ये संशोधन विलम्ब करने के उद्देश्य से रखे गये हैं। संयुक्त समिति का गठन गत दिसम्बर में हुआ था और इस समिति ने ९ मास तक कार्य किया। उन्हें राज्य सरकारों से सूचियां प्राप्त नहीं हुईं। यह बात दूसरी है कि सभा जो चाहे वह करे किन्तु उन्होंने उपयुक्त रीति से काम किया है। उन्होंने केवल यही कहा था कि अन्य समितियां नहीं बनाई गईं यह मांग तो संभवतया पुन: भी पूरी न हो।

†**श्री अ० चं० गुह** : यदि समिति ने संविधान की आवश्यकता पूरी की होती तो हम कहते कि समिति ने उपयुक्त रीति से कार्यवाही की है। किन्तु ऐसा तो हुआ नहीं।

यदि किसी सरकार ने समिति से सहयोग नहीं किया तो संसद् का क्या दोष है। यह तो सभाओं की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। सरकारों को सहयोग देना चाहिये था। मैं तो समझता हूं कि सभा का अपमान हुआ है। सभा को ऐसे विधेयक को पारित करने के लिये कैसे कहा जा सकता है जो संविधान के भी अनुसार नहीं है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मैं समझता हूं माननीय सदस्य का यह तर्क कि समिति ने इस बात पर विचार नहीं किया कि दूसरी समितियां नहीं बनीं, ठीक नहीं है।

हां उन के इस तर्क में जान है कि जो समितियां विद्यमान थीं उन का परामर्श तो ले लिया जाता। मैं संयुक्त समिति का सदस्य था। हमारे प्रयत्नों के बावजूद भी यह कार्य न हो सका। यह वास्तव में ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों तक ने सहयोग किया। आखिर यह सभाओं की संयुक्त समिति थी। इस में विधि मंत्री भी थे। इस से अधिक प्राधिकृत समिति और क्या हो सकती है। तब भी समिति के पास सारी सामग्री न आ सकी। सरकार कैसे चल सकती है।

यदि हम इस अनुसूची को मान लें तब इस का परिणाम यही होगा कि इस में जो समितियां दर्ज नहीं हैं उन की सदस्यता से अर्हता बनी रहेगी किन्तु संविधान के अनुच्छेद १०२ के अनुसार यह कार्यवाही अवैधानिक होगी। यदि हम इस सिद्धात को मान लें तो अर्हता तथा अनर्हता दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होगा। जो सूची अर्हता वाली होगी उस से इतर पदों को अनर्हता वाले समझ लिया जायगा। अत: हमारे सामने पूर्ण अनसूची का होना ही अच्छा है। अन्यथा इसका कोई लाभ ही नहीं है। यह आपत्ति ठोस है। अनुसूची तो पूर्ण ही होनी चाहिये थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुरारका** : समिति ने दोनों सभाओं की एक स्थायी समिति के निर्माण की सिफारिश की है किन्तु माननीय मंत्री कहते हैं कि यह संभव नहीं है । इससे विधेयक की समूची योजना अधूरी रह जायेगी ।

अब संयुक्त समिति ने तो कुछ सिफारिश की है और उधर माननीय मंत्री कुछ और कहते हैं । इस से स्पष्ट विदित होता है कि अभी द्विविधा वर्तमान है । मैं यह जानना चाहता हूं कि निगमों की क्या परिस्थिति होगी ? अतः मैं समझता हूं कि अभी सारा विधेयक ही अस्तव्यस्त है । इसलिये श्री गुह ने जो यह कहा है कि विधेयक को पुनः संयुक्त समिति को सौंपा जाये ठीक है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जैसाकि भार्गव जी ने कहा है यह विधेयक अधूरा है । समिति के साथ मंत्रालयों तक ने सहयोग नहीं किया जिस कारण अनुसूची अधूरी रह गई । खैर अब यह सभा के सामने है । यदि सभा चाहे तो इस को रद्द कर सकती है अथवा यदि यह समझे कि इतनी सामग्री ही पर्याप्त है तो इसे स्वीकार भी किया जा सकता है ।

†**श्री पुन्नूस** (अम्बलपुर) : यदि मंत्रालय संयुक्त समिति को सूचना न दें तब क्या उस का कोई उपचार है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उपचार हैं । किन्तु यह तो उपचार नहीं है कि विधेयक को पुनः एक संयुक्त समिति को सौंप दिया जाये । इस में इस के पश्चात् संशोधन किये जा सकते हैं । कोई नवीन परिस्थिति तो कभी उत्पन्न नहीं हुई । अतः इन परिस्थितियों में मैं इन संशोधनों को विलम्ब करने वाले ही कहूंगा और अब हम आगे चलेंगे ।

†**श्री अ० चं० गुह** : वैसे भी, श्रीमान् मैं इस विधेयक को त्रुटिपूर्ण समझता हूं । जैसाकि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है कि हमें सदस्यों की अनर्हता निर्धारण के समय सभी बातों की ओर ध्यान देना चाहिये क्योंकि इस में सब से पहली बात तो स्थिति या प्रतिष्ठा की भी होती है । विमुक्तियों की व्यवस्था सोच समझ कर होनी चाहिये ।

सामान्य सूझ के आधार पर पहली शर्त तो यह होनी चाहिये कि संसद् सदस्य को संसद् कार्य के लिये पर्याप्त अवकाश मिलता हो । यदि उसे समय नहीं मिलता तो वह क्या लाभ करेगा । यदि वह कोई और काम करता हो तो इधर ध्यान नहीं दे सकता ।

दूसरे समितियों इत्यादि के कार्य के लिये अधिक भत्ता नहीं होना चाहिये ।

जहां तक इंग्लैण्ड की स्थिति और हमारी स्थिति का प्रश्न है दोनों में अन्तर है । हमारा उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है । हमारे यहां बहुत से रचनात्मक कार्य होंगे । बहुतसे विकास कार्य होंगे । किन्तु इंग्लैण्ड सरकार की निति ऐसी नहीं है । इस कारण यहां सदस्यों को परामर्श निकायों में काम करना पड़ेगा । कल्याण कार्यों में सदस्यों को भाग लेना होगा । इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि जहां थोड़ा प्रभाव बनने की आशा हो वहां की समस्या संसद् के सदस्य को अनर्ह बना डालेगी । आखिर हम ने अपने देश के सारे संस्थापनों का संचालन भी करना है । हम अकेले नौकरशाही पर ही तो आश्रित नहीं रह सकते । हमें लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करनी है, नौकरशाही राज्य की नहीं ।

सूची में १३७ निकायों का उल्लेख है । भाग १ में ९७ निकाय दर्ज हैं और भाग २ में चालीस । १२०० निकायों का परीक्षण समिति ने किया था और उन १२०० में से समिति ने १३४ को अलग रखने की सिफारिश की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० चं० गुह]

इन में कुछ निकाय तो साधारण से ही हैं और कुछ निकाय वस्तुओं सम्बन्धी निकाय हैं जिन की सदस्यता से अधिक प्रभुत्व का प्रदर्शन कदापि नहीं हो सकता। इन्हीं में औद्योगिक वित्त निगम का भी नाम है हालांकि अभी कुछ वर्ष पूर्व सभा के कुछ सदस्य इस में भेजे जाया करते थे। अब इस नीति को बदलने का क्या कारण है।

इस के अतिरिक्त यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद १०२ की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं करता। इस प्रकार इसे पारित करने से क्या लाभ है। पंडित ठाकुर दास भार्गव का विमति टिप्पण ही इस विधेयक की निन्दा के लिये पर्याप्त है।

आप तो सभापति थे इसलिये कैसे कह सकते हैं कि समिति ने संतोषप्रद कार्य नहीं किया।

समिति को चाहिये था कि वह जब तक पूर्ण अनुसूचियां न मंगवा लेती इस विधेयक पर विचार ही न करती। यह सारा दोष तो विधि मंत्रालय का है। उन का कर्तव्य था कि मंत्रालयों से जानकारी मंगवाते। समिति का यह कर्तव्य भी था कि वह सभा में शिकायत करते कि सरकार सहयोग नहीं कर रही।

दूसरे समिति ने बहुत सी असंविहित निकायों को भी यहां रखा है। यदि वह अपने नाम बदल ले तो भी बहुत से सदस्यों की अनर्हतायें दूर हो सकती हैं। यह बड़ी अपमानपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न कर देगी।

न तो यह विधि स्पष्ट है और न ही द्विविधा रहित। स्थायी समिति के बारे में भी माननीय मंत्री ने कहा है कि इस का निर्माण नहीं हो सकता। इस के बारे में भी आज क्या परिस्थिति है?

†**श्री हजारनवीस** : जी नहीं। ऐसी समिति बनाई जा सकती है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या सरकार समिति बनाने के पक्ष में है?

†**श्री हजारनवीस** : विधेयक में तो कोई उपबन्ध नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उपबन्ध हो या न हो। यदि समिति नहीं बनती तो अनुसूची का क्या लाभ रह जाता है।

†**श्री हजारनवीस** : इस सम्बन्ध मे में बाद में वक्तव्य दूंगा। ऐसी समिति बनाई जा सकती है। किन्तु अनुच्छेद १०२ के अन्तर्गत इस का तब तक कोई प्रभाव ही न होगा जब तक कि संसद् विधि द्वारा उस के बारे में सिफारिश न करे। यही एक बात है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : पहले तो यही बात कही गई थी कि सरकार ऐसी समिति बनायेगी।

†**श्री अ० चं० गुह** : सरकार को किसी भी बात के बारे में स्पष्ट ज्ञान नहीं है। पहले तो मंत्रालयों ने ही समिति के साथ सहयोग नहीं किया और उसी कारण सारा विधेयक अधूरा रह गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार में भी इस बारे में मतभेद है।

अतः सरकार को स्पष्टतया यह सूची बना कर बता देना चाहिये कि कौन-कौन से पदों से अनर्हता नहीं होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

आठ साल से हमें जिस विधेयक की आवश्यकता थी उसे हम पारित नहीं कर सके । हमें संविधान के अनुच्छेद १०२ का भी ध्यान रखना चाहिये । विधि मंत्री को भी यहां स्पष्ट बातें करनी चाहियें । यह विधेयक अस्पष्ट है अतः मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस विधेयक को वापस ले लें तथा इसे व्यापक एवं त्रुटिहीन बना कर सभा के समक्ष लायें ।

हमें इस विधेयक को इंग्लैण्ड की नकल पर नहीं बनाना चाहिये क्योंकि हमारी आर्थिक व्यवस्था वहां की व्यवस्था से पूर्णतया भिन्न है । हमारे यहां के सदस्यों को तो सामाजिक निकायों में भाग लेना होगा । हम नौकरशाही पर भरोसा नहीं कर सकते ।

इस कारण या तो माननीय मंत्री इसे वापस ले लें या संशोधन कर के इस में सारी बातें लायें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस विधेयक पर अगले दिन चर्चा होगी । अब गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आरम्भ होगा ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

उनतीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार क० सि० सहगल** (जंजगीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के उन्तीसवें प्रतिवेदन से, जो १९ नवम्बर, १९५८ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन से, जो १९ नवम्बर, १९५८ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

बेरोजगारी की समस्या की जाँच करने के लिए समिति नियुक्त करने के सम्बन्ध में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम २७ सितम्बर को प्रस्तुत श्री दीवान चन्द शर्मा के इस संकल्प पर आगे चर्चा करेंगे कि :

"इस सभा की यह राय है कि देश में बेरोजगारी का अनुमान लगाने और उसे दूर करने के लिए उपायों का सुझाव देने के हेतु एक समिति नियुक्त की जाये ।"

इस संकल्प पर कुछ संशोधन भी हैं । माननीय सदस्य इन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं ।

†**श्री विभूति मिश्र** (बगहा) : मैं अपना संशोधन संख्या १, प्रस्तुत करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : मैं अपना संशोधन संख्या २, प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या ३, प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैं अपना संशोधन संख्या ६, प्रस्तुत करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री ब्रजराज सिंह अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय जहां तक बेकारी की समस्या का सवाल है वह दिनों दिन बढ़ती जा रही है । इस का सबसे बड़ा सबूत वे आंकड़े हैं जो सरकार के द्वारा स्थापित काम दिलाऊ दफ्तरों से प्रकाशित होते रहते हैं । लेकिन सरकार द्वारा स्थापित काम दिलाऊ दफ्तरों के आंकड़ों से ही हम को देश की बेकारी की समस्या का पूरा आभास नहीं मिल सकता क्योंकि सारे बेकार लोग अपना नाम यहां रजिस्टर नहीं करवाते । लेकिन फिर भी अगर हम इन दफ्तरों द्वारा प्रकाशित आंकड़ों का अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि सन् १९४८ में इन दफ्तरों में ३,२८,७१९ लोगों ने अपने नाम रजिस्टर करवाये थे जब कि सन् १९५५ में यह संख्या बढ़कर ६,९१,९५८ हो गयी फिर सन् १९५७ की मई में यह संख्या ७,८२,९३३ हो जाती है और मई १९५८ में हम देखते हैं कि यह संख्या ९,६३,३४५ हो जाती है । इससे पता चलता है कि हर साल दो तीन लाख बेकार लोग बढ़ जाते हैं । यह बात ध्यान में रखने की है कि जो लोग इन काम दिलाऊ दफ्तरों में नाम लिखवाते हैं उनमें गांवों के बेकार शामिल नहीं हैं । हम सभी जानते हैं कि हमारी कृषि व्यवस्था ऐसी है कि जिस में किसान साल में एक तिहाई समय बेकार रहते हैं । गांवों में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अंडर एम्पलाइड कहा जा सकता है क्योंकि उनको पूरे साल काम नहीं मिलता । इसी तरह से शहरों में जो मजदूर कारखानों में काम करते हैं वे भी काफी समय तला बन्दी आदि के कारण बेकार रहते हैं । हमारे मुल्क में इन सब बेकारों के आंकड़ों को इकठ्ठा करने का कोई प्रबन्ध नहीं है लेकिन अगर हम इन सारे आंकड़ों को एकत्र कर सकें तो हम देखेंगे कि बेकारों की बहुत बड़ी संख्या हमारे देश में है । लेकिन अगर हम अन्दाजा ही लगाये तो यह संख्या करोड़ों तक पहुंचेगी और यदि इतने लोग हमारे देश में बेकार हैं तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि हमारा देश समाजवादी समाज व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है । ऐसी अवस्था में हम किस तरह से अपने यहां समाजवादी समाज की स्थापना कर सकते हैं जिसमें हर एक व्यक्ति के लिए काम हो, खाना हो, कपड़ा हो, शिक्षा हो और चिकित्सा हो तथा स्वास्थ्य सुधार की सुविधायें मिल सकें ।

तो यह एक ऐसी समस्या है कि जिसकी तरफ सरकार का ध्यान जल्दी ही जाना चाहिए और सरकार को यह कोशिश करनी चाहिए कि यह समस्या किसी तरह हल हो । पहले पंचवर्षीय आयोजन में इस समस्या की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया । दूसरे पंचवर्षीय आयोजन में सरकार ने इस समस्या की ओर कुछ ध्यान दिया है लेकिन आज हमें अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि दूसरे पंचवर्षीय आयोजन में जितने व्यक्तियों को काम दिलाने की व्यवस्था आरम्भ में की गयी थी आज हम देखते हैं कि हम उतने व्यक्तियों को काम नहीं दिला सकते । प्रारम्भ में आठ नौ मिलियन लोगों को काम दिलाने की व्यवस्था थी लेकिन अभी पिछली मई में सरकार की तरफ से अध्ययन किया गया जिससे पता चलता है कि ६० लाख से अधिक लोगों को हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान काम नहीं मिल सकता । तो हमें देखना होगा कि कहां गलती है कि हमारे यहां रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं । मुझे तो लगता है कि इसमें कोई मौलिक गलती है जिसकी वजह से काम मिलने के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं । उदाहरण के लिए हमारी सरकार का कुछ ऐसा दृष्टिकोण है कि देश में काम

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दिलाने के लिए इस तरह से पूंजी लगायी जाये कि १०, १५ या २० हजार रुपया लगाने पर एक आदमी को काम मिल सके । पर होना यह चाहिए कि १००, २०० या ज्यादा से ज्यादा एक हजार रुपये की पूंजी लगाने पर एक आदमी को काम मिलना चाहिए । अगर हम ऐसी व्यवस्था करेंगे तो अधिक से अधिक व्यक्तियों को काम दिला सकेंगे ।

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन कायम किया गया । उसके लिए पार्लियामेंट ने एक ऐक्ट भी बनाया । लेकिन उस ऐक्ट द्वारा जिन चीजों के उत्पादन की हमने व्यवस्था की है उन चीजों का कितना उत्थान हो रहा है । मधुमक्खी पालन, मछली पालन और दूसरे ऐसे छोटे छोटे उद्योग हैं कि जिनमें बिना कोई बड़ी पूंजी लगाये लोगों को काम मिल सकता है उनको पैसा मिल सकता है और उनका जीवन निर्वाह हो सकता है । मैं जानना चाहूंगा कि इस तरफ सरकार ने कितना ध्यान दिया है । खादी विस्तार की तरफ ही सरकार का कितना ध्यान है । छोटे उद्योग धन्धे बढ़ाने की तरफ सरकार का कितना ध्यान है । सरकार का ध्यान बड़े उद्योगों को बढ़ाने की तरफ अधिक है जहां १५ या २० हजार रुपये की पूंजी लगाने के बाद एक व्यक्ति को काम मिल सकता है । हमको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हिन्दुस्तान में प्रति वर्ष ५० लाख नये मुंह बढ़ जाते हैं और अब तो शायद इससे भी ज्यादा बढ़ते होंगे । १५ या २० साल बाद इन पैदा होने वाले लोगों को काम देने की समस्या पैदा होगी। तो यह चक्र बराबर इसी तरह चलता रहेगा और लोगों को काम दिलाने की व्यवस्था बराबर करते रहना होगा । इस काम के लिए हम को अपनी अर्थ व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन करने होंगे जिससे इन लोगों को काम मिल सके । इस तरफ सरकार का जितना ध्यान होना चाहिए उतना नहीं है । इसके लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए । अभी भी हमारे देश में करोड़ों एकड़ परती ज़मीन पड़ी हुई है । उसको तोड़ा जा सकता है । ऐसा करने से जहां एक तरफ लोगों को काम मिलेगा वहां दूसरी तरफ हमारे देश की खाद्य समस्या भी हल होगी । आज हमें खाद्यान्न बाहर से मंगाने पर विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है । वह भी बन्द हो जायेगी । वह देश जिसमें किसी समय दूध और घी की नदियां बहती थीं आज उसे बाहर से खाद्यान्न मंगाना पड़ रहा है । यह कितनी भयावह स्थिति है । इस स्थिति पर काबू पाने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे मुल्क में जो परती जमीन पड़ी हुई है उसे तोड़ने का एक सुनियोजित कार्यक्रम बनाया जाये । इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है । सरकार ने सेंट्रल ट्रेक्टर आरगेनाइज़ेशन कायम किया है लेकिन ट्रेक्टर से जमीन तोड़ने से वह सारी ज़मीन नहीं टूट सकती जो कि परती पड़ी है । उसके लिए हमारा सुझाव है कि सरकार दस लाख लोगों की एक भूमि सेना बनाये जिसका काम यह होगा कि वह परती जमीन को तोड़े और यह जमीन तोड़ी जा सकती है । मैं ने अपने क्षेत्र में देखा है कि जमुना और चम्बल की खादर में किसानों नें बरसात के दिनों में मेंड़ें बना बनाकर इस प्रकार की जमीन को तोड़ने की कोशिश की है और पांच छः साल में एक परिवार बीस पच्चीस या तीस बीघा जमीन तोड़ सका है । इस काम में ट्रेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। मेड़ें बनाकर कटाव रोक कर इस जमीन को तोड़ा जा सकता है । किन्तु इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है । सरकार दस लाख लोगों की एक भूमि सेना बना कर इस प्रकार की खादरों की जमीनों को खेती योग्य बना सकती है । इस काम में ट्रेक्टर की कोई जरूरत नहीं होगी । इससे एक तरफ हमारे देश के दस लाख लोगों को काम में लगाया जा सकेगा और दूसरी तरफ हमारी खाद्य समस्या भी हल हो सकेगी । मैं चाहता हूं कि सरकार का ध्यान इस तरफ जाये ।

हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वह १४ साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दे । लेकिन हम देखते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री ने बताया कि वह दूसरी योजना के अन्त तक किसी हद तक यह काम कर सकते हैं और तीसरी योजना के अन्त तक भी सारे १४ साल के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते । शायद इसके लिए सन्

[श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद)]

१९९० तक जाना होगा। एक तरफ तो यह अवस्था है और दूसरी तरफ शिक्षित बेकारों की संख्या बढ़ती जाती है। इसके लिए मेरा यह सुझाव है कि सरकार को दस लाख लोगों की एक शिक्षा सेना बनानी चाहिए जो कि १४ वर्ष तक के बालकों को शिक्षा दें। अगर एक एक शिक्षक बीस या पच्चीस बच्चों को भी शिक्षित कर सका तो हम इस प्रकार ढाई करोड़ या दो करोड़ बच्चों को शिक्षा दे सकेंगे और इस तरह से दस लाख शिक्षित व्यक्तियों को काम भी दे सकेंगे। ऐसा करके हम संविधान में जो डाइरेक्टिव प्रिंसिपल है उसके अनुसार भी काम कर सकेंगे। इस काम में कोई बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है। अगर आप इन शिक्षा सेना के लोगों को सौ रुपया माहवारी न दे सकें तो पचास रुपया माहवारी ही दें जो कि आम तौर पर प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को मिलता है। इसी तरह से भूमि सेना वालों को भी आप पचास रुपया माहवार दें। तो इस प्रकार हम सौ सवा सौ करोड़ रुपया खर्च करके देश की बड़ी भारी समस्या को हल कर सकते हैं। इस प्रकार हम बीस लाख लोगों को काम दे सकते हैं और दूसरी तरफ हमारी शिक्षा की और खाद्य की समस्या भी हल हो सकती है।

इसी तरह से छोटे उद्योगों—इंजीनियरिंग उद्योगों का सवाल है। हमारे काम-दिलाऊ दफ्तर से जो आंकड़े प्रकाशित होते हैं उन से प्रकट होता है कि मई १९५८ में पच्चीस, तीस फ़ीसदी लोग ऐसे थे, जो कि क्लैरिकल काम—लिखा-पढ़ी का काम, मुन्शीगिरी का काम—चाहते थे और सिर्फ़ आठ फ़ीसदी लोग टैक्निकल काम चाहते थे। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में एक ऐसा वातावरण पैदा किया जाय, ऐसे हालात पैदा किये जायें कि लोगों की प्रवृत्ति टेक्निकल कामों की तरफ़ अधिक हो। इस के लिए यह ज़रूरी है कि देश में टेक्निकल शिक्षा का विस्तार हो और वह तभी हो सकता है कि शिक्षा का माध्यम बदला जाय और टेक्निकल शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाय।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि बेकारी के बारे में सरकार को बहुत ही गम्भीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। ऐसा तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि इस सम्बन्ध में एक कमेटी न बना दी जाय। कमेटी संसद् के मेम्बरों की हो तो बहुत अच्छा हो। उस कमेटी में विशेषज्ञ भी रखे जायें। वह कमेटी इस समस्या का गहराई में जा कर अध्ययन करे, सारे मुल्क में घूमे और फिर अपनी रिपोर्ट पेश करे तो यह समस्या हल हो सकेगी।

†**श्री पाणिग्रही** : हमें खेद है कि सरकार और योजना आयोग अभी तक हमें बेरोजगारी की ठीक-ठीक स्थिति के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बता सके। श्रम मंत्री ने योजना के मूल्यांकन के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर बोलते समय बताया था कि बेरोज़गारी के बारे में ठीक अनुमान लगाने के लिये हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। मूल रूप में द्वितीय योजना में सिंचाई और विद्युत योजनायों के लिए ९१३ करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे। इससे काफी लोगों को रोजगार मिल जाने की सम्भावना थी। परन्तु इसके लिए काट छांट करके ८३२ करोड़ रुपये कर दिये गये। सिंचाई का लक्ष्य भी १२० लाख एकड़ से कम हो कर १००.४० एकड़ हो गया। सड़क परिवहन के लिए मूल रूप में २४६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी परन्तु अब इसे कम करके २१९ करोड़ रुपये कर दिया गया है। इन्हीं वर्षों में १३६ मैंगानीज की खानें और बहुत से इंजीनियरिंग के छोटे कारखाने भी बन्द हो गये। बहुत लोगों की कपड़ा मिलों तथा अन्य विभिन्न परियोजनाओं से छटनी हो गयी। वास्तव में देश में रोज़गार की अवस्था के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। मैं

†मूल अंग्रेजी में

बड़े साहस के साथ कहता हूं कि न सरकार और न ही मंत्री महोदय निश्चित रूप से बता सकते हैं कि प्रथम योजना में कितने लोगों को रोजगार मिला और द्वितीय योजना में कितने लोग बेकारी की महामारी से छुटकारा प्राप्त कर सके ।

१९५५ से पूर्व योजना आयोग ने इस दिशा में अनुमान लगाने का प्रयत्न किया था । कहा गया था कि यदि सरकार शिक्षित बेकारों की संख्या कम करना चाहती है, तो २० लाख नौकरियों की व्यवस्था करनी होगी । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत अब तक कितने शिक्षित लोगों को रोजगार दिया गया है । श्रम मंत्रालय के अनुमान के अनुसार इस देश में १५ मई, १९५७ को २६,२९७ स्नातक बेकार थे और मई, १९५८ को एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि यह संख्या अब बढ़ कर ३२,००० हो गई है । इस दिशा में अन्य सर्वेक्षण भी हुये हैं । उनके अनुसार १९५३ तक देश में बेरोजगार लोगों की संख्या ४७१ . ३ लाख थी । इनमें से ४२३ लाख कृषि क्षेत्र के थे । बागान और खानों में बेकारों की संख्या ८० हजार थी और कुटीर और लघु उद्योगों में इस संख्या का अनुमान २३ . ३ लाख था । वाणिज्य इत्यादि के क्षेत्र में यह आंकड़े १४ लाख हैं । दिमागी और दूसरे हलके काम करने वालों की संख्या २ लाख २० हजार है, घरेलू तथा अन्य कार्यों के क्षेत्र में यह संख्या ५ . ६ लाख है । कुल मिला कर १९५३ में यह संख्या ४७१ . ३ लाख है । तब से लेकर आज तक १६ लाख की वृद्धि और हो जानी चाहिए । अतः कुल मिला कर, राष्ट्रीय योजनाओं के ८ वर्ष पश्चात् भी इस देश में लगभग ६४० लाख लोग बेकार हैं ।

अब प्रश्न यह है कि इसका हल क्या होगा । यह कोई दलगत प्रश्न नहीं, अतः एक समिति का निर्माण किया जाना चाहिये जो कि पूरा अध्ययन करके, हमें यह बता सके कि प्रथम और द्वितीय योजना काल में कितने लोगों को रोजगार मिला है । हाल ही 'स्टेट्समैन' अखबार में एक लेख भी प्रकाशित हुआ, जिसमें कहा गया था कि देश में रोजगार की व्यवस्था बड़ी ही शोचनीय हो गयी है । उसमें कहा गया था कि नौकरी दिलाने वाले दफ्तरों में रजिस्टर्ड बेकारों की संख्या १० लाख है । मैं इस सम्बन्ध में ६ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं । सरकार को सभी उद्योगों की हर प्रकार की छंटनी को रोक देना चाहिए । भूमि का वितरण किया जाना चाहिए, क्योंकि हजारों लोग गावों को छोड़ नगरों की ओर बढ़े चले आ रहे हैं । अतः जिन लोगों को भूमि से निकाला गया है उनकी व्यवस्था करनी ही होगी । लघु उद्योगों पर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, भूमि से बेदखली भी बन्द की जानी चाहिए । ग्रामीण लोगों में अपनी सहायता आप करने की भावना जागृत की जानी चाहिये । जो सचमुच बेकार हैं, उन्हें कुछ सहायता अवश्य दी जानी चाहिए ।

कृषि क्षेत्र में तो बेकारी चरम सीमा पर है । एक किसान भारत में वर्ष में छः मास बेकार रहता है । भारत की ८० प्रतिशत संख्या देहातों में रहती है, यदि वे लोग छः मास तक बिल्कुल बेकार रहे तो हम उनकी क्या सहायता कर सकते हैं । इसके लिए ग्रामों में लघु उद्योगों का आरम्भ किया जाना ही एक हल हो सकता है । यदि ग्रामों को बिजली उपलब्ध हो जाय तो इस काम को और अधिक ठीक ढंग से किया जा सकेगा ।

सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों के सम्बन्ध में, मैं केवल दो ही बातें कहना चाहता हूं । सरकार ने इस दिशा में कुछ लक्ष्य निर्धारित किये थे ; क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वे लक्ष्य किस सीमा तक पूरे हुये हैं और आने वाले दो वर्षों में देश में रोजगार की स्थिति क्या होगी ।

[श्री पाणिग्रही]

इन शब्दों से मैं सरकार पर यह जोर देना चाहता हूं कि एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए जो कि पूर्ण अध्ययन करके यह पता लगा सके कि आज रोजगार के सम्बन्ध में देश में स्थिति क्या है ।

श्री मू० चं० जैन (कैथल) : माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस रेज़ोल्यूशन के मूवर, श्री शर्मा, को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने यह रेज़ोल्यूशन इस हाउस में पेश कर के देश की एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ़ हाउस की और सरकार की तवज्जह दिलाई है । मुझ से पहले इस प्रस्ताव पर कई तकरीरें हो चुकी हैं । मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारे देश में अन-एम्पलायमेंट की कई किस्में हैं । हमारे वहां एजुकेटिड अन-एम्पलायमेंट—तालीमयाफ्ता नौजवानों की बेरोज़गारी—के साथ ही साथ ग़ैर-तालीमयाफ्ता लोगों की रोज़गारी भी मौजूद है । उनके अलावा हमारे देश में लैंडलैस लेबरर्ज़ और अनस्किल्ड वर्कर्ज़ को भी काम दिलाने का सवाल है । जब इस सवाल पर ग़ौर किया जाता है कि किस तरह से इन मुख्तलिफ़ किस्म के बेरोज़गार लोगों को काम दिलाया जाय, तो और भी कई मसले हमारे सामने खड़े हो जाते हैं ।

जहां तक तालीमयाफ्ता बेरोज़गारों का सवाल है, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारे मौजूदा तरीका-ए-तालीम की हमेशा नुक्दा-चीनी की जाती है और नुक्ता-चीनी करने में छोटे छोटे सरकारी मुलाज़मीन से ले कर राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर तक शामिल होते हैं । लेकिन हकीकत यह है कि जो तरीका-ए-तालीम अंग्रेज़ के ज़माने में रायज था, आज़ादी मिलने के दस साल बाद तक वही तरीका कमो-वेश चल रहा है, जिस का नतीजा यह है कि अगर एक किसान का लड़का मैट्रिक पास कर लेता है, तो उस की तवज्जह अपने बाप-दादा के पेशे-खेती की तरफ़ नहीं रहती । इसी तरह एक दुकानदार का लड़का अगर मैट्रिक पास कर लेता है एफ० ए० और बी० ए० तो दूर की बात है—तो वह दुकान पर अपने मां-बाप का हाथ न बंटा कर मुंशी या क्लर्क की नौकरी की तलाश करता है । इसी तरह लेबरर का तो कहना ही क्या है । हमारा तरीका-ए-तालीम ऐसा होना चाहिए कि तालीम हासिल करने के बाद कोई बेहतर रोज़गार मिलने से पहले कम से कम अपने आबाई रोज़गार के सुधार की तरफ़ ध्यान हो, लेकिन हमारा तरीका-ए-तालीम इतना नाकिस है कि तालीम हासिल करने के बाद लड़कों को अपने मां-बाप के रोजगार से नफ़रत हो जाती है ।

इस बहस के मौके पर हमारे डिप्टी लेबर मिनिस्टर तो तशरीफ़ रखते हैं, लेकिन यह प्रस्ताव इतना अहम है कि मुनासिब होता अगर तालीम के मिनिस्टर और कम्यूनिटी डेवेलपमेंट के मिनिस्टर भी यहां मौजूद रहते और इस सिलसिले में मेम्बरान के सजेस्शन्ज़ को सुनते ।

श्री स० म० बनर्जी : वे इस को ज़रूरी नहीं समझते ।

श्री मू० चं० जैन : हां, ऐसा ही मालूम होता है । मौजूदा तरीका-ए-तालीम के बारे में हम लोग अ ख़बारों में पढ़ते हैं । राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर तक उस के नकायस की तरफ़ तवज्जह दिलाते हैं, लेकिन यह कितनी हैरानी की बात है कि सब ताकत होते हुए भी इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है ।

जहां तक अनएजुकेटिड अन-एम्पलायमेंट का ताल्लुक है, मुझ से पहले बोलने वाले भाई ने कुछ फ़िगर्ज़ दी हैं । वे ठीक हैं, लेकिन मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि लैंडलैस लेबर के

†मूल अंग्रेजी में

लिए हम ने क्या किया है, अनस्किल्ड वर्कर्ज़ को राहत पहुंचान के लिए हम ने क्या कदम उठाए हैं। हम इस देश में सोशलिस्ट पैटर्न आफ़ सोसाइटी कायम करने का दावा करते हैं, लेकिन आप सुन कर हैरान होंगे कि कम्यूनिटी प्राजेक्ट का महकमा हर एक ब्लाक में पांच बरस में बारह लाख रुपए खर्च करता है, लेकिन देहात के पूअरेस्ट सक्शन के लिए बराहे-रास्त कुछ भी खर्च नहीं किया जाता है। अब उन के लिए ६०,६४ हज़ार हज़ार रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन उस को इस तरीके से खर्च किया जाता है कि उन लोगों की कोई डायरेक्ट फ़ायदा नहीं हो सकता है। एक्सपर्ट्स कमेटी ने इस बारे में यह राय दी है कि कम्यूनिटी डेवेलपमेंट का देहात पर कोई असर नहीं है, अमीर और ग़रीब लोगों में जो फ़र्क़ पहले था, वह और बढ़ गया है, लैंडलैस लेबरर्ज और अनस्किल्ड वर्कर्ज़ को इस प्रोग्राम से बराहे-रास्त कोई फ़ाइदा नहीं पहुंच रहा है। मैं जानता हूं कि इस बात का ताल्लुक कम्यूनिटी डेवेलपमेंट से है, लेकिन बेरोज़गारी की समस्या से इस का ताल्लुक इस तरह है कि पिछले आठ दस साल से हमारा जो तरीका रहा है, उस से हमारी जनता के पूअरस्ट सैक्शन को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है। इस का जवाब इस हाउस में यह दिया जा सकता है, कि ग़रीब लोगों को इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट के लिए कर्ज़े दिए जाते हैं, ग्रान्ट्स दी जाती हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि रुपया चाहे को-आपरेटिव सोसायटी बना कर दिया जाय और चाहे किसी और तरीके से दिया जाय, वह सिर्फ़ उन्हीं लोगों को मिलता है, जिन के पास पहले से साधन हैं, पहले से मीन्ज़ हैं और जो अफ़सरान तक पहुंच सकते हैं जहां तक गरीब लोगों का ताल्लुक है, इस किस्म के तरीके बने हुए हैं कि सिक्योरिटीज़ दी जायें, इसलिए जिन लोगों के पास न ज़मीन है और न कोई पूंजी है, वे कैसे सिक्योरिटी दे सकते हैं? नतीजा यह है कि उन लोगों को कर्ज़े नहीं मिलते हैं। पिछले दस बरस में हमारा डेवेलपमेंट किस तरीके से चल रहा है, देहात पर उस का क्या असर पड़ा है, हम सोशलिस्ट पैटर्न का समाज कायम करने में आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, इन सवालात की गहराई से जांच-पड़ताल करने के लिए जब तक सरकार की तरफ़ से एक एक्सपर्ट कमेटी नहीं मुकर्रर की जायगी, जिस में पार्लियामेंट के भी मेम्बर हों, तब तक मुझे यह मसला हल होने की सूरत नज़र नहीं आती है।

आज हम देखते हैं कि देश में इतनी ज़मीन की भूख है, इतनी लैंड हंगर है। यह ठीक है कि मुज़ारों की भलाई के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन इस सिलसिले में वही हालत है कि मर्ज बढ़ता गया, ज्यों ज्यों दवा की। ऐसा नज़र आता है कि कानूनों के बनते ही पचास साठ फ़ीसदी टेनांट्स हर एक स्टेट में बेदखल हो गए, उजड़ गए। सवाल यह है कि यह लैंड हंगर क्यों है। इस लिए है कि लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं है। अनस्किल्ड लेबरर को कोई काम करना नहीं आता है। पिछले दस वर्षों में हमने उस को किसी काम के लायक नहीं बनाया। रोज़गार देने के अलावा उस को लैंड हंगर से कैसे हटाया जा सकता है? अगर कोई फ़ैमिली ज़मीन के अलावा किसी और साधन से सत्तर, अस्सी रुपए कमा सके—मैं एक छोटा सा स्टैंडर्ड बता रहा हूं—तो फिर उस का ध्यान ज़मीन की तरफ़ नहीं जायगा। लेकिन पिछले दस वर्षों में हम ने क्या किया है? जहां तक बड़े बड़े कारखानों में काम करने वाले लेबरर्ज और रैशनालाइज़ेशन वगैरह का सवाल है, उस में मैं इस वक्त नहीं जाना चाहता हूं।

इस के अलावा हर साल बढ़ती हुई आबादी का भी सवाल है। हर बरस पचास लाख बच्चे पैदा होते हैं। क्या आज से अठारह बीस बरस के बाद वे बेरोजगारों की फैहरिस्त में शामिल नहीं हो जायेंगे जो लोग पन्द्रह बीस बरस पहले पैदा हुए, वे आज बेरोजगारों की लिस्ट में हैं। यह प्रासेस तो कान्टी-न्युअस है और वह पहले से शुरू है। हम ने इस प्लान में दस मिलियन बेरोजगारों के लिये रोजगार मुहैया

[श्री मू० चं० जैन]

करना है। वह भी हम नहीं दे सकते हैं। शायद एक दो मिलियन तादाद और कम हो गई है। पांच बरस में तो दस मिलियन आबादी वैसे ही बढ़ जाती है। यह तस्वीर भयानक शक्ल अख्तियार करती जाती है। सरकार वक्त से जागे। उस को जागना तो पड़ेगा ही, यह मेरा विश्वास है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वह वक्त से जागे और अगर वह वक्त से जागेगी, तो हमारे देश के लिये भी अच्छा होगा और सरकार के लिये भी अच्छा होगा।

†**श्री स० म० बनर्जी**: मैं श्री दी० चं० शर्मा के प्रस्ताव का अपने संशोधनों के साथ समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। १२ फरवरी, १९५६ बेकारों के लिये एक महान दिन था, जब कि यह घोषणा की गयी थी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ८० लाख लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था की जायेगी। परन्तु हुआ यह कि उसी वर्ष के १५ सितम्बर को प्रतिरक्षा विभाग के ६००० कर्मचारियों की छंटनी हो गयी। कहा गया कि उन के लिये कोई काम नहीं है। इस के पश्चात् दामोदर घाटी निगम से लोगों को निकाला गया और उन के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी।

आज अवस्था क्या है, उस का पता मेरे एक प्रश्न के उत्तर से चलता है। २० नवम्बर, १९५८ को मैंने एक प्रश्न पूछा कि द्वितीय योजना काल के १९५९–६० की अवधि में कितने लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। उत्तर में, श्रम उपमंत्री, श्री आबिद अली ने कहा कि अभी जानकारी उपलब्ध नहीं हो रही। जो जानकारी २० नवम्बर को उपलब्ध नहीं हो रही, वह २१ नवम्बर को कैसे उपलब्ध हो जायेगी। जो कुछ भी हमें बताया जायेगा उस का आधार गलत होगा। आंकड़ों के हेर फेर में ही सब कुछ रह जायेगा। यह लोग कुछ नहीं कर सकते, इन की अवस्था बड़ी शोचनीय है। यह स्थिति को देखे चले जा रहे हैं।

कानपुर में, १० हजार व्यक्तियों का रोजगार छीन लिया गया। यह लोग सब परिवारों को मिला कर ४० और ५० हजार के लगभग हैं। यह लोग अपना सब कुछ बेच कर खा गये हैं, और बहुत बुरी हालत में है। प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रीगण सभी इस बात को जानते हैं परन्तु कुछ नहीं हो रहा है। अब कोयला खानों में भी बेरोजगारों की वृद्धि हो रही है जून, १९५७ में औसतन लगभग ८९,१३,३८८ को काम पर लगाया गया था और फरवरी, १९५८ में यह संख्या ८७,८३,८०२ है। शिक्षित बेकारों की संख्या अभी मेरे अनुमान के अनुसार ३ लाख से अधिक है। इन में कई बी० ए० और एम० ए० हैं। कहा गया था कि ६० हजार लोगों को शिक्षिकों के रूप में नियुक्त किया जायेगा ताकि इस से कुछ शिक्षित बेकारों को काम मिल सके। परन्तु कहा नहीं जा सकता कि इस का क्या हुआ। इस अवस्था में लोगों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई विश्वास नहीं रहा। बेकारी की वृद्धि से लोगों का विश्वास हिल रहा है। मंत्री महोदय ही बतायेंगे कि इन हालात में क्या किया जाय। मैं बेरोजगारों को सहायता देने का सुझाव का समर्थक हूं और इस के लिये ५० करोड़ रुपये की व्यवस्था की जानी चाहिये। उद्घाटन समारोहों पर जो लाखों रुपये फिजल खर्च किये जाते हैं वह हमारे जैसे गरीब देश को शोभा नहीं देता। यदि हम ने कुछ नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं कि लोग जाग उठें और देश में क्रान्ति हो जाये।

श्री विभूति मिश्र: उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रेजोल्यूशन श्री दी० चं० शर्मा जी ने मूव किया है, इस में मैंने एक अमेंडमेंट भी दिया है। मैं समझता हूं कि यह जो बेकारी की समस्या विकट रूप धारण

†मूल अंग्रेजी में

किये हुए है, और इस समस्या को तब मैंने और भी अच्छी तरह से समझा जब मैं २ अक्तूबर से ८ अक्तूबर तक कांग्रेस के काम से पद यात्रा पर गया था। इस पद यात्रा के बाद मैंने प्रधान मंत्री जी को एक पत्र लिखा जिस में मैंने उन से प्रार्थना की कि इस बेकारी की समस्या को हल करने के लिये अविलम्ब कदम उठाये जाने चाहियें। मेरा अपना विचार है कि इस बेकारी की समस्या को हल अगर कोई पार्टी कर सकती है तो वह कांग्रेस पार्टी ही है और अगर इस के लिये कोई पार्टी जिम्मेवारी ले सकती है तो वह भी कांग्रेस पार्टी ही है । मैं यह भी समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस समस्या को हल करने के लिये सरतोड़ कोशिश भी कर रही है। लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद भी अभी सफलता नहीं मिली है ।

मैं बतलाना चाहता हूं कि यह जो बेकारी की समस्या है यह उसी तरह से हल हो सकती है जिस तरह से हम कांग्रेस वालों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। उस वक्त जिस सादगी के साथ हम रहे, अगर उसी सादगी के साथ आज भी हम रहें तो यह समस्या बहुत जल्दी हल हो सकती है। जब हम आजादी के लिये अंग्रेजों के साथ लड़े थे तो भी हम ने सादगी का रास्ता अपनाया था और आज भी जरूरत इस बात की है कि सादगी का ही रास्ता अपनाया जाये। आज जब हम गवर्नमेंट में हैं और हमारे लोग गवर्नमेंट में हैं, उन को चाहिये कि वे सादगी का जीवन बितायें। अगर उन्हों ने ऐसा किया तो यह समस्या जल्दी हल हो सकती है ।

मैंने प्रधान मंत्री जी को यह भी लिखा है कि हिन्दुस्तान में किसी की भी तनख्वाह १,००० से अधिक नहीं होनी चाहिये। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जिस तरह से सबसिस्टेंस एलाउन्स ले कर हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी उसी तरह से आज जब हम गवर्नमेंट में हैं, तो सबसिस्टेंस एलाउन्स ले कर ही हम इस बेकारी की जो समस्या है इस को भी हल कर सकते हैं।

प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि ६३ लाख बेकार तो शहरों में हैं और ९० लाख बेकार देहातों में हैं। मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि २२ प्रतिशत लोगों के पास जमीन नहीं है। मैं चाहता हूं कि इन लोगों में जो बेकारी व्याप्त है इस को हल करने के लिये सब से पहले कदम उठाये जायें। प्रधान मंत्री जी ने जो किताब लिखी है उस को मैं ने पढ़ा है। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री इस समस्या को हल कर सकते हैं। मेरा अपना विचार है कि हम लोग उतना ही एलाउन्स लें जितने से हमारी जीविका चल सके। जब हम ऐसा करेंगे तो दूसरे सरकारी अफसरों पर भी इस का असर पड़ेगा और वे भी अपनी तनख्वाहें कम करेंगे। साथ साथ जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो अपने जीवन पर अधिक खर्चा करते हैं, वे अपने खर्चे को कम करेंगे। साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी जमीन रखने वाले हैं, उन से जमीन ले कर के जब तक हम गरीबों में नहीं बांटेंगे, तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकेगी और तब हमारा गुजारा नहीं हो सकेगा ।

मैं ने अपनी पद यात्रा में देखा है कि इस बेकारी की समस्या के मुकाबले में और सभी समस्यायें गौण हैं। इस वास्ते इस का हल होना आवश्यक है। हमारा जो उत्पादन है वह भी बढ़ना आवश्यक है। आज कल एक एकड़ भूमि में पौने पांच मन हम पैदा करते हैं। हमारे पास खेती लायक ३०० मिलियन एकड़ भूमि है। अगर हम खेती की पैदावार पर एकड़ बढ़ायें तो भी इस समस्या को हल करने में बड़ी मदद मिल सकती है। साथ ही साथ जो हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, वे भी हमें कम पैदा करने चाहियें । आज कल देखा जा रहा है कि हर साल ५० लाख आदमी पैदा हो रहे हैं। हम को ध्यान देना चाहिये कि अधिक बच्चे पैदा न हों। हम को उतने ही बच्चे पैदा करने चाहियें जितनों को हम खिला सकें। जब हम उन को खिला ही नहीं सकते हैं तो अधिक बच्चे हम को पैदा नहीं करने चाहियें। इस वास्ते मैं समझता हूं कि सरकार को अपने कामों में सादगी लानी चाहिये ।

[श्री विभूति मिश्र]

महात्मा गांधी के बारे में प्यारे लाल जी ने जो किताब लिखी है, उस को मैं ने पढ़ा है। उस में भी उन्हों ने सादगी बरतने पर जोर दिया है। आज कल देखा जाता है कि मिनिस्टर मोटर कारों के बगैर चल ही नहीं सकते हैं। मैं समझता हूं कि मोटरों का उपयोग बड़ा ही रेस्ट्रिक्टिड होना चाहिये। बहुत कम मात्रा में हम को मोटरों का उपयोग करना चाहिये। आज कल देखा जाता है कि अगर एक मील पर ही किसी मिनिस्टर का घर है तो भी वह पैदल नहीं आता है, मोटर में आता है। यह जो मोटर का इस्तेमाल है यह कम होना चाहिये। मोटर में जो पैट्रोल है यह कहां से आता है, यह मिडिल ईस्ट से आता है। आज हम ५०,००० टन चीनी बाहर साढ़े दस रुपया मन के हिसाब से बेच रहे हैं। यह हम इसलिये कर रहे हैं कि हमें फौरन एक्सचेंज चाहिये। लेकिन दूसरी तरफ हम पैट्रोल मंगवाने पर रुपया खर्च कर रहे हैं जिस को हम पैट्रोल का खर्च कम कर के बचा सकते हैं। प्यारेलाल जी ने भी लिखा है पैट्रोल का खर्च कम होना चाहिये। साथ ही साथ मोटरों का जो उपयोग है वह भी कम होना चाहिये। मैं सरकार से कहता हूं कि वह अपने घर को सब से पहिले ठीक करे और एक भी पैसा फालतू खर्च न करे।

मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी नवाखली गये थे। बीच में कहीं उन का पत्थय का साबुन छूट गया। जब तक वह साबुन वापिस नहीं आया उन्हों ने साबुन का इस्तेमाल नहीं किया। एक बार उन की पसिल खो गई और जब तक उन की पैंसिल वापिस नहीं आई उन्हों ने दूसरी पैंसिल का इस्तेमाल नहीं किया। आप को भी चाहिये कि आप खर्चे में कमी करें और कहीं पर भी फालतू खर्च न करें। हम को देखना यह है कि हम किस तरह से छोटे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा कर सकते हैं, किस तरह से उन को खुश हाल कर सकते हैं और जब तक वे खुशहाल नहीं होंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। पाणिग्रही जी ने अपना भाषण दिया, लेकिन अपने भाषण में उन्हों ने कहीं नहीं कहा कि हमारा भी एलाउन्स कम होना चाहिये। मैं तो यह कहूंगा कि जो पार्लियामेंट के मेम्बर हैं उन को भी सबसिस्टेंस एलाउन्स मिलना चाहिये ताकि मुल्क आगे बढ़ सके।

श्री स० म० बनर्जी : आप कितना एलाउन्स देते हैं ?

श्री विभूति मिश्र : सन् १९२० से ले कर आजादी मिलने तक हम लोग जेल में जाते रहे हैं और जो उधर आ कर बैठ गये हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि उन्हों ने क्या कुर्बानी की है ? मैं तो यह कहूंगा कि हमारे जो कम्युनिस्ट भाई हैं ये भी आज जो बेकारी की समस्या है इस को हल करना नहीं चाहते हैं क्योंकि इन का भी खर्च बहुत अधिक है। इन के भी जो लीडर हैं वे भी बगैर मोटर के नहीं आते हैं। इन की जो पार्टी है उस का भी बहुत खर्चा है।

मैं प्रधान मंत्री जी से कहूंगा कि वह खर्चे को कम करें। हमारे यहां बड़े बड़े लोग हैं और बड़े बड़े महकमे भी हैं। उन सब में खर्चा कम होना चाहिये। हमें गांधी जी के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिये। गांधी जी कहा करते थे कि हमारे यहां काटेज इंडस्ट्रीज़ होनी चाहियें। हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि हमारे यहां बड़ी बड़ी भी और छोटी छोटी भी, दोनों प्रकार की इंडस्ट्रीज होनी चाहियें। हम दोनों प्रकार की इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दें।

आज अम्बर चर्खे की बहुत चर्चा है। यह कहा जाता है कि अगर अम्बर चर्खे का कोई आठ घंटे तक इस्तेमाल करे तो एक रुपया कमा सकता है। इस की आज बहुत मांग है, इस को भी पूरा किया जाना चाहिये।

आज हम देखते हैं कि करोड़ों लोग ही स्कूलों और कालिजों में पढ़ते हैं। आज कोई चार करोड़ के करीब लोग पढ़ रहे हैं। १९५४–५५ में उन की संख्या ३ करोड़ १२ लाख ६६ हजार ९२३ थी। कितने ही इन में से बीच में ही छोड़ जाते हैं, कितने ही मिडिल पास करके छोड़ जाते हैं और कितने ही बी० ए० और एम० ए० पास कर के हर साल बेकार फिरते हैं। सरकार को अविलम्ब इन को रोजगार देने का प्रबन्ध करना चाहिये।

श्री दी० चं० शर्मा जी ने कहा है कि सर्वे होना चाहिये और इस के लिये कमेटी बननी चाहिये। मैं कहता हूं कि कमेटी बनते बनते दो बरस लग जायेंगे। हमें मालूम है कि बेकारी है और इस बेकारी की समस्या को हल करने के लिये हमारी सरकार को कुछ न कुछ इंतिजाम करना चाहिये। अगर हमने इस समस्या को अविलम्ब हल नहीं किया तो यह हमारे लिये बहुत घातक सिद्ध होगा। इस समस्या को अगर कोई पार्टी हल कर सकती है तो वह गांधी जी द्वारा बनाई गई पार्टी ही हल कर सकती है और हमारे प्रधान मंत्री श्री नेहरू जी ही हल कर सकते हैं। और कोई इस को हल नहीं कर सकता है। (**अन्तर्बाधायें**) आज जो मेरे विरोधी भाई इस तरह की बातें कर रहे हैं उन के बारे में मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि १९४२ में जब मैं जेल से छूटा था हमारे कम्युनिस्ट भाइयों ने वहां पर एक मेरी साहब हुआ करते थे उन से कहा कि इस को फिर दुबारा जलदी से जेल भिजवा दीजिये।

मैं कहना चाहता हूं कि आज चार तरह की बेकारी है। एक बेकारी शिक्षितों में है, दूसरी अशिक्षितों में है, तीसरी अर्द्ध बेकारी है और चौथी डिसगाइज बेकारी है। डिसगाइज बेकारी से मेरा मतलब है उस बेकारी से जिस में कि किसी को २०–२५ रुपया महीना ही मिलता है और उस का गुजारा नहीं हो सकता है। तो इन सभी प्रकार की बेकारियों को दूर करना हमारा फर्ज है। मैं चाहूंगा कि सरकार जल्दी इस समस्या को हल करने के लिये कदम उठाये, और पहले अपना खर्च कम कर के आगे बढ़े। जब तक ऐसा नहीं होगा, हम कोई प्रगति नहीं कर सकेंगे।

अन्त में मैं श्री दी० चं० शर्मा जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस समस्या की ओर इस सदन का ध्यान दिला कर बड़ा उपकार किया है।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल): हमारे पास बेरोजगारी सम्बन्धी सभी प्रकार के आंकड़े हैं और इसे दूर करने के लिये विभिन्न प्रकार की सिफारिशें भी हैं, परन्तु अभाव इस बात का है कि इन्हें कार्यान्वित करने के लिए सरकार की इच्छा नहीं है और न ही इस दिशा में कोई निश्चय ही है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि सबसे पूर्व योजना आयोग के सदस्यों और इससे सम्बद्ध सदस्यों को बेरोजगार किया जाय इससे इनको पता चलेगा कि यह बेकारी वास्तव में क्या होती है और किस मात्रा में इसका अनैतिक प्रभाव लोगों पर पड़ता है। आज योजनायें बनाई जा रही हैं और बहुत सी बातें भी की जा रही हैं परन्तु बेकारी बढ़ती चली जा रही है और ये लोग हैं कि इन्हें कुछ ख्याल नहीं कि बेरोज़गार लोगों की क्या तकलीफें होती हैं।

१९५१ में कृषि जांच समिति ने कहा था कि देहाती क्षेत्र में २० लाख लोग बेकार हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण वाले कहते हैं रजिस्टर होने वालों से चार गुना लोग और बेकार हैं। २३४ नौकरी-दिलाऊ दफ्तरों में १० लाख व्यक्तियों का नाम दर्ज है और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार ४ गुना और बेकार हैं। इन हालात में बेकारी की अवस्था जानने और उसके हल करने के लिए सिफारिशें करने की मैं तो कोई आवश्यकता नहीं समझता। और न ही इस उद्देश्य के लिये किसी प्रकार की समिति नियुक्त करने की ही कोई आवश्यकता प्रतीत होती है। क्या श्रम मन्त्री महोदय बतायेंगे कि प्रथम पंच-वर्षीय योजना के अन्त में जो ११ सूत्री कार्यक्रम बनाया गया था उसका क्या हुआ? कार्यक्रम तो वैसा ही पड़ा है और बेकारी बढ़ रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री महन्ती]

कहा जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी जनसंख्या ५० लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ रही है। परन्तु इतना कह देने मात्र से तो काम नहीं चलता। आपको उसके लिए कुछ तो करना होगा। आखिर यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करे। इसके भी तीन अंग हैं। प्रथम शिक्षित बेकार हैं, जिनके लिए सरकार अधिक चिन्तित है, क्योंकि सरकार की राजनीतिक भलाई भी इसी में है। यह मनोवृत्ति हमारे देश में ही नहीं अन्य देशों में भी है। मेरा मत है कि अपनी शिक्षा सम्बन्धी नीति में परिवर्तन किये बिना हम इस समस्या को हल नहीं कर सकते। आज लोग कई वर्ष विश्वविद्यालयों में लगा कर, नौकरी की तलाश में निकलते हैं। इनका अनुपात लगभग ५५ प्रतिशत है और ये लोग प्रविधिक प्रशिक्षण से नितान्त वंचित होते हैं। आज देश में प्रविधिक कर्मचारी उपलब्ध होने बहुत ही कठिन हैं। सरकार का यह भारी अपराध है कि उसने इस प्रश्न की उपेक्षा की है। अतः देश में बेरोजगारी की वृद्धि हुई है और आज इसके हल का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। पुराने ढंगों से आज के युग की यह समस्या हल नहीं होगी।

औद्योगिक क्षेत्रों की बेकारी के अनुमान के लिए भी हमें किसी प्रकार के विशेषज्ञ की मंत्रणा की अपेक्षा नहीं है। और न ही इस दिशा में किसी जांच की ही आवश्यकता है। हमने योजनायें बनाई और सोचा इससे बेरोजगारी दूर होगी। परन्तु हुआ यह कि २५ मिलें बन्द हो गई हैं और अभी तक केवल २ कपड़ा मिलों का कार्य आरम्भ हुआ है। आज यह स्थिति सरकार के सामने है। मुझे खेद है कि इस दिशा में सरकार ने कोई सक्रिय पग नहीं उठाया ताकि ये सभी मिलें चालू हो जायें।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह समस्या उतनी ही गम्भीर है। इसके लिये लघु उद्योग ही एक हल है, परन्तु इसके लिये जिस प्रकार के एकीकृत प्रयास की आवश्यकता है सरकार और योजना आयोग के पास उसका नितान्त अभाव है। ऐसे भी विभाग हैं जहां बिना काम दिलाऊ दफ्तर से पूछे ही अपने कृपा पात्रों को भर्ती कर लिया जाता है। रूरकेला के काम दिलाऊ दफ्तर में ३६००० लोगों के नाम दर्ज हैं। क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि वहां कर्मचारी भर्ती करते समय कितनी बार काम दिलाऊ दफ्तर से परामर्श किया गया? मुझे पता चला है और मुझे सदन को यह बताते हुए दुःख होता है कि उनमें से केवल ७० व्यक्ति लिये गये हैं। इसलिये मेरा कहना है कि यह काम दिलाऊ दफ्तर भी एक मज़ाक है। इस लिए मेरा निवेदन है कि इन सब बातों पर विचार कर हमें एकीकृत प्रयास कर इस खतरे का मुकाबला करना चाहिए। केवल इतना कह देने मात्र से समस्या हल नहीं होगी कि देश में जनसंख्या बढ़ रही है।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : प्रस्तावक महोदय ने इस समस्या को मानवीय समस्या कहा है और उन्होंने कहा है कि इस समस्या को मानवीय ढंग से ही हल किया जाना चाहिए। हम कितने ही जोश से इस मामले पर विवाद करें, अवस्था यह है कि स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जाती है। देश के स्वतन्त्र होते ही यह आशा हुई थी कि यह समस्या हल होगी। परन्तु कांग्रेस के दस वर्षों के राज्य में समस्यायें सुलझने के स्थान पर उलझ गयी हैं। १९५६ में जब कहा गया कि ८० लाख नौकरियों की व्यवस्था होगी तो देश में काफी विश्वास उत्पन्न हो गया था। परन्तु आज अवस्था क्या है? हमारी योजना भी लड़खड़ा रही है। १९५६ में तो आम चुनावों के कारण ८० लाख नौकरियों की घोषणा कर दी गयी थी। परन्तु आज तो प्रत्येक क्षेत्र में बेकारी बढ़ रही है। बड़े बड़े उद्योगों से लोगों की छटनी हो रही है।

शिक्षित बेकारों की अवस्था और शोचनीय है। आज लोग परेशानी और निराशा की भावना से नौकरियों की तलाश में घूम रहे हैं। इस हालत को ठीक न किया गया तो देश को भारी खतरे का

---

†मूल अंग्रेजी में।

सामना करना होगा। यदि हम लोकतन्त्र को जीवित रखना चाहते हैं तो हमें इस समस्या को हल करना होगा। मैं श्री दी० चं० शर्मा के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर): मैं समझता हूं कि प्रस्तावक महोदय इस संकल्प द्वारा देश के सभी लोगों का ध्यान अपने प्रस्ताव द्वारा इस विकट बेरोजगारी की समस्या की ओर आकृष्ट करवाना चाहते हैं। महात्मा जी ने इस समस्या को "समस्याओं की समस्या" कहा था। हमें इस समस्या को अच्छी प्रकार समझना चाहिए, क्योंकि स्थिति को पूरी तरह समझे और जाने बिना हम इसका कोई हल प्रस्तुत नहीं कर सकते। आज की स्थिति एक अर्द्ध सरकारी प्रकाशन के अनुसार यह है कि देश की श्रम शक्ति १५.४० करोड़ है। द्वितीय योजना के प्रत्येक वर्ष में इस शक्ति में २० लाख की वृद्धि की सम्भावना है अर्थात् कुल योजना काल में एक करोड़ लोगों की वृद्धि की आशा की जा सकती है।

रोज़गार की कई प्रकार की श्रेणियां हैं; इस प्रकाशन के अनुमान के अनुसार ५३ लाख बेरोजगार लोगों में से आधे नगरों में हैं। नगरों में १० में से १ व्यक्ति बेकार है, और जो लोग काम कर रहे हैं, और जिनका काम उनकी आवश्यकता और स्तर से नीचे है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या १० में से ५ है। इस स्थिति में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

देहाती बेरोजगारी के आंकड़ों का अनुमान २८ लाख है, बेकार कृषि श्रमिकों की संख्या १६ प्रतिशत तक है। आज हमारे एक तिहाई के लगभग कृषि श्रमिक फालतू पड़े हैं। शिक्षित बेकारों के सम्बन्ध में नमूना सर्वेक्षण हुये हैं और दो प्रकार के अनुमान हैं। आंकड़ों के देखने से पता चलता है कि बेरोजगारी प्रतिदिन बढ़ रही है। १९५८ में १० लाख व्यक्तियों के नाम काम दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज हुये, अर्थात् १९५७ के मुकाबले में १९ प्रतिशत बेकारी बढ़ गयी है। इसमें यह भी बात है कि हमारा जिस शीघ्रता से नगरीकरण हुआ है इतनी आशा नहीं थी। काफी लोग रोजगार के विचार से देहातों को छोड़ शहरों में आ गये। आज यह हमारी अर्थ-व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु है। हमें इस समस्या को हल करना है और मन्त्री महोदय का कहना भी ठीक है कि इसके लिये हमारे पास विनियोजन के बहुत अधिक साधन नहीं है, परन्तु मेरा कहना है कि इस समस्या को हल करने के लिये सरकार ने सभा और देश का विश्वास प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं समझी। देश में बेकारी बढ़ रही है और ऐसे लोगों का अभाव है जिनकी हमें आवश्यकता है। अम्बर चर्खा इत्यादि चीजों से भी कुछ लोगों को रोजगार मिला है परन्तु यह समस्या का स्थायी हल नहीं है। हमें लोगों को दिखाना है कि हम लोकतन्त्रीय ढंग से इस समस्या को हल कर सकते हैं। यह मानवीय और सामाजिक प्रश्न है और जब तक हम इसे समुचित ढंग से हल नहीं करेंगे, हमारे विकास कार्यों पर इसका प्रभाव पड़ता रहेगा। मेरे विचार में समस्या ठीक ढंग से हल नहीं की जा रही। हमें इस प्रकार की वैधानिक व्यवस्था करनी चाहिये कि कोई व्यक्ति और मशीन बेकार नहीं रहे। ऐसा करने से वह स्थिति उत्पन्न नहीं होगी जो कि २५ मिलें बन्द होने पर उत्पन्न हुई है।

†**श्री तंगामणि**: श्री दी० चं० शर्मा के संकल्प पर मेरा एक संशोधन है कि शब्द "unemployment (बेरोजगारी)" के बाद शब्द "underemployment (अर्द्ध रोजगारी)" रख लिए जायें।

मैं संकल्प को प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। पहली लोक सभा में श्री गोपालन ने भी ऐसा ही एक संकल्प प्रस्तुत किया था। मैं सभी माननीय मंत्रियों से निवेदन करूंगा कि रोजगार बढ़ाने के लिए माननीय सदस्यों के सुझावों को ध्यानपूर्वक सुनें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगामणि]

गांवों में किसानों के सामने बेरोजगारी की व्यापक समस्या है । उनके पास सिर्फ ६ महीने का कार्य होता है । इसी प्रकार मिलों आदि में काम करने वाले तथा खेतिहर मजदूरों में भी अर्द्ध रोजगारी व्याप्त है । कुछ विभागों में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी हैं : यह भी अर्द्ध बेरोजगारी का ही एक स्वरूप है । पिछले आंकड़ों को—काम दिलाऊ दफ्तरों के—देखने से पता लगता है कि १९५१ में रजिस्टर्ड लोगों की संख्या ३२८, ७१९ थीं जब कि १९५७ के अंत में ७८२,९३३ थी और मई १९५८ के अन्त में यह संख्या ९६३,३४५ थी। अतः स्पष्ट है कि बेरोजगारी की गति वृद्धि पर है। दूसरी योजना में ८० लाख लोगों को रोजगार देने की बात थी । मैं श्रम उपमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या इस अवधि में ४० लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल गया है ।

आन्ध्र और मद्रास राज्य में मिला कर २० लाख व्यक्ति हथ करवा उद्योग में हैं । पर उन को कई प्रकार के लाभ नहीं दिये जाते । साथ ही उन को निकाले जाने की भी संभावना है । मेरा निवेदन है कि बेरोजगारी को बढ़ाने की दिशा में सरकार द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया जाना चाहिए । कुटीर उद्योगों के लिए जो आवण्टन था उसके सम्बन्ध में कल मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि उस आवण्टन की पूर्व स्वीकृति नहीं दी जायेगी । मेरा अनुमान है कि इससे बेरोजगारी की स्थिति और भी अधिक गंभीर होगी । एक कल्याणकारी राज्य के लिए यह बात अशोभनीय है कि वहां की ९५ प्रतिशत जनता बेरोजगार होकर भूखों मरे । अतः यदि हमें बेरोजगारी की समस्या हल करनी है तो हमें कुछ क्रान्तिकारी कदम उठाने पड़ेंगें । हमें कम से कम इतना तो अवश्य ही करना चाहिए कि जो लोग इस समय नौकरी में हैं, वे बेरोजगार न होने पायें अतः हमें ऐसा एक विधान पारित करना चाहिए कि छटनी तथा तालाबन्दी पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये ।

अब समय आ गया है कि भूमि सुधार नीति को तुरन्त कार्यान्वित किया जाये । कुछ राज्यों में इस सम्बन्ध में कार्य हो रहा है और कुछ में शुरू होने वाला है । अतः सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे रोजगार की वृद्धि हो और बेरोजगारी कम हो ।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष इस प्रस्ताव को रख कर प्रोफेसर शर्मा ने देश की सब से बड़ी ज्वलन्त समस्या—बेकारी—की तरफ़ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है । हमारे देश में जहां एक ओर खाद्य की समस्या प्रमुख है, वहां दूसरी ओर उस के साथ साथ बेकारी की समस्या भी बड़ी ही भयावह बनी हुई है । यह एक ऐसी समस्या है, जो कि सारे समाज में और सारे देश में एक संक्रामक रोग की तरह फैलती जा रही है । अगर हम ध्यान-पूर्वक देखें, तो हम को अपने देश और समाज में तीन किस्म के बेकार लोग मिलेंगे । एक तो अशिक्षित बेकार हैं, जो गांवों में और शहरों में रहते हैं । दूसरे वे हैं, जो शिक्षित बेकार कहलाते हैं, जो कि कालेजों से डिग्री लेकर निकलते हैं और जिन को काम नहीं मिलता है । उन लोगों को भी बेकार कहा जा सकता है, जो कि सरकार के विभिन्न विभागों में या अन्य संस्थानों में कार्य करते हैं, लेकिन उन को इतना वेतन नहीं मिलता है, जिस से कि वे अपना उदरपोषण कर सकें और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें । एक प्रकार से इन तीसरी श्रेणी के लोगों को अर्ध-बेकार कहा जा सकता है । बेकारी की यह समस्या इतनी भयावह होती जा रही है कि इस का हल न तो सरकार की तरफ़ से और न समाज की तरफ़ से दृष्टिगोचर होता है । देश में प्रथम पंच-वर्षीय योजना बनाई गई और वह इसलिए बनाई गई कि देश में जो अन्न कम पैदा होता है, उस में वृद्धि की जाय, देश में जो बेकारी फैली हुई है, उस को कम किया जाय और बेकार लोगों को काम दिया जाय । लेकिन हम देखते हैं कि आयोजना की प्रगति के साथ ही साथ यह समस्या भी बढ़ती जाती है । हम ने अपनी प्रथम आयोजना के सब चरण समाप्त कर दिये हैं और दूसरी आयोजना के दूसरे चरण में हम चल रहे हैं । सवाल यह है कि

आखिरकार यह योजना है किस के लिए । सरकार और आयोजना आयोग रात-दिन इस बात की दुहाई देते हैं कि हम ने बेकारों को काम देने के लिए दफ़तर खोल रखे हैं, उन को हम काम देना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि बेकारों को काम देने की जितनी भी योजनायें सरकार और आयोजना आयोग बनाते हैं, वे सब काग़ज़ पर रखी रह जाती हैं । अगर सरकार ध्यानपूर्वक देखे, तो आज समस्या केवल यह नहीं है कि बेकारों को काम देना है । कहां तक सरकार और समाज काम देगा ? एक ओर तो आप लोगों को काम देना चाहते हैं, दूसरी ओर बेकारी बढ़ती जा रही है । इसलिए इस समस्या को हमें दो रूपों में देखना पड़ेगा । पहले तो हम उन लोगों को काम दें, जो इस वक्त बेकार हैं, या अर्ध-बेकार हैं, चाहे वे शिक्षित हों, अशिक्षित हों, गांवों में रहते हों या शहरों में । उस के साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि आगे बेकारी बढ़ने न पाये । वर्ना इस समस्या को हल करना कठिन होगा और वह बढ़ती जायेगी ।

आज शिक्षित बेकारों की अवस्था देख कर बड़ा दुख होता है । सरकार ने लोगों के लिए एम्प्लायमेंट एक्सचेंज खोल रखे हैं और लोग नौकरी के लिए वहां जाते हैं । हमारे पास उन के सम्बन्ध में शिकायतें आती हैं कि उन दफ़तरों की बहुत बुरी हालत है, वहां पर भ्रष्टाचार और पक्षपात फैला हुआ है, इत्यादि । सब से बड़ी बात यह है कि सरकार देश के समक्ष बेकारों के आंकड़े रखती है । लेकिन स्थिति यह है कि वे आंकड़े केवल उन लोगों के ही हैं, जो इन दफ़तरों में अपना नाम रजिस्टर कराने जाते हैं । लाखों लोग वहां अपना नाम रजिस्टर कराने नहीं जाते हैं, वे भी बेकार हैं, लेकिन उन के आंकड़े हमारे सामने नहीं आते हैं । शिक्षित बेकारों की बुरी अवस्था का मुख्य कारण हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली है । वह इतनी दूषित और निकम्मी है कि आज लाखों की तादाद में जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर के कालेजों से निकलते हैं, उन को काम देना सरकार के लिए असम्भव है । आज सौ में से नब्बे नहीं बल्कि पचानबे विद्यार्थियों का एक ही मकसद है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद सरकार के किसी विभाग या किसी संस्थान में नौकरी मिल जाय । इस का कारण यह है कि हम लोग उन को अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही परम्परा के अनुसार पंद्रह बीस साल तक मेज़ कुर्सी पर बिठा कर निकम्मा बना देते हैं, जिस का परिणाम यह होता है कि वे सिवाय कलम का धनी बनने के, सिवाय कलम घिसने के और किसी काम के योग्य नहीं रहते । अगर कोई विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना काम करना चाहता है, कोई धन्धा खोलना चाहता है, तो सरकार की तरफ़ से उस को कोई सुविधा नहीं मिलती है, कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है ।

इस प्रकार हमें एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें एक ओर तो केवल सात आठ परसेंट लोग पढ़े-लिखे हैं और बाकी अशिक्षित हैं और सारे देश में अशिक्षा और अज्ञान का प्रसार है और दूसरी ओर जो शिक्षित हैं, वे भी बेकार फिर रहे हैं । ऐसा मालूम होता है कि देश में एक अन्धकार सा छाया हुआ है । हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जिस मुल्क में नौजवानों में—चाहे वे शिक्षित हों या अशिक्षित—निराशा फैल जाती है, उस में न तो जनतंत्रवाद और न ही कोई और "वाद" चल सकता है । आज हमारे देश में नौजवान निराश होते जा रहे हैं, उन को दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है कि क्या करना है, हमारे लिए क्या प्लान है । जैसा कि मैं ने पहले कहा है, मोटा प्रश्न यह है कि आयोजना किस के लिए है, उस का उद्देश्य क्या है । जो स्थिति हमारे सामने है, उस से तो यही प्रकट होता है कि वर्तमान आयोजना केवल कुछ व्यक्तियों के हित के लिए है और अगर वह सामान्य जनता के हित के लिए होती, तो निश्चित रूप से इन सात सालों में बेकारी की समस्या और अन्य समस्याओं का कुछ हल निकलता । हमारी योजना बड़ी विलक्षण है कि ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ती है, त्यों त्यों खाद्य समस्या, बेकारी की समस्या और दूसरी समस्यायें भी बढ़ती जाती हैं । जितना आप दवा करते हैं, उतना ही मर्ज़ बढ़ता जाता है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शासन और

[श्री जगदीश अवस्थी]

आयोजना आयोग गम्भीरतापूर्वक इस बात पर विचार करे कि बेकारी की समस्या का क्या हल होना चाहिए। इस समस्या का हल बिल्कुल युद्ध-स्तर पर—वार लेवल पर—होना चाहिए । जिस प्रकार युद्ध के समय देश अपना काफी काम-काज बन्द कर देते हैं और उन के सामने एक ही भावना रहती है कि अपने देश की रक्षा करनी है, उसी प्रकार खाद्य समस्या और बेकारी की समस्या का हल होना चाहिए ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि और देशों की तरह यहां भी बेकार लोगों को मुआवजा और भत्ता देने की व्यवस्था की जाय, क्योंकि जब बेकारों को रुपया देना पड़ेगा, तो सरकार इस ओर चेतेगी । सरकार का एक अजीब नियम है कि उस के सामने जनता के हित का जो भी प्रस्ताव रखा जाता है, उस की ओर से जवाब दिया जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है । इसलिए जब लाखों रुपये सरकार की जेब से बेकार लोगों के पास जायेंगे, तो उस को इस समस्या की तरफ़ ध्यान देना पड़ेगा । ऐसी कई स्कीमों पर लाखों रुपये खर्च किये जा रहे हैं, जिन का कोई उपयोग नहीं है । अगर वह रुपया भत्ते के रूप में बेकारों की जेब में जाय, तो यह बेहतर है ।

शर्मा जी ने इस सम्बन्ध में कमेटी एपायंट करने का जो प्रस्ताव रखा है, उस में तो कोई विशेष बात नहीं है । समस्या बहुत साफ़ है, जो कि समाज को मालूम है और सरकार को भी मालूम है । इस समस्या का हल होना चाहिए । जो लोग इस समय कालेजों में पढ़ रहे हैं, उन की एजूकेशन को बन्द कर दिया जाय और जो बेकार लोग हैं, उन को काम पर लगाया जाय । ऐसी योजना बनाई जानी चाहिए कि शिक्षित बेकार लोगों को काम पर लगाया जा सके । ऐसी योजना से कोई लाभ नहीं होने वाला है, जिस में एक ओर आप बेकारी की समस्या हल करते हैं और दूसरी ओर वह बढ़ती जाती है । मैं चाहूंगा कि शासन इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे और इस को हल करने के उपाय सोचे, क्योंकि आखिरकार इस समस्या का हल शासन को ही करना होगा, और किसी को नहीं ।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि देश में बेकारी बढ़ रही है । पंच-वर्षीय योजनाओं के चलते हुए बेकारी का बढ़ना सचमुच में बड़ी चिन्ता की बात है । देश के किसी देश में ऐसा नहीं हुआ कि निर्माण की योजना चलती हो और बेकारी बढ़ती हो । दूसरी योजना के अन्तर्गत पहले अस्सी लाख लोगों को काम देने का अनुमान किया गया था । उस में भी इस बात को योजना आयोग ने स्वीकार किया था कि इन पांच वर्षों में नब्बे लाख नये बेकार तैयार हो जायेंगे । और अब वह ८० लाख का आंकड़ा घटा कर ६० लाख कर दिया गया है । वह भी पूरा होगा या नहीं इसमें भी मुझे सन्देह है ।

हम विचार करें कि योजनाओं के चलते हुए आखिर यह बेकारी क्यों बढ़ रही है । योजनाओं के अन्तर्गत हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं । उस बढ़े हुए उत्पादन के लिए हमें देश के भीतर बाज़ार चाहिए । धीरे धीरे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आप माल का निर्यात करके देश की अर्थ-व्यवस्था को बहुत दूर तक विकसित नहीं कर सकते क्योंकि दुनिया के बाज़ार में हमें कठोर प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है । स्पष्ट है कि बढ़े हुए उत्पादन के लिए हमें अपने देश के भीतर बाज़ार चाहिए । इसका मतलब यह है कि हमें लोगों की क्रय शक्ति बढ़ानी पड़ेगी । पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्पादन की वृद्धि और आम आदमी की क्रय-शक्ति बढ़ाना, मैं समझता हूं ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । लेकिन आज स्थिति ऐसी हो रही है कि हम उत्पादन की वृद्धि पर तो ज़ोर देते जा रहे हैं लेकिन आम आदमी की क्रय-शक्ति घट रही है और जिस का सब से बड़ा कारण यह है कि देश में करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जिन के पास काम नहीं है और लाखों व्यक्ति ऐसे हैं कि जिन के पास करने के लिए

काम तो है मगर उस काम का इतना पारिश्रमिक नहीं मिलता जिस से वे अपना जीवन ठीक तरह से बिता सकें।

यदि हम चाहते हैं कि हमारी अर्थ व्यवस्था विकसित हो और बढ़े हुए उत्पादन के लिए हम अपने देश में बाज़ार कायम करें तो हमें लोगों को काम देना होगा और काम अगर हम ने नहीं दिया तो हमारी अर्थव्यवस्था स्थायी आधारों पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकती।

अब प्रश्न यह है कि काम कैसे दिया जाए। मेरा निवेदन है कि सरकार अपनी औद्योगिक नीति में परिवर्तन करे। यह ठीक है कि एक हज़ार वर्षों की पराधीनता के कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था में विकृतियां उत्पन्न हो गई हैं और उन्हें हम शीघ्र समाप्त करना चाहते हैं। हमारी औद्योगिक नीति ऐसी होनी चाहिए कि जिस में इस बात पर बल दिया जाए कि हमारे देश में अधिक से अधिक व्यक्तियों को काम पर लगाया जाए। हमारे देश में आदमी ज्यादा हैं और भूमि कम। दुनिया के और देशों में ज़मीन अधिक होगी, जनसंख्या कम होगी। हमारे यहां उल्टी बात है। मनुष्य अधिक है और ज़मीन कम है। काम करने वाले हाथ अधिक हैं और काम कम है। अगर करोड़ों नौजवानों को हमें काम देना है और हमारे प्रधान मंत्री जी कहते भी हैं कि आराम हराम है, तो हमें कोई और ही पालिसी अपनानी होगी। जो बेकार बैठे हैं अम्पलायमेंट एक्सचेंज के सामने लम्बी लम्बी लाइनें लगा कर या जो दिल्ली के स्टेशन के बाहर एक बिस्तर को उठाने के लिए चील कौवों की तरह से झपटते हैं, उनके सामने अगर नारा लगाया जाए कि आराम हराम है तो उससे बड़ा मज़ाक और क्या हो सकता है। देश के करोड़ों नौजवान आज काम चाहते हैं, मगर सरकार काम नहीं दे सकती है। काम नहीं दे सकती है का यह मतलब नहीं है कि वह देना नहीं चाहती है। मगर जिस तरह से देना चाहती है वह तरीका गलत है। हमारी योजनाओं में बड़े बड़े उद्योगों पर अधिक बल दिया जा रहा है जिन में मशीनों से काम होता है। मैं यह नहीं कहता कि मशीनों का बहिष्कार कर दिया जाए। मगर अधिक काम अगर लोगों को दिया जा सकता है तो दिया जाना चाहिये। मनुष्य भूखा है तो मशीनों से काम लेना ठीक नहीं है। मुझे चीन जाने का मौका नहीं मिला। मगर मेरे दोस्त जो वहां हो आए हैं उनका कहना है कि वहां भी बड़े बड़े बांधों का निर्माण हो रहा है मगर बड़ी बड़ी मशीनों के बगैर। लाखों चीनी चीटियों की तरह उन बांधों को बनाने में लगे हुए हैं, पारिश्रमिक कम होगा, जिसे पूंजिपति देश फोर्स्ड लेबर कहते हों, लेकिन हमें उस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर आप विकास योजनाओं के द्वारा ही काम दे सकते हैं तो म समझता हूं कि योजनाओं को आप थोड़ा धीमे भी चलावें तो उसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आखिर योजनायें किस के लिए हैं, बड़े बड़े बांधों का निर्माण किस के लिए किया जा रहा है? मनुष्यों के लिए ही तो किया जा रहा है। जिस मनुष्य के लिए यह किया जा रहा है उसी मनुष्य को काम चाहिए। कर्म करन का अधिकार मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह कर्म भूमि है। हम यहां कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं और मेरा निवेदन है कि यह कर्म करने का अधिकार हमारे मूलभूत अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिए। आज हमें बात करने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, मगर काम करने का अधिकार नहीं है।

श्री स० म० बनर्जी : मरने का अधिकार है।

श्री वाजपेयी : आजीविका का अधिकार नहीं। मैं चाहता हूं कि कर्म के अधिकार को भी सरकार को संविधान के मूलभूत अधिकारों में शामिल कर लेना चाहिए और अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को काम दे। काम कैसे दे, इसके बारे में मैंने आपके सामने एक सुझाव रखा है। मैं चाहता हूं कि औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया जाए, छोटे छोटे उद्योगों पर बल दिया जाए।

[श्री वाजपेयी]

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा पद्धति में भी संशोधन होना चाहिए। जो भी यूनिवर्सिटी की टकसाल में से ढल कर निकलते हैं वे बेकारी के बाज़ार में पहुंच जाते हैं। श्रम की प्रतिष्ठा नहीं है। कोई हाथ से काम नहीं करना चाहता। विदेशी शासकों ने यह शिक्षा पद्धति क्लर्क तैयार करने के लिए चलाई थी। वे चले गये और उनके साथ उनकी शिक्षापद्धति भी जानी चाहिए। ऐसी शिक्षा पद्धति जो श्रम की प्रतिष्ठा करे, जो हमें हाथ से काम करने की शिक्षा दे, जिस से हमारा शिक्षित वर्ग दफ्तरों की ओर न जा कर गांवों की ओर जाये, चलाई जानी चाहिए। आज स्थिति यह है कि गांव उजड़ रहे हैं और शहरों में आबादी बढ़ रही है। गांवों में रहने के लिए लोग नहीं हैं और शहरों में लोगों के रहने के लिए मकान नहीं हैं। हमारी औद्योगिक नीति ऐसी है कि जो लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ाती। इसके परिणामस्वरूप बाज़ार में कपड़ा पड़ा रहता है और मिलें बन्द होती जाती हैं। बाज़ार में नंगे आदमी भी हैं और कपड़ा भी है। नंगों को कपड़ा चाहिये मगर कपड़े के दुकानदार को ऐसा नंगा चाहिये जिस की जेब में पैसा हो। मगर पैसा नहीं है क्योंकि काम नहीं है और शासन काम नहीं दे पा रहा है। एक बड़ी संकट की स्थिति हमारे सामने खड़ी हो गई है। यह किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है। बेकारों को उत्तेजित करके राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जाए, यह भी सवाल नहीं है। मगर शासन अपनी औद्योगिक नीति में, अपनी शिक्षा सम्बन्धी नीति में आमूल परिवर्तन करे तो यह समस्या हल हो सकती है। शासन को चाहिये कि वह काम के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में शामिल कर, उसे स्वीकार कर इस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाये, तभी बेकारी की समस्या का निराकरण सम्भव है।

मैं समझता हूं कि यह काम एक समिति बना देने से ही पूरा नहीं हो सकता है यद्यपि मैं उस समिति के निर्माण का विरोधी नहीं हूं।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (अम्बाला): उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव श्री दी० चं० शर्मा ने इस सदन के सामने पेश किया है और जिसमें वह एक समिति का निर्माण करना चाहते हैं, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ी हुई हूं।

चूंकि समय कम है और बहुत सी बातों की तरफ माननीय सदस्यों ने इस सदन का ध्यान दिला भी दिया है, इसलिए उन के बारे में कुछ न कह कर एक ही विषय की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हज़ारों, लाखों और करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि एम्पलायमेंट चाहते हैं और उनको एम्पलायमेंट दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि लोगों को नौकरियां देने के बजाय ऐसी भी कोशिश होती है कि जो नौकरियों में लगे हुए हैं या काम में लगे हुए हैं, उनको भी बेरोज़गार कर दिया जाए। अभी यहां पर रिट्रेंचमेंट की बात की गई है और कहा गया है कि रिट्रेंचमेंट के बाद उन लोगों को जो कि नौकरी से अलग कर दिये जाते हैं, नौकरी पर लगाने की कोशिश नहीं की जाती है। मैं एक दूसरा ही मसला आपके सामने रखना चाहती हूं। हमारे लेबर मिनिस्टर साहब जो कि एम्पलायमेंट के भी इन्चार्ज हैं यहां से हिन्दुस्तान के कोने कोने में सर्क्युलर भेजते हैं कि हिन्दुस्तान में जितनी भी साइकल रिक्शायें चलती हैं, उनका चलना फौरन बन्द कर दिया जाए। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहती हूं कि हिन्दुस्तान में साइकल रिक्शा चलाने से रद्दी काम और कोई दूसरा नहीं है। इनको चलानेसे इन्सान की जिन्दगी आधी रह जाती है। लेकिन ये लोग खुशी से रिक्शा नहीं चलाते हैं। आज इनको कहा जाता है कि वे स्कूटर चलायें, मोटरें चलायें और वे चाहते भी हैं कि वे साइकल रिक्शा न चलायें और उनके जो बच्चे हैं वे हवाई जहाज़ चलायें। लेकिन रिक्शाओं को बन्द करके

क्या आपने कोई प्लान बनाया है, कोई नक्शा अपने सामने रखा है कि कौन सा काम उनको आप देंगे और अगर आप कोई काम उनको नहीं देंगे तो क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी फैमिलीज़ का क्या बनेगा जो उन्हीं की मेहनत पर निर्भर करती हैं ? अगर उनको दूसरा काम देने का फैसला हो जाता और उसके बाद इनको बन्द करने का हुक्म निकलता तब तो बात समझ में आ सकती थी वर्ना नहीं। हमारे लेबर मिनिस्टर साहब समझते हैं कि उनके कहने के मुताबिक अगर इन लोगों को नए लाइसेंस नहीं दिये गये तो उनका जो फ़र्ज़ है वह पूरा हो जाएगा। वे लोग जा कर कुंए में गिरें, धक्के खायें, भूखे मरें, उनको उनके रहम पर छोड़ना ठीक नहीं है। क्या यह देखना कि वे कोई काम करें, आपका फर्ज़ नहीं है ? वह समझते हैं कि हम आंखें बन्द कर लें तो उनके रोज़गार का मसला भी हल हो जायेगा।

मैं अदब के साथ मंत्री महोदय से अर्ज़ करना चाहती हूं कि हम यहां पर जहां एम्पलायमेंट की बात करते हैं तो उसके साथ ही साथ हम यह भी प्लान किया करें कि उनको हम कौन सा काम देना चाहते हैं।

अभी हमारी नीति की बात की गई और कहा गया कि हमारी उद्योग नीति ऐसी है जिसको कि प्रोत्साहन नहीं मिलता और मैं भी इस बात का समर्थन करती हूं। आखिर जो हमारी उद्योग नीति है वह पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया एक कानून होती है, एक पालिसी होती है जो कि यहां पर तय की जाती है, उस नीति को चाहे आप कांग्रेस गवर्नमेंट की समझिये या हुकूमत की समझिये और उस नीति के ऊपर पार्लियामेंट अपनी छाप लगाती है और उसके बाद वह तमाम हिन्दुस्तान की पालिसी बन जाती है परन्तु वह रोज़गार देने के लिए कहां तक अमल में आती है और चलती है इसकी ओर मंत्री महोदय को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हमारी पालिसी में है कि हम कोआपरे-टिव्स् बनाना चाहते हैं। मैं सदन का और अधिक समय न लेते हुए मंत्री महोदय से चाहती हूं कि वे इस तरफ़ भी तवज्जह दिया करें कि अगर कोई बेरोज़गार लोगों की कोआपरेटिव बनती है तो उसको गवर्नमेंट से एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं और यह कि ठेकेदारों के मुकाबले उन के साथ कैसा सलूक होता है। जब तक गवर्नमेंट और हमारे मंत्री महोदय इस की ओर अपनी तवज्जह नहीं देंगे तब तक हमारे यहां से यह एम्पलायमेंट का क्वैश्चन दूर नहीं हो सकता।

श्री दी० चं० शर्मा ने सदन के सामने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करती हूं और साथ ही यह भी कहना चाहती हूं कि खाली कमिशन बनाना और एनक्वायरी करना ही काफ़ी नहीं है बल्कि उसको बाक़ायदा मुस्तकिल तौर पर कायम रहना चाहिए और जो रोज़मर्रा इन चीज़ों में जाये और इस चीज़ को देखा करे कि कहां हमने तरक्की की और कहां हमने पीछे की ओर क़दम किया।

†**श्री वासुदेवन् नायर** (तिरुवल्ला)": हमारा उद्देश्य बेरोजगारी को बिल्कुल समाप्त करना है पर मुझे विश्वास है कि सरकार यह काम नहीं कर सकती। सरकार तथा योजना आयोग ने कहा था कि इस योजना काल में ८० लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो जायेगी पर मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में अब तक क्या हुआ है। आज बेरोजगारी की स्थिति यह है कि ३० या ४० रुपये मासिक की नौकरी के लिए हजारों आवेदन पत्र आते हैं। अतः इस समस्या को हल करने के लिए एक दीर्घ कालीन योजना होनी चाहिये। श्री शर्मा के संकल्प में कहा गया है कि एक समिति बनाई जाये जो इस संबंध में अपना प्रतिवेदन दे। पर यह सरकार जिस नीति पर चल

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वासुदेवन नायर]

रही है। इसके अनुसार इस दिशा में कुछ भी नहीं हो सकता। कम से कम यह आवश्यक है कि रोजगार की स्थिति जो दिनोंदिन खराब होती जा रही है, उसे खराब होने से रोका जाये।

हमारे प्रश्नों का सभा में जो उत्तर दिया जाता है उस में कहा जाता है कि हमारे विदेशी बाजार म हमें चीन के साथ बहुत जोरदार प्रतिद्वन्दिता करनी पड़ती है। पर वास्तव में बात यह नहीं है। चीन को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। प्रतिद्वन्दिता तो रहेगी ही। अतः जब हम एक देश के उत्पादन व खपत दोनों नहीं बढ़ायेंगे तब तक बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होगी।

श्री तंगामणि तथा पाणिग्रही ने जो सुझाव दिये हैं ; मैं उनका स्वागत करता हूं। भूमि सुधार तथा भूमि वितरण संबंधी कार्य को तुरन्त शुरू करना चाहिए और बेकार पड़ी भमि भूमिहीन किसानों को दे दी जानी चाहिए। दूसरे तंगामणि का यह सुझाव भी बहुत अच्छा है कि कारखानों की तालाबन्दी बिल्कुल समाप्त कर दी जानी चाहिए। जो गैर सरकारी कारखाने ऐसी स्थिति में हों, कि उन्हें आगे चलाना कठिन हो उन्हें सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। मेरा संशोधन इस संबंध में है कि एक समिति बनाई जाये जो स्थिति का अध्ययन करके अन्तरिक्ष सुझाव प्रस्तुत करे।

मेरा सुझाव है कि समिति चीन जाकर अध्ययन करे कि चीन में इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या किया जा रहा है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : उपाध्यक्ष महोदय, संकल्प तथा संशोधनों से पता लगता है कि सभा चाहती है कि रोजगार की संभावना बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायें। हमारी योजना का भी यही मुख्य उद्देश्य है। समय समय पर माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि एसे प्रयत्नों का क्या परिणाम रहा है ताकि बुराइयों तथा कठिनाइयों को सामूहिक प्रयत्नों से हटाया जा सके।

संकल्प को प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बेरोजगारी की समस्या का राष्ट्रीय स्तर पर तथा सभी दलों के आधार पर हल करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। उन्होंने खाद्य समस्या का उदाहरण दिया। रोजगार तथा बेरोजगारी दोनों समस्याओं के अनेक पहलू हैं। इन पहलुओं को हल करने के पहले, पहला कदम यह होना चाहिए कि यह पता लगाया जाये कि ये समस्यायें कितने उग्र रूप में है। इस प्रकार परीक्षण करने के बाद हमें कुछ हद तक यह अंदाजा हो जायेगा कि समस्या को हल करने के लिए हमें अपने साधनों की सीमा के भीतर कितना प्रयत्न कर सकते हैं।

वाद विवाद में कुछ तथ्यों का उल्लेख किया जा चुका है जैसे औद्योगीकरण के परिणाम स्वरूप गांव के कारीगरों का परम्परागत व्यवसाय समाप्त होना, देश में फैलने वाले नये विकास, शिक्षा का प्रसार, व्यवसाय के चुनाव के साथ साथ नये विचारों का प्रचार आदि। भूमिहीन किसानों के प्रश्न का भी उल्लेख किया गया जो कि कृषि अर्थ व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नये पढ़े लिखे अधिकांश लोगों द्वारा अपनी पसंद की इज्जतदार नौकरियों की तलाश, ऐसी नौकरियां कुछ व्यक्तियों के रुचि की नहीं होती। इस बात का सब से बड़ा प्रभाव यह है कि नौकरी तलाश करने वाले लोग गांवों से शहरों में आ रहे हैं। इन बातों तथा अन्य आर्थिक कारणों के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी की समस्या बहुत जटिल हो गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमें ध्यान रखना चाहिये कि हम १५ करोड़ बेरोजगार व्यक्तियों की समस्या पर विचार कर रहे हैं जो भारी आशायें लगाये बैठे हुये हैं । हमें यह भी ध्यान रखना है कि योजना के परिणाम स्वरूप कितनी रोजगार क्षमता बढ़ी है। कुछ माननीय सदस्यों ने हमारे आंकड़ों को अविश्वासनीय बताया। यह बात ठीक है कि पूर्ण विश्वासनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

योजना के प्रथम दो वर्षों में २० लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था हुई है। वर्तमान वर्ष में मुझे आशा है कि लगभग १० लाख व्यक्तियों को और रोजगार मिल जायेगा। दूसरी योजना काल में ६५ लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की व्यवस्था के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए बहुत प्रयत्न किये गये इस में कोई संदेह नहीं।

कुछ भाषणों के संबंध में मेरी धारणा है कि वे उपयोगी तथा रचनात्मक थे पर कुछ भाषण ऐसे थे जैसे वे किसी चुनाव संबंधी सभा में दिये जा रहे हों, लोक-सभा में नहीं। उत्तर प्रदेश के एक माननीय सदस्य ने कहा कि सम्बद्ध क्लर्क को रिश्वत दिये बिना काम दिलाऊ दफतर में नाम रजिस्टर कर ना कठिन है। मैं माननीय सदस्य से पूछता हूं कि वे कृपया मुझे बतायें कि ऐसी बातें कहां होती हैं । मेरा तो यह कहना है कि यह बात बहुत गंभीर है और माननीय सदस्यों को जहां भी ऐसी कोई बात मिले वे तुरन्त ऐसी बातों को मेरी जानकारी में लायें। ऐसी बातों को समाप्त करने के लिए हम लोग स्वयं बहुत सचेष्ट हैं। यदि माननीय सदस्य इसे सिद्ध नहीं कर सकते तो मुझे आशा है कि व इन अपमान-जनक बातों को वापस ले लेंगे ।

लम्बी गुलामी के बाद ११ वर्षों में इन सब बुराइयों को समाप्त करना संभव नहीं है। ११ वर्ष के बच्चे से हम अधिक आशायें नहीं कर सकते बल्कि बच्चा स्वयं चाहता है कि उसकी अच्छी देखभाल, शिक्षा आदि की जाये तब वह इस लायक बन पायेगा कि आप के लिए कुछ कर पाये।

यह समय आलोचना का नहीं सहयोग का समय है । यह कहा गया कि रोजगार की संभावनायें कम होती जा रही हैं। दामोदर घाटी का उल्लेख किया गया । वहां बांध बन गया है ; बिजली का कारखाना बन गया है। क्या आप चाहते है कि अब भी वहां १०,००० कर्मचारियों को काम पर लगाये रखा जाये ?

छटनी किये गये कर्मचारियों का सामान्य पूल बना दिया गया है और उन में से बहुतों को मदद दी जा चुकी है। प्रतिरक्षा संस्थापना के कुछ कर्मचारियों की छटनी की गयी थी। काम दिलाऊ दफतरों में उनकी सहायता की और उन्हें प्राथमिकता दी गयी।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

एक सुझाव दिया गया कि ग्रामोद्योग की अवहेलना न की जाये। ठीक है, अम्बर चर्खा, छोटे पैमाने के उद्योग आदि कई बातें हैं जिन के संबंध में सावधानी बरती जा रही है। बड़ी-बड़ी परि-योजनायें ही नहीं अन्य छोटे उद्योगों की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है और दोनों का साथ-साथ विकास किया जा रहा है। माननीय सदस्यों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि योजना के संशोधन होने तथा योजना के लक्ष्य में संशोधन होने के बाद भी रोगजगार संभावना में कोई कमी नहीं होगी। हमारा प्रयत्न यह है कि लक्ष्य की पूर्ति अवश्य की जाये।

[श्री आबिद अली]

जहां तक छंटनी का प्रश्न है उसे बिल्कुल बन्द नहीं किया जा सकता। छंटनी के समय हम यह भी ध्यान रखते हैं कि कर्मचारियों को पर्याप्त प्रतिकर मिले। कभी कभी कोई कारखाना घाटे में चलता है या उस में पैदा होने वाली किसी वस्तु की जरूरत नहीं होती तब भी क्या हम उस वस्तु का उत्पादन होते रहने दें। अतः ऐसी हालत में छंटनी होगी ही। कभी कभी कुछ अस्थायी कार्य हाथ में लिया जाता है और काम पूरा होते ही कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है। इस संबंध में भी, जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है, हमने औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन कर दिया है।

काम दिलाऊ दफ्तरों के सम्बन्ध में, जो आंकड़े दिये गये हैं वे सही हैं। यह भी सच है कि काम-दिलाऊ दफ्तरों में रजिस्टर किये गये व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। पर आप ध्यान रखें कि दूसरी योजना के पूर्व काम-दिलाऊ दफ्तरों की संख्या केवल १०८ थी और अब २०४ है। लोगों को शिकायत थी कि इनकी संख्या कम है। हमारा विचार है कि इनकी संख्या तथा इन की गति विधियों को बढ़ाया जाये।

जहां भी कोई त्रुटियां हैं, हम उन्हें दूर करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। माननीय सदस्यों को सहायता करने के लिये हम हर तरह से तैयार हैं। हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार तथा पक्षपात समाप्त कर दिया जाये। काम-दिलाऊ दफ्तर राज्य सरकारों के अधीन है। उनका काम रोजगार पैदा करना नहीं है बल्कि रोजगार चाहने वालों तथा रोजगार देने वालों को मिला देना है। इस प्रकार भ्रष्टाचार और पक्षपात में कमी होती है पर यह कोई नहीं कह सकता कि इसे बिल्कुल ही मिटा दिया जायेगा। पर इन बातों को कम करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

दिल्ली विश्व विद्यालय क्षेत्र में हमने परीक्षण रूप से एक काम-दिलाऊ दफ्तर खोला है। इसके परिणामों को देख कर, विचार है कि ५ अन्य विश्वविद्यालयों में भी काम दिलाऊ दफ्तरों की सेवायें बढ़ाई जायेंगी।

इन दफ्तरों में जितने व्यक्तियों के नाम रजिस्टर हैं, अनुमान है कि उन में से एक तिहाई व्यक्तियों को नौकरी मिल गई है और दो-तिहाई व्यक्ति अभी भी बेकार हैं।

श्रीमती सुभद्रा जोशी ने जो शिकायत की है उसके संबंध में मैं यही कहूंगा कि उन्हें जो जानकारी प्राप्त हुई है वह सच नहीं है। सभी रिक्शा चालकों को तुरन्त काम से रोकने का विचार नहीं है बल्कि विचार यह है कि उन के काम को रोक कर उन के लिए नया काम ढूंढ़ने के लिए प्रयत्न किये जायेंगे। वे मोटर-रिक्शा चला सकते हैं या अपने लिए कुछ और काम ढूंढ़ सकते हैं। पर रिक्शों के नये लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे। इरादा है कि आदमियों द्वारा चलाये जाने वाले रिक्शों को धीरे-धीरे बन्द कर दिया जाये।

माननीय सदस्यों को पता है कि प्रतिवर्ष २० लाख बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। इस समस्या को हल करने के लिए भी आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। परिवार-आयोजन के काम के लिए यदि कुछ समितियां बना दी जायें तो वे अच्छा प्रचार कर सकती हैं। जन्म दर में कमी करना बहुत आवश्यक है। इस काम के लिए जो समिति बनाई गयी है, वह अपना कार्य कर रही है और आशा है कि माननीय सदस्यों तथा अन्य समितियों के सहयोग से इस समस्या की उग्रता को कम करने में सफलता मिलेगी।

भूमि सुधारों के संबंध में मुझे प्रसन्नता है कि एक साम्यवादी सदस्य ने भी कांग्रेस समिति के कार्यों की प्रशंसा की है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा विकास संस्थायें इस संबंध में काफी काम कर रही हैं। आशा है कि उन के प्रयत्नों से यह समस्या भी काफी हद तक नियंत्रित हो जायेगी।

निर्धारण व्यवस्था के संबंध में माननीय सदस्यों को पता है कि वर्ष १९५५ में रोजगार तथा बेरोजगारी के संबंध में एक सर्वेक्षण किया गया था। मेरा अनुमान है कि कुछ महीनों में उसका प्रतिवेदन मिल जायेगा। जिस से माननीय सदस्यों को अपेक्षित जानकारी मिल जायेगी।

संकल्प को प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य अतिवयकत तथा फिर से नौकर रखे गये व्यक्तियों के संबंध में बहुत चिंतित हैं। सौभाग्य से ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है।

रोजगार संबंधी जो केन्द्रीय समिति नियुक्त की जा रही है उस में दोनों सभाओं के सदस्य होंगे। इस समिति का काम होगा; रोजगार जानकारी का पुनरीक्षण करना व रोजगार व बेरोज़गारी का निर्धारण करना; राष्ट्रीय रोजगार सेवा के विकास के संबंध में परामर्श देना; परियोजनाओं की पूर्ति पर छंटनी किये गये व्यक्तियों के रोजगार के संबंध में परामर्श देना; शिक्षित बेरोजगारी संबंधी विशेष कार्यक्रम पर विशेष रूप से ध्यान देना, नवयुवक रोजगार सेवा के विकास पर परामर्श देना तथा काम दिलाऊ दफ्तरों को रोजगार संबंधी मंत्रणा देना और प्रशिक्षित कारीगरों की आवश्यकताओं का निर्धारण करना और व्यवसायिक धन्धों के प्रशिक्षण के संबंध में राष्ट्रीय परिषद को परामर्श देना।

मेरा विचार है कि अब वे माननीय सदस्य संतुष्ट हो गये होंगे जिन्होंने इस संकल्प का समर्थन किया है। क्योंकि संकल्प में जिस समिति की नियुक्ति की मांग की गयी है वह समिति न तो आवश्यक आंकड़े इकटठे कर पायेगी क्योंकि यह विशेष प्रविधिक कार्य है, और न तो यह समिति रोजगार की संभावना बढ़ा पायेगी।

जिस समिति का मैंने उल्लेख किया है उस में केवल केन्द्र तथा राज्यों के प्रतिनिधि ही नहीं होंगे बल्कि उस में अर्थशास्त्री भी होंगे तथा संसद के चार सदस्य भी दो इस सभा के तथा दो उस सभा के–होंगे। मेरा विचार है कि इस से माननीय सदस्यों को संतोष हो जायेगा अतः मैं संकल्प के प्रस्तुत कर्ता माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे इस आश्वासन को देखते हुए, कि जिस समिति का उल्लेख मने किया है वह इन सभी बातों पर विचार करेगी, अपने इस संकल्प को वापस ले लेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : पहले मैंने दो संकल्प प्रस्तुत किये थे। श्रमजीवी पत्रकारों संबंधी तथा वेतन आयोग संबंधी —दोनों के परिणाम अच्छे रहे ह। मुझे प्रसन्नता है कि इस संकल्प का भी परिणाम अच्छा ही रहा है। इस संकल्प पर तुरन्त ही रोजगार की केन्द्रीय परिषद बनाने का आश्वासन माननीय मंत्री ने दे दिया है जो कि रोजगार की संभावना आदि की छान बीन करेगी। इस संबंध में मेरा एक सुझाव है कि बड़े बड़े उद्योग तो आवश्यक हैं ही पर छोटे-छोटे उद्योग तथा कुटीर उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन के विकास पर समुचित ध्यान देना आवश्यक है।

दूसरी बात हमें यह कहना है कि अभी तक हमने शहरों में शिक्षित बेरोजगारी को ही दर करने के प्रयत्न किये हैं। यह ठीक है पर हमें देहातों की जनता का भी ध्यान रखना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि अधिक काम दिलाऊ दफतर खोले जायेंगे। औद्योगिक कर्मचारियों तथा खेतिहर मजदूरों के लिए भी कार्यवाही करना आवश्यक है।

अतः माननीय मंत्री द्वारा परिषद् की नियुक्ति का आश्वासन मिलने के बाद मैं चाहता हूं कि सभा मुझे संकल्प को वापस लेने की अनुमति दे देगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधनों को मतदान के लिए रखूंगा।

---

† मूल अंग्रेजी में।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुये ।

†**अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपने संकल्प पर आग्रह नहीं कर रहे हैं।**

संकल्प, सभा की अनुमति से वापस लिया गया

सैनिक व्यय के ढाँचे की जाँच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा सिफारिश करती है कि प्रतिरक्षा के क्षेत्र में अत्याधिक महत्वपूर्ण, वैज्ञानिक और प्रविधिक विकास को देखते हुये, सैनिक खर्च के वर्तमान ढांचे की जांच करने तथा परिवर्तनों का सुझाव देने के लिये लोक-सभा के सदस्यों की एक समिति, जिसको प्रविधिक विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त हो, नियुक्त की जाये " ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी कर ।

(इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २४ नवम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—		४१९—४२
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३०	बम्बई और कलकत्ता के बीच अतिरिक्त रेलगाड़ी	४१९—२१
१३१	विजगापत्तम पत्तन का विकास	४२१—२३
१३२	भारतीय नदियों की सिंचाई तथा जल विद्युत् संभावनायें	४२४–२५
१३३	दंडकारण्य परियोजना के लिये रेलमार्ग	४२५–२६
१३४	केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन	४२७—२९
१३५	चावल और गेहूं के भाव	४२९—३१
१३६	हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के चुनाव	४३२
१३७	रेलवे डाक सेवा पुनर्गठन समिति	४३२—३४
१३८	इण्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन	४३४—३७
१३९	रेलवे इस्पात क्रय मिशन	४३७–३८
१४०	दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के कर्मचारी	४३८—४०
१४१	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ (प्राइवेट) लिमिटेड	४४०—४२
प्रश्नों के लिखित उत्तर		४४२—८१
तारांकित प्रश्न संख्या		
१४२	जल संभरण तथा जल निस्सारण योजनायें	४४१
१४३	भूमि को कृषि योग्य बनाना	४४३
१४४	कुरढिया सिंचाई परियोजना	४४३
१४५	रेलवे पुलिस के दुर्व्यवहार सम्बन्धी जांच पड़ताल रिपोर्ट	४४३
१४६	बरौनी थरमल पावर स्टेशन	४४४
१४७	हिन्दुस्तान शिपयार्ड में बने जहाज	४४४
१४८	पश्चिमी बंगाल के एक्स-रे फिल्मों का संभरण	४४५
१४९	जोती-मुटुक साइडिंग का स्थान परिवर्तन	४४५
१५०	मनीपुर की लोकटाक झील का विकास	४४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१५१	बोगाईगांव के निकट वर्कशाप	४४६
१५२	अरियालूर दुर्घटना	४४६
१५३	प्रादेशिक भाषाओं में डाक के फार्मों की छपाई	४४६
१५४	डीज़ल रेल कारें	४४६–४७
१५५	अवारा पशु	४४७
१५६	दिल्ली नगर निगम को ऋण	४४८
१५७	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	४४८
१५८	गंगा बांध योजना	४४८–४९
१५९	भूमि उपयोग सर्वेक्षण	४४९
१६०	पेराम्बूर का सवारी डिब्बे बनाने वाला कारखाना	४४९
१६१	डाक और तार कर्मचारियों के लिये बस्तियां	४४९–५०
१६२	उड़ीसा में नई रेलवे लाइन	४५०
१६३	इन्टेगरल कोच फैक्टरी पेराम्बूर	४५०–५१
१६४	इंजन के पुर्जे बनाने का कारखाना, मंडुआडीह	४५१
१६५	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन मार्ग योजना	४५१

अतारांकित प्रश्न संख्या		
२११	इलाहाबाद स्टेशन का नये नमूने का बनवाया जाना	४५१–५२
२१२	हिमाचल प्रदेश में पौधे बढ़ाने वाले बाग	४५२
२१३	हिमाचल प्रदेश में पशु चिकित्सालय	४५२—५३
२१४	रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	४५३
२१५	डाक और तार कर्मचारी	४५४
२१६	रिजर्व बैंक का अनुवर्ती सर्वेक्षण	४५४
२१७	स्मृति टिकट	४५४–५५
२१८	नई दिल्ली के टेलीफोन एक्सचेंज में महिला कर्मचारी	४५५
२१९	माल गाड़ी का पटरी से उतरना	४५५–५६
२२०	"दशमिक सैल" स्थापित करने की योजना	४५६
२२१	उड़ीसा की ग्राम्य जल संभरण योजनाओं के धन का उपयोग	४५६
२२२	राष्ट्रीय राजपथों पर डाक बंगले	४५६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
२२३	उड़ीसा में डाक तथा तार कार्यालय	४५७
२२४	उड़ीसा के डाक तथा तार विभाग में महिला कर्मचारी	४५७
२२५	मध्य रेलवे के विरुद्ध दी गई डिग्रियां	४५७–५८
२२६	मध्य रेलवे में अत्यधिक भीड़भाड़	४५८
२२७	दिल्ली-बम्बई लाइन पर भोजन व्यवस्था करने वाले	४५८
२२८	चीनी . .	४५८
२२९	मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	४५९
२३०	जम्मू तथा काश्मीर में फल परिरक्षण उद्योग	४५६
२३१	पंजाब में क्षय-चिकित्सालय	४५९
२३२	उड़ीसा में टेलीग्राफ लाइनें . .	४६०
२३३	डाक तथा तार विभाग में विभागातिरिक्ति कर्मचारियों सम्बन्धी समिति .	४६०
२३४	नागपुर का ट्रैक्टर परीक्षण केन्द्र	४६१
२३५	पैसेंजर गाड़ी पर हमला	४६१
२३६	हिमाचल प्रदेश में पशु चिकित्सालय	४६१–६२
२३७	हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग .	४६२
२३८	रेलवे पर सहकारी समितियों को बिक्री के ठेके	४६३
२३९	फल . .	४६३–६४
२४०	संसद् सदस्यों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	४६४
२४१	कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योग	४६४
२४२	सहायक स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण	४६४–६५
२४३	उर्वरकों का आवंटन	४६५–६६
२४४	रेलवे की आय	४६६
२४५	वायु समझौते . . .	४६६–६७
२४६	भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का मंत्रणा बोर्ड	४६७
२४७	वर्षा के कारण रेलवे की क्षति	४६७
२४८	उड़ीसा में काजू की खेती	४६७–६८
२४९	मलेरिया उन्मूलन	४६८
२५०	टिकट जांच कर्मचारी	४६८
२५१	विश्व स्वास्थ्य संगठन	४६८–६९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२५२	गोहाटी में मेडिकल कालेज	४६९
२५३	आन्ध्र प्रदेश में क्षय रोग . . .	४६९
२५४	हरिहर और बंगलौर सैक्शन के बीच रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना . .	४६९
२५५	मैसूर को खाद्यान्नों का संभरण	४६९–७०
२५६	पर्यटन कार्यालय .	४७०
२५७	पूर्वोत्तर रेलवे में चोरियां	४७०–७१
२५८	गैंगमैन	४७१
२५९	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	४७१–७२
२६०	लेम्बूचरा कृषि फार्म, त्रिपुरा	४७२
२६१	त्रिपुरा में बीज फार्म	४७२–७३
२६२	त्रिपुरा में मीन क्षेत्र का विकास .	४७३
२६३	राष्ट्रीय रेलवे उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति	४७३
२६४	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में कर्मचारी	४७३–७४
२६५	पोस्त के डोडे .	४७४
२६६	रेलों में महिला कर्मचारी	४७४
२६७	तांबे के तार की चोरी	४७५
२६८	दुर्घटनाओं से रेलवे को क्षति	४७५–७६
२६९	रेलवे के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	४७६
२७०	सहायक नर्सिंग सम्बन्धी सम्मेलन	४७६
२७१	लम्बे रेशेवाली अमरीकी कपास	४७७
२७२	प्रादेशिक स्नातकोत्तर कृषि गवेषणा प्रशिक्षण केन्द्र .	४७७
२७३	पंजाब में पम्पिंग सेट	४६७–७८
२७४	गवेषणा योजनायें	४७८
२७५	रेलवे प्रशिक्षण स्कूल	४७८
२७६	केरल में गेहूं की खपत	४७८
२७७	उत्तर रेलवे में कर्मचारियों को भुगतान सम्बन्धी शेष मामले	४७८–७९
२७८	पंजाब मेल का देर से चलना	४७९–८०
२७९	पंजाब में स्टेशन .	४८०
२८०	रेल कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	४८०–८१
२८१	उत्तर रेलवे में विश्रामालय	४८१

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४८१–८२

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये:—

(१) दिनांक ३१ अक्तूबर, १९५८ के संकल्प संख्या १ (१८)-टैक्स(ए)/५८ की एक प्रति, जिसमें कपड़ा जांच समिति, १९५८ की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय दिये हुये हैं ।

(२) २८ अगस्त, १९५८ को तारांकित प्रश्न संख्या ६७७ के उत्तर में दिये गये एक आश्वासन के अनुसरण में लोअर दामोदर जांच समिति के प्रतिवेदन, खण्ड १ और २ की एक प्रति ।

(३) कृषि उत्पाद (विकास तथा भांडार) निगम अधिनियम १९५६ की धारा ५२ की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) कृषि उत्पाद(विकास तथा भांडार) निगम नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाला जी० एस० आर० संख्या ९३८ दिनांक ११ अक्तूबर, १९५८ ।

(दो) कृषि उत्पाद (विकास तथा भांडार) निगम नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाला जी० एस० आर० संख्या १०३१ दिनांक १ नवम्बर, १९५८ ।

(तीन) जी० एस० आर० संख्या १०३२ दिनांक १ नवम्बर, १९५८ ।

(चार) जी० एस० आर० संख्या १०३३ दिनांक १ नवम्बर, १९५८ ।

(पांच) जी० एस० आर० संख्या १०३४ दिनांक १ नवम्बर, १९५८ ।

४. दूसरी लोक-सभा के पांचवें सत्र के बारे में "पार्लियामेंटरी कमेटीज़— ए समरी आफ वर्क" की एक प्रति ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित—

तीसवां प्रतिवेदन ४८२—८४

समिति के लिए निर्वाचन . ४८४

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) ने प्रस्ताव किया कि भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति का सदस्य होने के लिये लोक-सभा अपने सदस्यों में से एक सदस्य का निर्वाचन करे । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत . . ४८५—९३

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विषय	पृष्ठ
विधेयक विचाराधीन	४९३—५०१
विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस) ने प्रस्ताव किया कि संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
गैर-सरकारी सदस्यों के [विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत—	
उनतीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ	५०१
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—वापस लिया गया	५०१—२४
बेरोजगारी की समस्या की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति सम्बन्धी संकल्प पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन	५२४
श्री नौशीर भरूचा ने सैनिक व्यय के ढांचे की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति सम्बन्धी संकल्प प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
सोमवार, २४ नवम्बर, १९५८ के लिए कार्यावलि—	
संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, अग्रेतर विचार करना तथा उसे पारित करना ।	